पाकिस्तान ?

हिन्दू–मुस्लिम समस्या एवं राजनैतिक क्षेत्रके प्रमुख प्रश्नका विशद विवेचन

लेखक

डा० सूर्यदेव शर्मा, सिद्धान्त शास्त्री, साहित्यालंकार
एम० ए०, एल० टी०, डी० लिट्.
वाइस प्रिंसिपल
डी० ए० वी० कृषि-औद्योगिक कालेज, अजमेर

तथा

श्री ओंकारनाथ दिनकर, बी० ए० (ऑनर्स), विशारद

प्रस्तावना लेखक —

श्री स्वामी भवानीदयालजी सन्यासी
पूर्व प्रधान, नेटाल इन्डियन कांग्रेस, (अफ्रीका)

साहित्य–निकेतन, अजमेर

मार्च १९४६ ई०]   [मूल्य दो रुपया

श्री के० एम० मुन्शी

सभापति

अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन
तथा
पूर्व होम मेम्बर, बम्बई।

"ऐसी पुस्तक की बड़ी आवश्यकता है। पाकिस्तान का ख्याल ही देशके लिये अकल्याणकर है। हम ऐसी पुस्तक को पढ़ें और मात्रभूमिके विभञ्जनके सामने जोरसे आन्दोलन उठावें।"

—कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

समर्पणम्
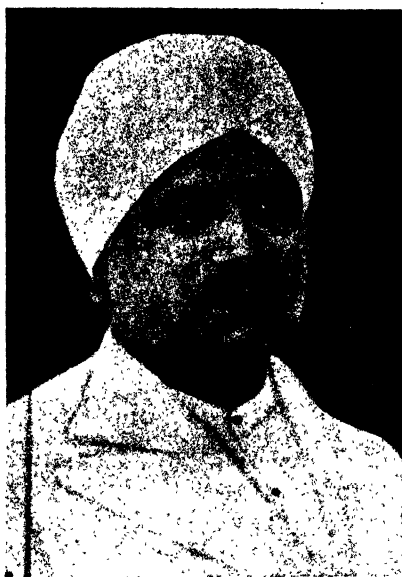
वैदिक संस्कृति, हिन्दू राष्ट्रीयता तथा भारतीय अखण्डता के
प्रबल समर्थक, आर्यसमाज शिक्षा सोसाइटी और डी० ए० वी०
कृषि-औद्योगिक कालेज अजमेर के आधार स्तम्भ,
कर्मवीर श्री पं० जियालालजी जिनकी प्रेममयी
प्रेरणा से इस पुस्तक का प्रणयन प्रारम्भ हुआ,
के कर कमलों में सादर

समर्पित।

प्रेमावनत धर्मबन्धु--

लेखक द्वय।

धन्यवाद

आजकल भारतीय राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की सब से अधिक महत्वपूर्ण समस्या पाकिस्तान का प्रश्न है। मैंने अब से लगभग ८ वर्ष पूर्व एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था "खतरे का बिगुल"। इसमें मैंने भविष्य में शीघ्रही आने वाले "पाकिस्तान" के खतरे का भी उल्लेख किया था। उसके बाद गत वर्षों में भारत के अनेक प्रमुख नगरों में मेरे व्याख्यान "पाकिस्तान" के विरोध में होते रहे। उस समय अनेक सज्जनों ने और विशेष कर मेरे आदरणीय मित्र कर्मवीर श्री पं० जियालालजी ने (जिनको यह पुस्तक समर्पित की गई है) मुझे प्रेरणा की कि मैं "पाकिस्तान" पर एक प्रामाणिक विशद ग्रन्थ लिखूँ क्योंकि हिन्दी में इस विषय पर कोई बड़ा ग्रन्थ अब तक नहीं लिखा गया था। उन्हीं सब महानुभावों की प्रेरणाओं के फलस्वरूप आज यह ग्रन्थ आपकी सेवा में उपस्थित है।

इस ग्रंथ के लेखन में मेरे सहयोगी मित्र श्रीयुत ओंकार-नाथजी "दिनकर" ने सामग्री जुटाने और प्रणयन में, तथा मेरे शिष्य चि० अमरनाथ तथा प्रेमप्रकाशजी ने उसकी प्रेस कापी लिखने में जो सहायता मुझे प्रदान की है उसके लिये वे हार्दिक धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। साथ ही मैं पूज्य देवता-स्वरूप भाई परमानन्दजी का भी अत्यन्त आभारी हूँ जिनकी

प्रेरणा से मुझे हिन्दू मिशन प्रेस लाहौर से दो पुस्तिकायें प्राप्त हो सकीं जिनसे मुझे बड़ी सहायता मिली। इनके अतिरिक्त जिन अन्य अनेक हिन्दी तथा अंग्रेजी ग्रंथों से और समाचार पत्रों से मुझे अनुपम सहायता मिली है उन सबका मैं अत्यन्त आभारी हूँ। स्थान २ पर उनके नाम से प्रमाण और उद्धरण इस ग्रन्थ में दिये गये हैं।

अन्त में मैं अपने पूज्य गुरुवत् श्री स्वामी भवानीदयालजी सन्यासी, जिन्होंने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखने का कष्ट किया है, और श्रीयुत् के. एम. मुन्शी बम्बई जो अखण्ड भारत आन्दोलन के आदि प्रवर्तकों में से हैं, और राय बहादुर श्री पं० मिट्ठनलालजी भार्गव, प्रधान आर्यसमाज अजमेर, जिन्होंने अपने शुभाशीर्वाद देकर मुझे प्रोत्साहित किया है, को हार्दिक धन्यवाद देता हुआ आशा करता हूँ कि पाठक महानुभाव इस ग्रन्थ से लाभ उठा कर अखण्ड भारत आन्दोलन के समर्थक बनेंगे और तब हम सब एक स्वर में कहेंगे: —

'गुंचे हमारे दिल के इस बाग़ में खिलेंगे।
इस ख़ाक से उठे हैं, इस ख़ाक में मिलेंगे॥
... ...
"माता तेरे लिये हम बलिदान सब करेंगे।
तेरे लिये जियेंगे, तेरे लिये मरेंगे॥

निवेदक—

होली, संवत् २००२
अजमेर

सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार'
एम. ए. एल. टी. डी. लिट्
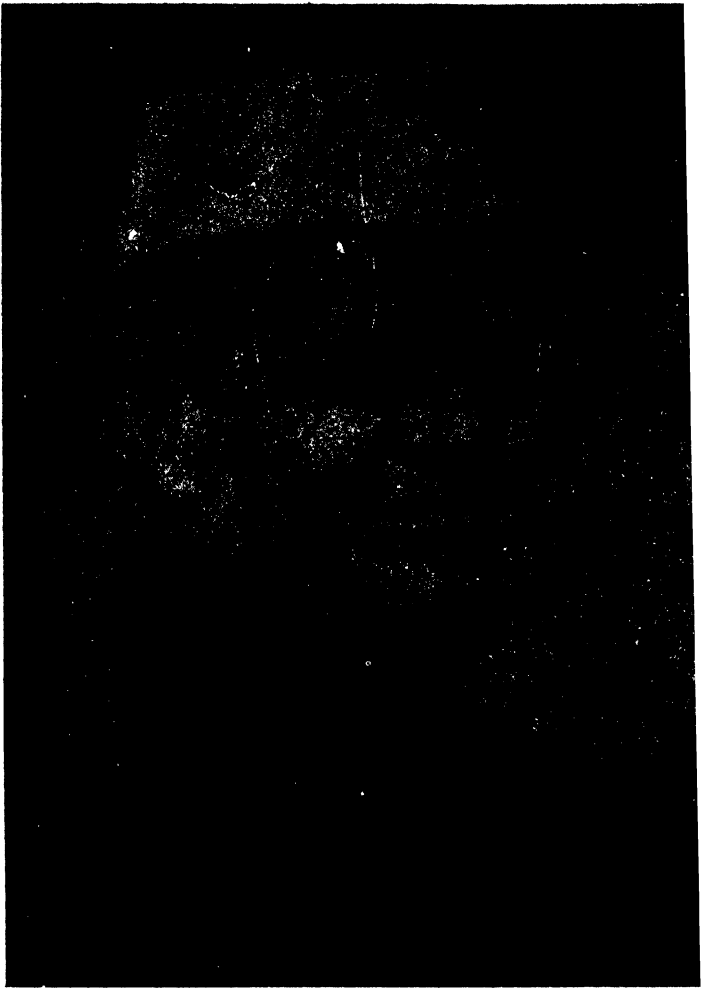
ग्रन्थकार

आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान् तथा व्याख्याता श्री डाक्टर सूर्यदेवजी शर्मा सिद्धांतशास्त्री, साहित्यालंकार, एम० ए० (साहित्य, इतिहास, संस्कृत) डी० लिट् वाइस प्रिंसिपल, डी० ए० वी० कॉलेज, अजमेर ।

विषय सूची

अध्याय छः

पाकिस्तान क्यों ?

अध्याय सात

पाकिस्तान क्यों नहीं ?

अध्याय आठ

दो राष्ट्रोंका सिद्धान्त

अध्याय नौ

आत्म-निर्णय का सिद्धान्त

अध्याय दस

पाकिस्तान पर राजनीतिज्ञों के विचार

अध्याय ग्यारह

कांग्रेस में पाकिस्तान पर विचार

अध्याय बारह

उपसंहार

अध्याय तेरह

कविताएं
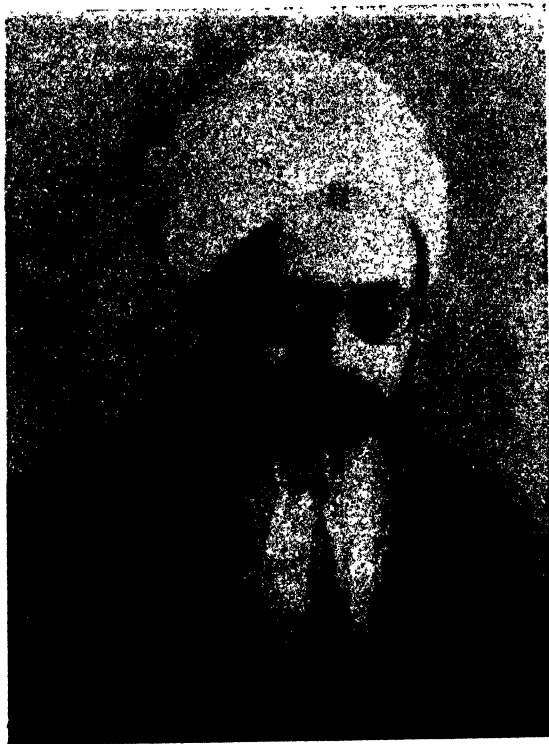
ग्रन्थके प्रस्तावना लेखक

श्री स्वामी भवानीदयालजी संन्यासी,

पूर्व प्रधान, इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस, नेटाल (अफ्रीका)

प्रस्तावना

इस समय भारतका भाग्याकाश हिन्दू-मुस्लिम-विग्रहके बादलसे तिमिराच्छन्न हो रहा है। हमारे देशके नैसर्गिक विकासमें यह साम्प्रदायिक संघर्ष विकट बाधा है, राजनीतिक प्रगतिके पथमें यह गहरा गर्त्त है और राष्ट्र-गठनके उद्योगमें यह अनिवार्य अवरोध है। यह कहना ऐतिहासिक सत्यकीही पुनरावृत्ति करना है कि इस अभागे देशको ब्रिटिश-सत्ताकी यह साम्प्रदायिक-समस्या सबसे अधिक भयंकर देन है। इस सदीकी प्रथम दशाब्दीमें जब भारतमें राष्ट्रीय-जागरणका युग आरंभ हुआ तो बृटिश साम्राज्यके सूत्रधार चिन्तित हो उठे। विजित प्रजापर शासन करनेवाली किसी भी विदेशी-सत्ताके लिये सबसे बड़ा खतरा होता है—विजित प्रजामें राष्ट्रीयताकी भावना एवं स्वाधीनताकी कामना। भारतमें राष्ट्रीयताके विकास वस्तुतः बृटिश सत्ताके ह्रासका द्योतक है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी बड़े अग्रशोची, प्रवंचक और कूटनीतिज्ञ हैं, उनको मालूम है कि पराधीन प्रजाकी राष्ट्रीय भावनाको संसारकी कोई भी शक्ति दबा नहीं सकती चाहे वह शक्ति मानवी हो या दानवी। अतएव उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयताकी हत्या करनेके अभिप्रायसे भेदनीति (Divide and Rule) का आश्रय लेना श्रेयस्कर समझा। फल यह हुआ कि हिन्दू और मुसलमानोंमें दिनपर दिन विद्वेष एवं विग्रहकी सृष्टि और अभिवृद्धि होती गई और आज भारतमें एक ओरसे दूसरे छोरतक उस नीतिका नग्न-रूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ के कुछ मतान्ध मुसलमानोंकी मनोवृत्ति तो यहाँ तक कलुषित हो चुकी है कि वे

अपनेको हिन्दुओंसे भिन्न एक स्वतंत्र राष्ट्र होनेका दावा कर रहे हैं। इसलिये हिन्दुस्थानमें रहना भी उनको पसंद नहीं है और वे अपनी मातृ-भूमिका सिर-पैर काट कर उसका नाम पाकिस्तान रखने का स्वप्न देख रहे हैं।

हिन्दुस्थानियोंका पुरातन कालसे एक ही राष्ट्र रहा है। हूण, शक, यवन, यूनानी आदि विदेशी मनुष्य भी यहाँ आकर भारतीय राष्ट्रमें दूध-पानी की भाँति मिल गये—उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। इस बीसवीं शताब्दीमें जब संसारमें राष्ट्रका आधार धर्म या मज़हब नहीं रहा तब इस देश में उल्टी गङ्गा बहाई जाने लगी। यहाँ हिन्दू-राष्ट्र एवं मुस्लिम-राष्ट्रके दावेदार निकल आये। हिन्दू-राष्ट्रके हिमायती बने--वीर सावरकर और भाई परमानन्द तथा मुस्लिम-राष्ट्रके सर्वेसर्वा बने जनाब मुहम्मदअली जिन्ना। पर वास्तवमें हिन्दू-राष्ट्र और मुस्लिम-राष्ट्रकी बुनियाद डालनेवाला तो एक कूटनीतिज्ञ अंग्रेज था। जिस समय उसने इस साम्प्रदायिक विग्रहका विषवृक्ष लगाया था, उस समय वीर सावरकर और भाई परमानन्द कट्टर भारतीय राष्ट्रवादी थे। वे हिन्दू और मुसलमान दोनों को भारतीय राष्ट्रमें सम्बद्ध मानते थे। देशकी दासतापर उनका हृदय तड़प उठा था, मातृ-भूमिकी मुक्तिके लिये उनकी आत्मा विदेशी सत्तासे विद्रोह कर बैठी थी। उनको राष्ट्र भक्तिका वही पुरस्कार मिला, जो विश्वके महान् देश-भक्तों और क्रांतिकारियोंको मिलता आया है। उस समय जनाब जिन्ना भी पक्के राष्ट्रवादी और कांग्रेस-कर्मी थे। वे लोकमान्य तिलकके भक्त थे और 'मुस्लिम गोखले' बनने की इच्छा रखते थे। सन् १९०६ में जब विदेशी सत्ताधारियोंकी प्रेरणासे मुस्लिम-लीगकी स्थापना हुई तो एक मुसलमानकी हैसियतसे जिन्ना

को उसमें शरीक होनेके लिये आमंत्रित किया गया था, पर जिन्नाने साफ जवाब दे दिया कि चूंकि मुस्लिम-लीग भारतीय राष्ट्रीयताकी विरोधी (Anti-National) एक जमात है, इस लिये वे उसमें हर्गिज़ शरीक नहीं हो सकते। सन् १९१३ तक जिन्ना लीगके विरोधी बने रहे और उसे राष्ट्र-द्रोही कह कर उसके संचालकों की कटुसे कटु समालोचना करते रहे।

उस समय किसीने स्वप्न में भी यह कल्पना न की होगी कि ऐसे देशभक्त साम्प्रदायिक-शराब पीकर मतवाले बन जायँगे और अपने स्वभाव एवं सिद्धान्तको बदलकर उस विषवृक्षके लिये मालीका काम देंगे, जिसे भारतमें बृटिश सत्ताको दृढ़ एवं स्थायी बनानेके लिये एक कूटनीतिज्ञ अंग्रेज लार्ड मिण्टोने रोपा था। सन् १९३१ में जब मैं प्रत्यागत प्रवासियोंके सम्बन्धमें भारतका दौरा करते हुए पटना गया था तो वहाँ स्वर्गीय सर अलीइमामके सभापतित्वमें मेरा व्याख्यान हुआ था। उस समय अलीइमाम साहब लण्डनकी गोल-मेज-परिषद्में जानेकी तैयारी कर रहे थे। उनके घरपर मुलाकात होनेपर उन्होंने "सर्चलाइट" के सम्पादक श्री मुरलीमनोहर प्रसादकी मौजूदगीमें मुझसे जो कुछ कहा था उससे लार्ड मिण्टो की भेद-नीतिपर काफ़ी प्रकाश पड़ता है।

मेरे यह पूछनेपर कि वे कब विलायतके लिये रवाना हो रहे हैं, जवाब मिला कि "मुझसे मुल्क और क़ौमके साथ भूलसे एक गुनाह हो गया है उसीके प्रायश्चितके लिये मैं राउन्ड-टेबल-कॉन्फ्रेन्समें जा रहा हूँ।"

"गुनाह ? कैसा गुनाह ?" मैंने आश्चर्य से पूछा। उत्तर में सर अलीइमामने जो कहानी सुनाई, वह उन्हींकी ज़बानी

सुनिये—"लार्ड मिण्टोने सर आगाखाँ वगैरहके साथ मुझे भी तार देकर कलकत्ता बुलाया था और मुल्ककी मौजूदा हालतकी तस्वीर खींचकर हमें यह समझाया कि हिन्दुओंकी राष्ट्रीयता अंग्रेजोंके लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना कि मुसलमानोंके लिये। यदि हिन्दुओंकी राष्ट्रीय तमन्ना पूरी हो गई तो अंग्रेज तो अपना बोरिया बँधना उठाकर इङ्गलैण्ड चले जायँगे, पर मुसलमान कहाँ जायँगे? उनको तो हर हालतमें यहीं रहना होगा। इसलिये बृटिश सरकारको मुसलमानोंके लिये फ़िक्र हो रही है। अगर जल्द कोई उपाय न हुआ तो मुसलमानोंकी खैर नहीं है। बृटिश हुकूमतके बाद इस देश पर लोक-तंत्रके अनुसार हिन्दुओंके बहुमतकी सरकार बनेगी और मुल्क की हुकूमतमें अल्पमत मुसलमानोंका कोई हक़ और इख्तियार न होगा। उनको पुश्त-दरपुश्तके लिये हिन्दुओंकी गुलामी करनी पड़ेगी और उनकी ठोकरें खानी पड़ेगी। इस मुसीबतसे बचनेका सिर्फ एकही उपाय है कि मुसलमान हिन्दुओंसे अलहदा एक राष्ट्र (कौम) होनेका दावा करें और इस हैसियतसे लेजिस्लेटिव कौन्सिलमें मुसलमानोंके लिये अलग मत देने और चुनाव करनेकी माँग पेश करें। इससे उनकी सियासी हक़ीयत हमेशाके लिये बरकरार रहेगी। अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है। मुसलमान नेता एक डेपुटेशन लेकर मेरे पास आवें और मेरे कथनानुसार माँग पेश करें। बाकी सब काम मैं बना लूँगा।"

लार्ड मिण्टोके प्रवचनसे मुसलमान नेता ऐसे घबड़ाये कि बृटिश सरकारकी इस आकस्मिक अनुकम्पाका मर्म समझने की शक्ति खो बैठे। उनको यह प्रतीत हुआ कि बृटिश सरकारकी स्नेहशीलतासे उनका भावी संकट कट गया। इस विष

बेलीमें कैसे २ फल लगेंगे, इस पर किसीने ध्यान नहीं दिया। मुसलमानोंपर तो बृटिश-जादूकी ऐसी छड़ी फिर चुकी थी कि उन्होंने पृथक्करण की नीतिमें अपना कल्याण समझा। लार्ड मिण्टोके आदेशानुसार सर आगाखाँके नेतृत्वमें मुसलमानों का एक शिष्ट-मंडल उनके समक्ष उपस्थित हुआ। उन्होंने जो वक्तव्य पेश किया था वह भी लार्ड मिण्टोंकीही कृति थी। मिण्टोंकीही सिखाई हुई बातें मुस्लिम नेताओंने उनके सामने दुहरा दीं और मिण्टोंने उनको हिन्दुओंसे भिन्न राष्ट्र मान कर पृथक् निर्वाचनकी माँग मंजूर कर ली।

भारतमें हिन्दू-राष्ट्र और मुस्लिम-राष्ट्रकी सृष्टिका यही सच्चा इतिहास है। उसी दिन हिन्दू मुस्लिम-विग्रहका सूत्रपात हुआ था और असलमें उसी दिन पाकिस्तानकी बुनियाद पड़ी थी। वह दिन भारतके लिये अतिशय दुर्भाग्य का दिन था, पर उस दिन अंग्रेज साम्राज्यवादियोंने दिवाली मनाई थी। विलायत के एक टोरी अखबारने लिखा था कि "लार्ड मिण्टोंकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और नीतिज्ञतासे भारतमें बृटिश-राज्यकी नींव अब पाताल में गड़ गई।" उस दिन को स्वयं लेडी मिण्टोने अपने पतिकी नीतिज्ञताका बखान करते हुए 'एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना दिवस' और 'भारतीय इतिहास में एक युगान्तर कारी दिवस' कहा था। लेडी मिण्टो ने अपनी पुस्तक (The Diary of Lady Minto) में अपने एक पत्र का हवाला देते हुए लिखा है:—

"मुझे आपको यह बतलानेके लिये एक बात लिखनी चाहिए कि आज एक महान घटना घटी है, राजनीतिज्ञताका एक ऐसा महत्कार्य हुआ है जिसका बहुत वर्षों तक भारतके

इतिहास और भारतीय जनतापर प्रभाव रहेगा। यह कार्य है सात करोड़ मुस्लिम जनताको राजद्रोही और बृटिश विरोधी दलसे अलग करना।"

लेडी मिण्टोके कथनसे स्पष्ट है कि लार्ड मिण्टो आदि बृटिश साम्राज्यवादी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय महासभा) तथा हिन्दुओंको राजद्रोही और बृटिश विरोधी मानते थे और उनसे अलग रखनेके लिये मुसलमानोंको पृथक निर्वाचन-पद्धतिका प्रसाद दिया गया और उस ज़हरका पौधा रोपा गया जिसमें आज 'मुस्लिम-राष्ट्र' और 'पाकिस्तान'के फल लग रहे हैं।

मिण्टो-मॉर्ले शासन-सुधार भारतके लिये सबसे बड़ा अभिशाप था। संसारके अन्य किसी भी देशमें, जहाँ लोक-तंत्रात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित है, मज़हबके आधार पर किसी वर्गको पृथक्-निर्वाचनका स्वत्व प्राप्त नहीं है। वास्तवमें यह पृथक्-निर्वाचन तो लोकतंत्रपर कुठाराघात है पर भारतमें अंग्रेज राजनीतिज्ञोंने स्वार्थ सिद्धि के लिये वह काम कर डाला जिसका दूसरा दृष्टान्त दुनियामें और कहीं मिलना असंभव है। इसका नतीजा यह हुआ कि मुहम्मद इक़बाल जैसे महाकवि, जिन्होंने एक दिन "हिन्दी है हम, वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा" का तराना गाया था, उन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंकी बनाई हुई साम्प्रदायिक शराब पीकर सन् १९३० में मुस्लिम लीगके प्रयाग-अधिवेशनमें सभापतिकी हैसियतसे पाकिस्तान का नारा लगाया। कैसी आत्म-विस्मृति? कैसी उल्टी सूझ? साम्प्रदायिक शराबने कैसा रंग लाया? उसके नशेसे राष्ट्रकवि इक़बाल, राष्ट्र-नेता जिन्ना आदि ऐसे मतवाले हो उठे कि हिन्दुस्तान-हिन्दू-हिन्दीके नामसे भी उनको चिढ़ हो गई और वे

मतान्ध मुसलमानोंको मज़हबके नामपर काँग्रेस और हिन्दुओं के विरुद्ध उभारने और इस देशमें बृटिश सत्ताको और भी मज़बूत बनानेके काममें भिड़ गये।

इसकी प्रतिक्रिया हुए बिना रहती कैसे ? जो भाई परमानन्द मातृ-भूमिको विदेशियोंके बन्धनसे मुक्त करनेके लिये फाँसी के तख्ते तक पहुँच चुके थे और काले पानीमें अपने जीवनका सर्वोत्तम भाग बिता आये थे। जो वीर सावरकर भारतीय स्वाधीनताके संदेश वाहक बनकर कारागारकी यातनाएँ भोगते हुए अपने हृदय का शोणित भारत-माता के चरणोंपर चढ़ा आये थे और जिनका नाम सुनकर भारतीय तरुणोंमें बलिदानकी भावना उमड़ आती थी; वे ही सच्चे देश-भक्त और राष्ट्र-नायक कट्टर प्रतिक्रियावादीके रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आवाज उठाई—"हिन्दुस्तान हिन्दुओंका है। यहाँ मु लमानों की दाल नहीं गल सकती।"

उधर जनाब जिन्ना और मुस्लिम-लीगने यह गुहार मचाई कि हिन्दुस्तानको स्वराज्य मिलनेसे मुसलमानोंको क्या लाभ ? इस समय वे अंग्रेजोंके गुलाम हैं, आज़ाद हिन्दुस्तान में उनको हिन्दुओंके बहुमतकी गुलामी करनी पड़ेगी—कड़ाही से कूद कर अङ्गार में झुलसना पड़ेगा। अंग्रेज तो विदेशी हैं, उनकी गुलामी मुसलमानोंको उतनी नहीं अखरती है जितनी उन हिन्दुओंकी गुलामी अखरेगी, जिनपर मुसलमानोंने सदियों शासन किया है . वे किसी भी हालतमें हिन्दुओंकी मातहतीमें रहना मंजूर नहीं कर सकते। उनकी रायशरीफ़में हिन्दुस्तानकी आज़ादीका अर्थ है—लोकतंत्रात्मक शासन-पद्धतिके अनुसार हिन्दुओंके बहुमतकी हुकूमत और मुसल-

मानोंकी पीढ़ी दर पीढ़ीके लिये हिन्दुओंकी गुलामी। इस लिये मुस्लिम-लीग स्वराज्यके पथमें काँटे बिखेर रही है और ब्रिटिश सरकारसे साफ़ कह रही है कि हिन्दुस्तान पर तबतक वह अपनी सत्ता बनाये रहे. जबतक कि कांग्रेस और हिन्दू मजबूर होकर मुस्लिम-लीगकी माँग मंजूर न करलें।

और वह माँग है क्या? सारा पंजाब, चाहे अर्द्ध पंजाब में हिन्दुओंका बहुमत क्यों न हो, सीमा-प्रान्त और बृटिश बलूचिस्थान, सिन्ध, बंगाल, चाहे अर्द्ध बंगाल में भी हिन्दुओं का बहुमत ही हो, और आसाम, चाहे आसाम में हिन्दुओं का बहुमत और मुसलमानों का अल्पमत क्यों न हो. हिन्दुस्थान से पाकिस्तान बन जाना चाहिये और यह पाकिस्तान मुस्लिम-लीगके हवाले कर देना चाहिये। इस विषयपर वहाँके निवासियोंसे पूछने-ताछने अथवा उनका मत लेनेकी भी आवश्यकता नहीं है. क्योंकि उन प्रांतोंमें मुसलमानोंका बहुमत है और मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करनेवाली जमात है एक मात्र मुस्लिम-लीग। वहाँ की प्रजाको, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सौभाग्य-निर्णय (Self-Determination) का कोई अधिकार नहीं है। उनके लिये सर्वाधिकारी (डिक्टेटर) जिन्ना और मुस्लिम-लीगका फरमान सर्वोपरि शासन विधान है। इस मामलेमें मुस्लिम-लीग न किसीकी दलील सुनेगी और न किसीको पंच मानेगी। जब तक उसकी माँग मंजूर न हो जायगी तब तक वह हिन्दुस्थानको हर्गिज़ आज़ाद न होने देगी।

यह सनक है, जो जनाब जिन्ना और उनके शागिर्दोंके सिर पर सवार है। उनके विचारमें भारतकी भौगोलिक, राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक एकता मुस्लिम-हितकी दृष्टिसे विघातक है, अतएव हिन्दुस्थानका अङ्ग-भङ्ग हुए बिना

मुसलमानोंका कल्याण नहीं है। रोगी चाहे सो वैद्य बतावे—हिन्दुस्थानको अपनी मौरूसी जायदाद माननेवाले बृटिश साम्राज्यवादियोंको मनचाही मुराद मिल गई। दुनियाको चकमा देने और भारतकी पराधीनताकी अवधि बढ़ानेके लिये उनको इससे बढ़कर हथियार और कहाँ मिलता? वास्तवमें जिन्ना बृटिश साम्राजवादके लिये शिखण्डीके काम आ गये। बृटिश पार्लियामेण्टमें जिन्नाकी विशेषरूपसे चर्चा होने लगी। बृटिश साम्राज्यके चारण तो कायदे-आज़मका गुण गाते अघाते ही नहीं और गला फाड़-फाड़कर चिल्लाते हैं कि मुसलमानोंके सर्वेसर्वा हैं मिस्टर जिन्ना और उनकी सर्वोपरि जमात है मुस्लिम-लीग। यद्यपि बृटिश सरकार भारतको स्वराज देनेके लिये वचनबद्ध और तैयार है, पर वह करे तो क्या? मुसलमान कॉंग्रेस और हिन्दुओंकी आधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते और बृटिश सरकार दस करोड़ मुसलमानोंके मत की उपेक्षा कर नहीं सकती। यदि बृटिश सरकार आज भारतको छोड़दे तो कल ही यहाँ घरेलू-युद्ध आरंभ हो जायगा और हिन्दू-मुस्लिम आपसमें कट मरेंगे। इसलिये जबतक हिंदू और मुसलमानोंमें सन्तोषजनक समझौता न हो जावे तबतक बृटिश सरकार भारतकी स्वराज्य-सत्ता सौंपे तो किसको? यदि भारतको स्वराज्य मिलनेमें देर हो रही है तो इसका कारण बृटिश सरकारकी उपेक्षावृत्ति नहीं है बल्कि हिन्दू-मुसलमानोंका परस्पर अविश्वास, सन्देह एवं साम्प्रदायिक संघर्ष है।

बृटिश साम्राज्यके प्रख्यात पुजारी चर्चिल और विशेषतः ऐमरीने तो जिन्नाको सिर पर चढ़ा लिया और मुस्लिम-लीग को विश्वास दिला दिया कि उसकी मंजूरीके बिना भारतका

कोई शासन-विधान न बृटिश सरकार बनावेगी और न दूसरों के बनाये हुये विधान का स्वीकार ही करेगी। मुसलमानों के नाम पर यह देश-द्रोहात्मक लीला होते हुए देखकर भारतके देशभक्त, धर्मनिष्ठ और खुदापरस्त मुसलमान ग्लानि में गड़ गये लज्जासे मर गये जिन्नाके देश-द्रोहसे उनमें असन्तोषकी अग्नि धधक उठी। वे सोचने लगे कि संसार यहां के मुसलमानोंको क्या कह रहा है—भारतीय स्वाधीनताका शत्रु कहकर उनका तिरस्कार कर रहा है। अतएव उनकी ओरसे ऑल इण्डिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स, ऑल इण्डिया मुस्लिम मजलिस, ऑल इंडिया शिया पोलिटिकल कॉन्फ्रेन्स, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेन्स, जमायतुल-उल्माये-हिन्द, मजलिसे-अहरारे-हिंद आदि अनेक अखिल भारत मुस्लिम सभाओंने आवाजें उठाईं कि न जनाब जिन्ना भारतके समस्त मुसलमानोंके नेता हैं और न उनकी लीग सारे मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली सभा है। इसलिये उनको भारतके समग्र मुसलमानोंकी तरफसे न बोलनेका इख्तियार है और न सारे मुसलमानोंके नामसे कुछ करने-धरनेका।

पर यह बात तो बृटिश सरकारके स्वार्थोंपर आघात पहुँचाने वाली ठहरी। इसलिये देशभक्त मुसलमानोंकी आवाज़ समुद्रकी लहरोंमें टकराकर रह गई और बृटिश सरकार तथा रूटर एजेन्सीकी बदौलत देशसे बाहर नहीं फैलने पाई। पार्लियामेंटमें प्रश्न पूछा जानेपर तत्कालीन भारत- मंत्री ऐमरीने स्वीकार किया कि उनके पास जिन्ना और लीगके खिलाफ अनेक नेताओं और सभाओंके तार पहुँचे हैं। (I am aware that Mr. Jinnah's leadership is not accepted by all Muslims, but I have no reason to doubt that

the Muslim League remains the principal organisation voicing Muslim political opinion.) और वे जानते हैं कि भारतके समग्र मुसलमान जिन्नाका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, पर उनको इसमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है कि मुसलमानोंकी राजनीतिक राय प्रकट करनेवाली प्रमुख जमात मुस्लिम लीग ही है।

बृटिश सरकारकी तरफसे जिन्ना और मुस्लिम लीगको भारतके भाग्य-निर्णयका अधिकार मिल गया, इस अभागे देशके भविष्यकी कुञ्जी जिन्नाके हाथ आ गई। वे स्वराज्यकी गाड़ीमें ब्रेक लगा कर अकड़ बैठे। उनकी माँगे सुरसाके शरीरकी भाँति अनुदिन बढ़ने लगी। वे नईसेनई समस्या की सृष्टि करने लगे। उनके दिमाग़ की थाह लगाना दुस्तर होगया। अबतक मुसलमानोंकी गिनती अल्प-मतवाले हिन्दुस्तानियोंमें होती थी, पर एक दिन अचानक संसारने जिन्नाके मुंहसे सुना कि मुसलमान भारतके अल्प-मत वाले वर्ग में नहीं हैं— उनकी तो एक अलग और आज़ाद "मुस्लिम कौम" ही है। इस ऐलानसे सभी परेशान हो उठे, क्योंकि अबतक दुनिया यही मानती आई है कि इस्लाम या मुसलमान किसी कौम (राष्ट्र या नेशन) का नहीं, एक मज़हबका नाम है। कट्टरसे कट्टर मुस्लिम-प्रधान देशोंमें भी कौम एक चीज़ मानी जाती है और मज़हब दूसरी। तुर्की, अरब, ईरान, ईराक़, मिश्र आदि देशों में कौम मज़हब से बिल्कुल भिन्न है। उन मुल्कोंमें केवल मुसलमान ही नहीं बसते, ईसाई भी काफ़ी तादादमें हैं। तुर्कीके निवासी, चाहे उनका कोई मज़हब हो, कौम से तुर्क कहलाते हैं। इसी प्रकार मिश्रके ईसाई और मुसलमान मिश्री, ईरानके ईरानी इराकके इराकी, अफ़गानिस्तानके अफ़गानी,

और अरबके अरबी कौम माने जाते हैं। यह सिद्धांत है भी तथ्य-पूर्ण। किसी व्यक्ति के मज़हब बदलने से केवल उसका धार्मिक विचार बदलता है, पूजा और प्रार्थनाकी पद्धति बदलती है। पर उसका रक्त-मांस एवं शरीर नहीं बदल सकता, माता-पिता, वंश और पूर्वज नहीं बदल सकते, परम्परागत इतिहास नहीं बदल सकता। फिर भला क़ौम कैसे बदल सकती है। यह ध्यान रहे कि आत्मा का सम्बंध है धर्मसे और शरीरका संबंध है राष्ट्र या क़ौमसे। अतएव धर्म-परिवर्त्तनसे राष्ट्रीयतामें अंतर नहीं आता। एक अंग्रेज, चाहे वह ईसाई रहे या मुसलमान बन जावे अथवा बौद्ध-धर्म ग्रहण करले, कौमसे अंग्रेज ही रहेगा। मुस्लिम प्रधान देशोंके निवासी यहांके मुसलमानों को हिंदू या हिंदुस्तानी कौमके आदमी मानते हैं और इसी नामसे इनको पुकारते भी हैं। पर जनाब जिन्ना तो उल्टी गङ्गा बहाना चाहते हैं, उसे हावड़ेसे हरद्वार ले जाना चाहते हैं। अतएव आजतक जो काम किसी ने नहीं कर पाया था इस्लामकी जन्म भूमि अरबमें भी जो काम नहीं हो सका था वह काम जिन्नाने कर दिखाया हिंदुस्तानमें एक नवीन राष्ट्रकी सृष्टि कर डाली, जिसका नाम उन्होंने 'मुस्लिम नेशन' रक्खा है।

पर असलमें आजसे चालीस साल पहले लार्ड मिण्टोने भारतमें बृटिश सत्ताकी रक्षाके लिये जिस साम्प्रदायिक संघर्ष का श्री गणेश किया था उसी का परिणाम है— जिन्ना, मुस्लिम कौम और पाकिस्तान। सन् १९४२ में बृटिश सरकारकी नीतिसे हैरान होकर महात्मा गांधीको स्पष्ट कहना पड़ा कि जबतक भारतमें बृटिश सत्ता बनी रहेगी तबतक हिन्दू-मुस्लिम एकता असंभव है इसलिये सबसे पहले बृटेनके बन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न होना चाहिये, आज़ादी

हासिल होनेपर साम्प्रदायिक समस्याएँ स्वयं सुलझ जावेंगी। हिन्दू और मुसलमान आपसमें समझौता कर लेंगे, यदि समझौता न हो सका तो लड़कर निबट लेंगे। तीसरा दल तो उनमें फूट डाले रहेगा और लड़ कर फैसला भी न करने देगा। पाकिस्तान के प्रश्न पर प्रकाश डालते हुए महात्माजीने कहा था कि भारत का विभाजन हानिकारक ही नहीं, पाप भी है।

पाकिस्तानका समर्थन करनेके कारणही श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यको कांग्रेससे अलग होना पड़ा था! हिन्दू उनको हिकारतकी निगाहसे देखने और हिन्दुस्थानका शत्रु कहकर तिरस्कार करने लगे। कई सार्वजनिक सभाओंमें उनका ऐसा घोर अपमान हुआ कि उनके साथ शिष्ट व्यवहार करनेके लिये महात्मा गान्धीको जनतासे अपील करनी पड़ी थी। पर वे अपने मत पर दृढ़ रहे और आखिर उन्होंने महात्मा गांधीको भी अपने मतके अनुकूल बना लिया।

जब महात्मा गांधीने पाकिस्तानका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया तो हमारे विस्मय और विषादकी सीमा नहीं रही। मैंने अपने बचपनमें सेवाग्रामके सन्तकी गोदमें बाल-सुलभ क्रीड़ाएँ की थीं, युवावस्थामें उनके आदेशानुसार पत्नी-पुत्रके साथ दक्षिण आफ्रिका सरकारके विरुद्ध सत्याग्रह कर जेलकी मेहमानदारी मंजूरकी थी और वृद्धावस्थामें उनके आवाहनपर भारतीय-स्वाधीनताके युद्धमें भाग लेकर ढाई वर्ष के लिये बिहारके बन्दी घरमें बसेरा किया था। अतएव अपने पूज्य बापूके पाकिस्तान सम्बन्धी विचारका विरोध करते हुए मुझे जो व्यथा हो रही है, वह लिख कर बतानेकी बात नहीं, अनुभवकी ही वस्तु है। पर यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर देशका भविष्य निर्भर है और देश है—पूज्यसेपूज्य व्यक्तिसे भी श्रेष्ठ।

यह कौन नहीं जानता कि बापू भारतीय स्वतंत्रताके प्रतीक हैं, उनके हृदयमें आज़ादीकी आग धधक रही है और देशको दासत्वके बन्धनसे मुक्त करनेके लिये वे भारीसेभारी त्याग करनेको तैयार हैं। उनकी धारणा है कि बैर और फूटका ही फल है—पराधीनता और यदि हिन्दू-मुस्लिम मेल हो जावे तो बड़ी आसानीसे ब्रिटिश सरकारको हिंदुस्तान छोड़नेपर मजबूर किया जा सकता है। इसलिये वे जिन्नाकी देश-घातक माँग पाकिस्तान स्वीकार करनेको प्रस्तुत हो गये।

बापूने अपने जीवनमें अनेक भूलेंकी हैं। जो सार्व-जनिक काम करता है उसीसे भूलें भी होती है। किसी कविने ठीक ही कहा हैं—

गिरते हैं सह सवारही मैदाने जङ्गमें,
वह तिफ़ल क्या गिरेगा जो घुटनोंके बल चलें।

बापूने यह बात कबूल की है कि उनसे साधारण ही नहीं, हिमालय जैसी बड़ीसे बड़ी भूलें हो गई हैं, पर मेरी समझमें पाकिस्तान का सिद्धान्त स्वीकार करना उनके जीवनकी सबसे बड़ी भूल है। उनकी मंजूरीसे जिन्नाको मनचाही मुराद मिल गई, कायदे-आजम का हौसला और भी बढ़ गया। उन्होंने न राजाजी को योजना मंजूरकी और न गांधीजीकी—दोनों योजनाओंको ठुकरा दिया। राजाजी और गांधीजीकी योजनाके अनुसार देशका विभाजन होनेपर न आसाम पाकिस्तान में आ सकता है, न आधा बंगाल और न आधा पंजाब। केवल सिन्ध, सीमाप्रांत, ब्रिटिश बलूचिस्तान, पश्चिमीय पंजाब और पूर्वीय बंगालका पाकिस्तान बन सकता और वह भी तब, तब कि वहाँके बाशिन्दे बहुमतसे उसके अनुकूल राय देते। इस

स्थितिमें राजनीतिक दृष्टिसे पाकिस्तान अपङ्ग होता और आर्थिक दृष्टिसे दिवालिया।

अबतक जिन्ना साहब मुस्लिम-लीगके लाहौर-प्रस्तावकी दुहाई देते रहे और पाकिस्तानकी व्याख्या करनेमें इन्कार करते रहे। जब कोई पाकिस्तानके रङ्गरूपके बारेमें उनसे पूछ-ताछ करता तो गोलमोल जबाब देकर पिण्ड छुड़ाते और यही कहा करते कि सिद्धान्तरूपसे पाकिस्तान मंजूर कर लेने पर और सब बातों का आसानी से फैसला हो जायगा:- पर जब महात्माजीने मुस्लिम-लीगकी मांग मंजूर कर ली, यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत-रूप से अपने उत्तरदायित्वपर पाकिस्तानका सिद्धांत स्वीकार किया है तो भी यह कौन नहीं जानता कि महात्माजीकी बातकी उपेक्षा करना कांग्रेसके लिये असंभव है, तब जिन्नाको अपने पाकिस्तानका वास्तविकरूप प्रकट कर देना उचित जँचा। वे आसाम, पश्चिमीय बंगाल और पूर्वीय पंजाबको भी, जहां हिन्दुओं और सिखोंका भारी बहुमत है पाकिस्तानमें मिला लेनेका मनसूबा बांध रहे हैं—स्वप्न देख रहे हैं। वहांकी प्रजा मानों भेड़-बकरी है, जिसका पगहा जिन्नाके हाथमें थमा देना चाहिये। इसी प्रकारके पाकिस्तानसे जिन्नाको तसल्ली हो सकेगी, तभी वे आजादीकी गाड़ीको आगे बढ़ने देंगे अन्यथा चाहे मुसलमानोंका भला हो या बुरा नफ़ा हो या नुक़सान-वे हिन्दुओंको हर्गिज स्वराज्य न लेने देंगे; उनकी नाक कटी तो बलासे हिन्दुओंकी बदशकुनी तो होगी।

जनाब जिन्नाके हट और दुराग्रहसे देशका बड़ा अमंगल हो रहा है। पं० जवाहरलाल नेहरू और सरदार बल्लभभाई पटेलको लाचार होकर साफ साफ कह देना पड़ा है कि

जबतक मुस्लिम लीगकी वर्त्तमान नीति और उसके नेताओं की मनोवृत्तिमें परिवर्त्तन न होगा तबतक कांग्रेससे समझौता हो सकना असंभव है। पर यही बात यदि पहलेसे कही जाती तो आज जिन्नाको शेखी बघारनेका मौका ही क्यों मिलता? वास्तवमें महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे भारत-रत्न जिन्नाके दरवाजेपर जाकर उनका महत्व बढ़ानेमें ही सहायक हुए और इसलिये जिन्ना अपनेको तीसमारखां समझने लगे और ऐसी मांगें पेश करने लगे, जिनको मंजूर करना मानो हिन्दुस्थानके हितकी हत्या करना है।

महात्माजी, राजाजी प्रभृति महानुभाव हिन्दू-मुस्लिम समस्या को हल करनेके अभिप्रायसे देशघातक पाकिस्तानकी माँग मंजूर करनेको तैयार हो गये, पर प्रश्न तो यह है कि क्या पाकिस्तानके निर्माणसे सचमुच हिन्दू और मुसलमानोंमें स्थायी समझौता और एकता हो सकेगी? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानके निर्माणसे हिन्दुस्तान का अस्तित्व सदा खतरे में रहेगा। पाकिस्तानके सत्ताधारी अफ़गानिस्तान, ईरान, अरब, और ईराक आदि मुस्लिम-प्रधान देशोंसे मिलकर हिन्दुस्तानको हड़पजानेके प्रयत्नसे बाज न आवेंगे। भारतमें स्थायी रूपसे लड़ाईकी आग लगी रहेगी। हिन्दुस्तानमें जो अल्प-मत मुसलमान रहेंगे, वही झगड़ेकी जड़ बनेंगे। समस्त हिन्दू-प्रान्तोंमें, जिनमें मुसलमान अल्प-मतमें होंगे, वे 'सुडेटन जर्मनोंकी भाँति 'पाकिस्तान'के मुसलमानोंसे प्रोत्साहन पाकर उसी प्रकार भारतीय स्वाधीनताके विनाश का बीज बोयेंगे, जिस प्रकार कि 'सुडेटन जर्मनों'ने नाज़ी-जर्मनीसे प्रोत्साहन पाकर जेकोस्लोवाकियाकी आज़ादीके विनाशमें योग दिया था

और अन्ततः हिटलरने उसे जर्मनीमें मिला करही दम लिया। इस समय भारतके सभी प्रान्तों और देशी रियासतोंमें मुसलमानोंकी आबादी फैली हुई है। वे हिन्दुओंके तथाकथित अत्याचारोंका बहाना बनाकर हिन्दुस्थानकी स्वाधीनताका नाश करना अपना मज़हबी फ़र्ज समझेंगे। अभी पिछली दशाब्दीमें जब कॉंग्रेसने अल्पकालके लिये भारतके सात प्रांतोंका शासन-सूत्र ग्रहण किया था तो उसकी मुसलमानोंके प्रति उदार-नीति और हिन्दुओंके प्रति उपेक्षा-वृत्ति देखकर न्याय-शील व्यक्तियोंको बड़ी व्यथा हुई थी, पर मुसलमानोंके प्रति उसके सद्व्यवहारका पुरस्कार मिला—"पीरपुरकी रिपोर्ट' जिसमें हिन्दुओंके अत्याचारोंकी ऐसी कपोल-कल्पित कहानियाँ दी गई हैं कि देखकर दङ्ग रह जाना पड़ता है।

जब बृटिश सरकारने भारतकी अनुमतिकी सर्वथा उपेक्षा कर सन् १९३९ में जर्मनीके विरुद्ध भारतकी ओरसे भी युद्ध घोषणा कर दी और उस राष्ट्रीय अपमानसे मर्माहत होकर कॉंग्रेस-मंत्री-मंडलने इस्तीफे दे दिये, तब मुसलमानोंने जिस कलुषित मनोवृत्तिका परिचय दिया वह क्या कभी भुलाई जा सकती है? मुस्लिम-लीगके मुल्ला जिन्नाके आदेशानुसार भारतके मुसलमानोंने कॉंग्रेस सरकारकी समाप्तिके उपलक्ष्यमें "मुक्ति दिवस" (Day of Deliverance) मनाया और यह कहकर खुशीका इजहार किया कि मुसलमानोंको कॉंग्रेस और हिन्दुओंके जुल्मसे छुटकारा मिल गया।

इस स्थितिमें यह अनुमान कर लेना कठिन नहीं है कि पाकिस्तान बन जाने पर क्या परिणाम होगा? हिन्दुस्थानमें अल्प-संख्यक मुसलमानोंके प्रश्न पर सदा अशांति बनी रहेगी और

पाकिस्तानसे संघर्ष होता रहेगा। परस्पर संधि तो होगी नहीं, पर स्थायी विग्रहकी ऐसी बुनियाद पड़ जायगी, जिसकी कल्पना मात्रसे हृदय प्रकम्पित हो उठता है। ऐसे तो मुसलमानोंमें राष्ट्रीयताके उदय होनेपर भविष्यमें कभी मेलजोलकी आशा भी की जा सकती है। यहाँके मुसलमान कबतक विश्वकी प्रगतिके प्रभावसे पृथक् रह सकेंगे? कबतक उनके नेता मजहबी ज़ोश उभाड़ कर उनको भेड़-बकरियोंकी भाँति हाँकते फिरेंगे? कबतक उनको राष्ट्रीयताकी विश्व व्यापी लहर से बचा कर रखा जा सकेगा? कबतक 'इस्लाम खतरे में' कह कर उनसे देश-द्रोहात्मक काम लिया जा सकेगा? कभी न कभी तो भारतके भले दिन लोटेंगे—मुसलमानोंमें राष्ट्रीयताकी भावना फैलेगी, चाहे कुछ देर से ही सही, पर फैलेगी अवश्य। तब यहांके मुस्लिम तरुण भी मिश्र और ईरानके युवकोंकी भांति राष्ट्रीय-भावनासे प्रेरित होकर वेद-शास्त्रोंको अपने देशकी पुरातन ज्ञान-निधि और अपने पूर्वजोंकी ओरसे मिली हुई साहित्यिक थाती समझेंगे, राम और कृष्ण को अपना पूज्य पूर्वज एवं रामायण और महाभारतको अपने वतनके अतीतकालका इतिहास मानेंगे,। मज़हबसे मुसलमान होते हुए भी कौमसे वे हिन्दुस्थानी होंगे और अपने देशके अतीत गौरव एवं पुरातन कृतियोंपर गर्व करेंगे। उसी दिनको लानेके लिये राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले साठ सालसे प्रयत्नशील है और भारत माता उसी दिनको उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। पर पाकिस्तानके निर्माणसे भारतकी इस आशा और आकांक्षा पर सदाके लिये चौका फिर जायगा वह दिन फिर कभी न आ सकेगा।

भारतको किसी भी उपायसे ग्रेट बृटेनके पँजेसे छुड़ाने के

लिये महात्माजी या राजाजी देशका बँटवारा करनेकी बात मान गये। पर सोचनेकी बात तो यह है कि देशका एक भाग हिन्दुस्थान और दूसरा भाग पाकिस्तान बन जानेपर सैनिक और आर्थिक दृष्टिसे दोनोंकी शक्ति इतनी क्षीण हो जायगी कि वे बृटिश सत्ताका एक बाल भी बाँका न कर सकेंगे और दोनों बृटेनके मुँहताज बने रहेंगे। यही नहीं, परस्पर संघर्ष होनेपर बृटेन ही पँच बनकर बन्दर-बाँट की नीति कार्यान्वित करता रहेगा। कौन नहीं जानता कि ब्रटेनकी नीति है-हिन्दू, मुसलमानोंमें फूट डाल कर उन पर शासन करना। क्या वही बृटेन पाकिस्तान और हिन्दुस्थानको लड़ा कर अपना मतलब गाँठने से बाज आवेगा ? सच बात तो यह है कि देशका विभाजन हो जानेपर भारतपर बृटेनकी सत्ता इतनी मजबूत हो जायगी कि त्रिकालमें भी हिलाये न हिलेगी। इसलिये पाकिस्तानके निर्माणसे आजादी तो अलग रही, हमेशाके लिये गुलामी गले पड़ जायगी।

जिन्नाको मुकम्मल आज़ादी चाहिये भी नहीं। उन्होंने लण्डन के "न्यूज क्रोनिकल"के प्रतिनिधिसे एक भेंटके दरम्यान साफ एलान कर दिया है कि भारतकी फौज और वैदेशिक नीतिका नियंत्रण तबतक बृटेनके हाथमें रहना चाहिये, जबतक कि हिन्दुस्थान और पाकिस्तान मिलकर इस जिम्मेवारीसे उसे बरी न कर दें। "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी"—न हिन्दुस्थान और पाकिस्तानमें कभी समझौता हो सकेगा और न बृटेनके लिये भारत छोड़ने का अवसर आवेगा।

इस समय भारत अपने भविष्यके चौराहेपर खड़ा है। एकबार अमेरिकाके सामने भी ऐसा ही विकट प्रसंग आ पड़ा था। वहाँके उत्तरीय रियासत वाले गुलामी प्रथाका मूलोच्छेद कर डालना चाहते थे और दक्षिणी रियासतवाले उसका रक्षण, पोषण और अभिवर्द्धन। इसी बात पर रार मच गई। दक्षिणकी कई रियासतों ने संयुक्त-राज्यसे सम्बन्ध-विच्छेदकी घोषणा भी कर दीं। उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति थे—अब्राहम लिङ्कन उनके सामने दो ही मार्ग थे—या तो अमेरिकाका अङ्ग-भङ्ग अथवा गृह-युद्ध (Civil War)। उन्होंने अमेरिकाको खण्ड-खण्ड, होने देनेकी अपेक्षा गृह-युद्धको ही श्रेयस्कर समझा। रण-चण्डीका ताण्डव-नृत्य, आरंभ हुआ, शोणितकी सरिता बह चली, बड़े-बड़े योद्धा और विद्वान् लड़ाईके मैदानमें काम आये। हजारों बच्चे अनाथ हो गये, हजारों सुहागिनियाँ विधवा बन बैठी। इस प्रकार भारीसेभारी बलिदान चढ़ा कर वहाँवालोंने अमेरिकाकी अखण्डताकी रक्षा की। अमेरिका संयुक्त राज्य बना रहा और आज वह ससारका सिरताज बन गया है। यदि उस समय गृह-युद्धके भयसे अमेरिकाके राष्ट्र-पति और नेता देशका विभाजन अंगीकार कर लेना उचित समझते तो आज अमेरिका विश्वमें एक नगण्य और तुच्छ देश होता, तीसरी श्रेणीकी शक्ति माना जाता और अपनी भूल पर पछताता होता।

आज भारतके सामने भी वही विकट समस्या आ पड़ी है। भारतका भाग्यभी भविष्यके गर्भमें अदृष्ट है। इस स्थितिमें प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है कि वह पाकिस्तानका अर्थ और उसका उद्देश्य समझे और अपना कर्तव्य निर्धारित करे। अतएव

इस अत्यावश्यक विषयपर एक तथ्यपूर्ण एवं प्रमाणित ग्रंथ की नितान्त आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति दयानंद-एँग्लो-वैदिक कालेजके वाइस-प्रिन्सपल श्री पंडित सूर्यदेवजी शर्मा, एम. ए., एल. टी., डी. लिट्. और सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री ओंकारनाथ जी 'दिनकर'की इस अनूठी कृतिसे हो सकेगी, ऐसी मेरी धारणा है।

हिन्दीमें अबतक पाकिस्तानपर ऐसा विशद, युक्तियुक्त एवं गवेषणापूर्ण ग्रंथ नहीं निकला है। यह ग्रंथ वास्तवमें पाकिस्तानका शब्द चित्र है, मुस्लिम-लीगकी नीति और उसके सर्व-सर्वा जिन्नाकी मनोवृत्तिका दर्पण है और है देशवासियोंको ऐसे खतरेकी चेतावनी, जिसकी उपेक्षा करना राष्ट्रीय आत्म-घात होगा। यह आवश्यक नहीं कि ग्रंथकारोंके अभिमतसे सर्वांशमें मैं सहमत होऊँ, पर मुझे यह स्वीकार करनेमें जरा भी संकोच नहीं है कि विद्वान् ग्रंथकारोंने वस्तु-स्थितिके निरूपणमें बड़ी सावधानी और बुद्धिमानीसे काम लिया है। ग्रंथकारोंको देश, काल और स्थितिका ज्ञान है, अपने कर्त्तव्य का भी ध्यान है और वे यह भी जानते हैं कि भारतमें हिन्दू और मुसलमान दो प्रधान सम्प्रदाय हैं। इनके झगड़े यदि तै न होंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इनकी देखादेखी अन्य छोटे-बड़े वर्ग भी भिन्नताको अपनायेंगे और भेदपरभेद बढ़ता ही जायगा। यदि पाकिस्तान बनता है तो सिखस्थान, द्रविड़-स्थान आदि क्यों नहीं बनना चाहिये? फिर तो सम्प्रदायके आधारपर सिख, जैन, ईसाई, पारसी, हरिजन इत्यादि सभी अपने अपने 'स्थान' बनानेका दावा कर सकते हैं और परिणाम यह होगा कि हिन्दुस्थानका नामोनिशान मिट जायगा।

हमारी बहुत दिनोंसे यह इच्छा थी कि पाकिस्तानपर एक प्रमाणित ग्रंथ निकले । सौभाग्यवश पं० सूर्यदेवजी और श्री दिनकरजीके इस ग्रंथसे वह इच्छा पूरी होरही है। ग्रंथकारोंने पाकिस्तानकी रूप-रेखा हमारे सामने रखनेकी चेष्टाकी है, जिसमें वे बहुत कुछ कृतकार्य भी हुए हैं। आशा है कि हिन्दी-संसार ग्रंथकारोंके इस प्रेमोपहारको स्वीकार कर उनके श्रमको सार्थक और सफल बनावेगा।

प्रवासी भवन,
आदर्शनगर, अजमेर
१ जनवरी १९४६ ई०

भवानीदयाल सन्यासी,
पूर्व-प्रधान: नेटाल इंडियन कांग्रेस ।
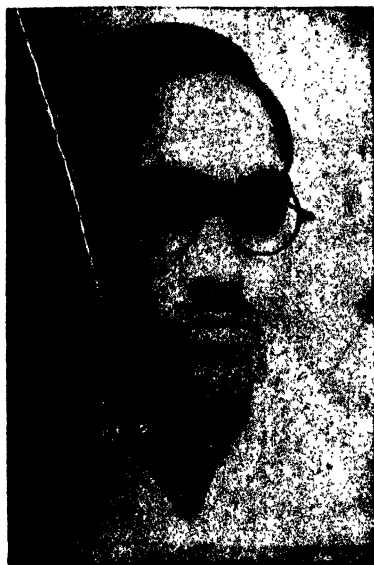
ग्रन्थकार

श्री० ओंकारनाथ दिनकर

बी० ए० (आनर्स), विशारद

अध्याय १

पाकिस्तान क्या है ?

भारतवर्ष के राजनीतिक क्षेत्र में गत कुछ वर्षों से पाकिस्तान का प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण ढंग से सबके सामने आरहा है। क्या हिन्दू, क्या राष्ट्रीय मुसलमान, क्या मुस्लिमलीग, क्या सिख सम्प्रदाय, क्या खाकसार पार्टी, क्या अन्य भारतीय राजनीतिक 'दल' क्या कॉंग्रेस तथा उसके नेतागण सबके सन्मुख पाकिस्तान की समस्या विभिन्न दृष्टिकोणों से आकर खड़ी होगई है। कोई कोई नेता और दल पाकिस्तान के पक्ष में जमीन-आस्मान के कुलावे मिला रहे हैं और अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगा कर उसीको भारतीय समस्याओं के सुलझाने का सर्वोत्तम उपाय बतलाते हैं तो कोई उसके विरोध में अपनी तर्क उपस्थित करते हैं और पाकिस्तान को भारतीय राष्ट्र की भावी उन्नति का परम विघातक समझते हैं। गत वर्षों में शायद ही ऐसी कोई राजनीतिक कान्फ्रेन्स अथवा किसी प्रगतिशील समाज की सभा भारत के किसी भी भाग में हुई हो जिसमें किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की चर्चा न आई हो अथवा उसके पक्ष में या विरोध में कोई प्रस्ताव अथवा भाषण न हुए हों।

मुस्लिम लीग के प्रधान तथा कार्यकर्त्ता तो पाकिस्तान को भारतवर्ष की साम्प्रदायिक समस्या का सबसे उत्तम और एक मात्र हल समझते हैं और कहते हैं कि गत अनेक वर्षों से जो साम्प्रदायिक वैमनस्य भारत में फैला हुआ है उसको दूर करने

का एक मात्र उपाय केवल पाकिस्तान ही है। यदि ऐसा है तो हमें देखना है कि जिस पाकिस्तान के इतने लम्बे चौड़े गीत गाये जाते हैं वह पाकिस्तान है क्या बला ? क्या उससे भारतीय समस्याओं का हल हो सकता है ? क्या भारत की भावी उन्नति में वह साधक हो सकता है अथवा बाधक ? क्या भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति में वह सहायक हो सकता है और क्या संसार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत की स्थिति को वह ऊँचा उठा सकता है ?

"पाकिस्तान" क्या है ? यह एक नवीन शब्द केवल पिछले दस बारह वर्ष से प्रयोग में आया है। सन् १९३३ ई० से पूर्व पाकिस्तान शब्द का भी कहीं अस्तित्व नहीं था। पाकिस्तान का अर्थ है पाक (पवित्र) + स्तिान (स्थान) अर्थात् पवित्र स्थान। मुसलमानों की दृष्टि में पवित्र स्थान वह कहलाता है जिसमें उनके मज़हबी कानून और कुरान पाक और शरीयत के नियमों का पालन किया जाता है। इसके अनुसार हमारे मुस्लिम लीगी भाई हिन्दुस्तान के उत्तरीय-पश्चिमीय कुछ प्रान्तों को जिनमें कि मुस्लिम जनता का बहुमत है, मिला कर उन्हें पाकिस्तान का नाम देना चाहते हैं। एन्साइक्लोपीडियां ऑफ इस्लाम (Enecyclopaedia of Islam) के सप्लीमेण्ट नं० ४ के पृष्ठ १७४ पर (जो सन् १९३७ में प्रकाशित हुई) पाकिस्तान के सम्बन्ध में निम्न लिखित वाक्य दिये गये हैं:—

PAKISTAN means the land of the Paks. The word Pak (Pure or clear) is not adequatily translatable into English, since it stands for all, that is noble and sacred in life

for a Muslim. The name 'Pakistan' which has come to be applied, though not officially, to the five Muslim Provinces in the North West of the present day India, is composed of letters taken from the names of her components, Punjab, Afganistan (N.W. Frontier Province of which the inhabitants are mainly Afghans), Kashmere, Sind, and Baluchastan, and was given to these territories by C. Rahamat Ali, founder of the Pakistan National Movement in 1933, with a view to Preserving their historical, national and political entity as distinct from Hindustan proper.

अर्थात्—"पाकिस्तान का अर्थ है पाक लोगों की भूमि। एक मुसलमान के जीवन में जो कुछ पवित्र है वह सब "पाक" शब्द से अभिप्रेत है, इसलिये पाकिस्तान उन उत्तरीय-पश्चिमीय मुस्लिम बहुल प्रान्तों के लिये प्रयुक्त किया जाता है जिनके अक्षरों को लेकर "पाकिस्तान" शब्द बना है जैसे पंजाब से P अफ़गानिस्तान से A (इससे उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्तसे मतलब है जिसमें कि अफ़गान लोगों की आबादी अधिक है) काश्मीर से K सिन्ध से S और बिलोचिस्तान से Tan इन प्रान्तों का यह नाम सबसे पहले पाकिस्तान आन्दोलन के प्रवर्त्तक चौधरी रहमत अली ने सन् १९३३ ई० में रखा था

ताकि इससे मुसलमानों का ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और राज-
नीतिक अस्तित्व खास हिन्दुस्तान से प्रथक् रखा जासके।"

लेकिन पाकिस्तान का उपरोक्त अर्थ अब इससे भी दो कदम आगे बढ़ गया है। सन् १९३३ ई० में मि० रहमतअली ने पाकिस्तान में जो प्रान्त सम्मिलित किये थे उनसे सन्तुष्ट न होकर सन् १९३७ ई० में उन्होंने स्वयं ही अपनी उपरोक्त योजना को बिस्तार दिया। तदनुसार भारत के पूर्वी प्रान्त बंगाल और आसाम को मिलाकर "बंगे इस्लाम" और दक्षिण हैदराबाद राज्य को "उस्मानिस्तान" नाम दिया और इन दोनों को भी पाकिस्तान की योजना में सम्मिलित कर लिया। मि..रहमत-अली केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुए, किन्तु सन् १९४२ ई० के अक्टूबर मास में उन्होंने अपनी योजना को और विस्तृत करके उसमें 'मुईन-स्तान' (अजमेर-मेरवाड़ा) हैदर-स्तान (लखनऊ-अवध) सिद्दीक-स्तान (भूपाल राज्य आदि) फ़रूक.स्तान (बिहार उड़ीसा के कुछ भाग) मोपला-स्तान (मलाबार तट) तथा—नासरस्तान और सफी-स्तान (लंकाके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग) इत्यादि सात प्रान्त और भी सम्मिलित कर लिये हैं। उनकी नवीन व्याख्याओं के अनुसार पाकिस्तान का स्वरूप अब मोटे तौर से निम्न प्रकार होगा:—

(१) पाकिस्तान में उपरोक्त तीन मुख्य राष्ट्र: पाकिस्तान बंगिस्तान और उस्मानिस्तान तथा सात छोटे छोटे अधिकृत राज (Dependencies) होंगे।

(२) भारतका नाम इन्डिया (India) न होकर उसे दीनिया (Dinia) महाद्वीप कहा जायगा जिसमें उपरोक्त दस मुस्लिम राष्ट्र सम्मिलित होंगे।

पाकिस्तान योजना के आदि प्रवर्तक चौ० रहमत अली द्वारा
प्रस्तावित पाकिस्तान की अन्तिम रूपरेखा
(जिसमें भारत के ११ भाग सम्मिलित किये गये हैं)।

(३) इनमें से प्रत्येक राष्ट्र अपने आन्तरिक प्रबन्ध में स्वतन्त्र होगा लेकिन प्रत्येक एक प्रथक् राष्ट्र (Nation) कहलायगा।

(४) मुस्लिम शरीयत के अनुसार कानून और नियमों का पालन होगा।

(५) इन सबको मिला कर पाक-राष्ट्र-संघ (Pak Commonwealth of Nations) बनाया जायगा।

(६) दीनिया (Dinia) तथा अन्य मुस्लिम राष्ट्रों को मिला कर पाकेशिया (Pakasia) नाम दिया जायगा।

(७) जो भाग हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के लिये बच रहेंगे उनमें भी जो मुसलमान रहेंगे उनकी संख्या के अनुपात से भूमि भाग बढ़ाया जायगा और उनको दीनिया (Dinia) या पाकिस्तान में सम्मिलित किया जायगा। इस प्रकार की योजना चौधरी रहमत अली, एम. ए. एल. एल. बी. ने अपनी पुस्तक "मिल्लत एण्ड मिशन" (The Millat and the Mission) में प्रकाशित की है जो प्रथम बार अक्टूबर सन् १९४२ ई० में, दूसरी बार १९४३ में, तीसरी बार अगस्त १९ ४४ में कैम्ब्रिज (इंगलैण्ड) से प्रकाशित हुई है।

यह योजना पाकिस्तान के प्रवर्त्तक मि. रहमतअली की बनाई हुई है, लेकिन इससे सब पकिस्तानी पक्ष के मुसलमान भी पूर्णरूप से सहमत नहीं हैं। इसलिये विभिन्न लोगों ने पाकिस्तान

के सम्बन्ध की विभिन्न लोगोंने कई अन्य योजनाएं भी प्रस्तुत की हैं जिनका वर्णन आगे किया जायगा। वास्तव में मुस्लिम लीग, जिसने कि पाकिस्तान को ही अपना ध्येय बनालिया है, की ओर से अभीतक कोई निश्चित योजना प्रकाशित नहीं हुई। मुस्लिम लीग के प्रधान मि. जिन्ना से भारत के अनेक नेताओं और संस्थाओं ने बार बार प्रश्न किये और पाकिस्तान की सीमा, विधान, शासन-प्रणाली आदि की पूर्ण रूप से व्याख्या करने की प्रार्थना की लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कभी कोई उत्तर नहीं दिया और उनकी परिभाषा में "पाकिस्तान क्या है" यह बतलाने से ही इन्कार करते रहे। हां, अभी गत मास में मुस्लिम लीग के मन्त्री नवाबज़ादा लियाकत अलीखाँ ने अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के छात्रों की सभामें भाषण देते हुए तथा लीग के प्रधान मि. जिन्ना ने तारीख १७ अक्टूबर सन् १९४५ को क्वेटा में भाषण देते हुए मोटे तौर से केवल यह बतलाया कि पाकिस्तान में भारत के उत्तर-पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रान्त तथा बंगाल और आसाम सम्मिलित होंगे तथा वहां की रहने वाली हिन्दू और सिख आदि अल्प संख्यक जातियां उन्हीं प्रान्तों में रहने दी जायगीं उसके बाद ता० ८ नवम्बर १९४५ को बम्बई में एक विदेशी पत्रकार से भेंट करते समय मि. जिन्ना ने "पाकिस्तान" के ऊपर कुछ और प्रकाश डाला है जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। फिर भी अभीतक पाकिस्तान के वास्तविक स्वरूप, उसकी सीमा निर्धारण, उसका शासन.विधान, राष्ट्रीय रक्षा (National Defence) आर्थिक दशा, अल्प संख्यक जातियों का संरक्षण, शेष हिन्दुस्तान से उसका सम्बन्ध, वैदेशिक व्यापार, अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध आदि बातों पर मुस्लिम लीग की ओर से कोई प्रकाश

नहीं डाला गया है। केवल मज़हब के नाम पर, दीन और मिल्लत की हिफ़ाजत के नाम पर पाकिस्तान के सब्ज बाग दिखला कर भोले—भाले मुसलमान भाइयों को उसके पक्ष में बहकाया जा रहा है। उन बेचारे मुसलमान भाइयों को यह पता भी नहीं कि पाकिस्तान में होगा क्या ? इसका आन्दोलन उठाया क्यों गया है ? उसकी योजना के मूल में क्या है ? उसका इतिहास क्या है और उसका परिणाम देश के लिये: क्या होगा ? हिन्दुओं के लिये क्या होगा और खास मुसलमानों के लिये क्या होगा ? इसलिये, आइये:हम पाकिस्तान की योजना पर एक दृष्टि डालें।

अध्याय २

पाकिस्तान--योजना का इतिहास

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, पाकिस्तान योजना चौधरी रहमतअली के दिमाग़ की उपज है और पाकिस्तान शब्द भी उन्हीं का गढ़ा हुआ है लेकिन उनसे पूर्व भी, यद्यपि यह शब्द और इस प्रकार की योजना किसी ने प्रस्तुत नहीं की थी, फिर भी कुछ लोगों के मस्तिष्क में ऐसी भावनाएं एवं इस प्रकार के विचार अवश्य आये थे।

[१] सन् १९२३ ई० में अजुंमन इस्लामियां, डेरा ग़ाजीखां के प्रधान सरदार मोहम्मद ख़ान गुल ने सीमा प्रान्तीय जांच कमेटी के सामने साक्षी देते हुए कहा था "उनके (मुसलमानों के) विचार में हिन्दू-मुस्लिम एकता

वास्तविक रूप से कभी नहीं हो सकती। यह कभी घटित होना सम्भव ही नहीं। हम समझते हैं कि सीमा प्रान्त पृथक ही रहना चाहिये। वह अंग्रेजी राज और इस्लाम के बीच की कड़ी बनी रहनी चाहिये। यदि आप वास्तव में मुझसे पूछें कि निजकी सम्मति क्या है तो मैं अंजुमन के सदस्य होने के नाते कहूँगा कि हम लोग हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग-अलग ही देखना चाहेंगे। तेईस करोड़ हिन्दू लोग दक्षिण में रहें और आठ करोड़ मुसलमान उत्तर में रहें। कन्या कुमारी अन्तरीप से लेकर आगरे तक का सारा भाग हिन्दुओं को देदिया जाय और आगरे से पेशावर तक सब भाग मुसलमानों को देदिया जाय। कहने का अभिप्राय यह है कि हिन्दू-मुसलमान अपने अपने स्थान परिवर्त्तन करलें, वे एक देश को छोड़ कर दूसरे स्थान में जा बसें।

(जांच कमेटी रिपोर्ट पृष्ठ १२२)

[२] इसी प्रकार सन् १९२४ ई० में बम्बई की मुस्लिम लीग की एक बैठक में मौ० मुहम्मद अली ने सुझाया कि सीमा प्रान्त के मुसलमानों को यह निर्णय करने का स्वयं अधिकार होना चाहिये कि वे अपना सम्बन्ध काबुल के साथ रखें या हिन्दुस्तान के साथ। उन्होंने एक अंग्रेज लेखक का उद्धरण देते हुए यह भी कहा कि यदि कुस्तुनतुनिया से देहली तक एक रेखा खींची जाय तो स्पष्ट रूप से सहारनपुर तक एक पूरी की पूरी पट्टी मुसलमानों से बसी हुई नज़र आयेगी।

[३] इससे भी पूर्व मि. सैय्यद जमालुद्दीन (जिनकी मृत्यु सन् १८९७ में हुई) ने मुस्लिम विश्व संघ (Pan-

Islamism) की योजना बनाई थी जिसके अनुसार अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित मरक्को देश से लेकर एशिया के पूर्वी द्वीप समूह और हिन्द चीन तक समस्त मुस्लिम राज्यों के संघठन का प्रबल प्रयत्न किया गया था। जिसके अनुरूप ही आगे चल कर डा० मोहम्मद इकबाल ने लिखा था:—

"चीनो अरब हमारा, हिन्दोस्ताँ हमारा।
मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा॥"

[४] लेकिन इन योजनाओं में पाकिस्तान का अलग कोई जिक्र नहीं था। यहां तक कि बहुत से लोग यद्यपि सर मोहम्मद इक़बाल को पाकिस्तान योजना का प्रवर्तक समझते हैं क्योंकि २९ दिसम्बर सन् १९३० ई० को इलाहाबाद में होने वाले ऑल इण्डिया मुस्लिमलीग के वार्षिक अधिवेशन के प्रधान पद से उन्होंने अपने भाषण में इस प्रकार का कुछ भाव प्रगट किया था, लेकिन उन्होंने भी तब तक पाकिस्तान का स्वप्न नहीं देखा था। उन्होंने कहा था:—

"Muslim India within India."

"Personally I would go further than the demands embodied in it (The resolution of the All Partis Muslim Conference, Delhi, 1928), I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Bluchistan amalgamated into a single State. Self-Government within the British Empire, or

without the British Empire, the formation of Consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of the North-west India."

[The Indian Annual Register, 1930 vol. II pp. 338.]

अर्थात्—"भारत के अन्दर मुस्लिम भारत"

"व्यक्तिगत रूपसे मैं सर्व दल मुस्लिम कान्फ्रेन्स दिल्ली के सन् १९२८ के प्रस्ताव में आई हुई मांगों से आगे बढ़ जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि पंजाब, सीमाप्रांत, सिन्ध और बिलोचिस्तान को एक राज्य में संघठित देखूं, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हो, चाहे उसके बाहर, स्वराज्य अर्थात् उत्तरी-पश्चिमी भारतीय संघठित मुस्लिम राज्य मेरे लिये मुसलमानों का अन्तिम ध्येय है। यदि सबका नहीं तो उत्तर पश्चिमी भारत के मुसलमानों का तो है ही।"

उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि डा० इक़बाल भारत को दो भागों या राष्ट्रों में बांट कर पाकिस्तान बनाना तो नहीं चाहते थे, हां उत्तरी-पश्चिमी मुस्लिम राष्ट्रों के संघठन को देखना चाहते थे क्योंकि शायद वह इसको भारत की साम्प्रदायिक समस्या का हल समझते थे, जैसा कि उन्होंने उसी भाषण में आगे कहा है:—

"We have a duty to-wards India, where we are destined to live and die.......The Muslims demand federation because it is pre-eminently a

solution of Indias' most difficult problem, *i.e.*, the communal problem."

अर्थात्—"हमारा कर्त्तव्य भारत के प्रति कुछ है जहां कि हमें रहना और मरना है.........। मुसलमान एक संघ की मांग इसलिये करते हैं कि वह भारत की सबसे कठिन, साम्प्रदायिक समस्या का मुख्य हल है।"

आगे उन्होंने और भी कहा है:—

"The unity of Indian Nation must be sought in the mutual harmony and Co-operation of the many."

अर्थात्—"भारतीय राष्ट्र की एकता पारस्परिक समन्वय और सब लोगों के सहयोग से स्थिर रखनी चाहिये।"

यही नहीं, किन्तु जब सर मोहम्मद इक़बाल को यह मालूम हुआ कि उनके इस भाषण से लोग उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों को भारत से पृथक् करने का अर्थ ले रहे हैं तो उन्होंने अपने इस विचार को भी वापिस ले लिया। जैसा कि मि० मलिक बरकतअली ने सन् १६३१ के पंजाब राष्ट्रीय मुस्लिम कान्फ्रेंस की लाहौर की बैठक के स्वागताध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था:—

"I am glad to be able to say that Sir Mohammad Iqwal has since recanted it."

["Throughts on Pakistan" by Dr. Ambedkar, 1941, pp. 326.]

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि डा० इक़बाल के भाषण में पाकिस्तान योजना का लेशमात्र भी अंश नहीं था। वह तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में ही देखना चाहते थे। हां, उनके भाषण में उत्तरी-पश्चिमी मुस्लिम प्रान्तों के संगठन का भाव अवश्य था जो आगे चलकर वर्त्तमान पाकिस्तान योजना का आधार बनाया गया।

पाकिस्तान योजना के प्रवर्त्तक

[५] पाकिस्तान योजना के मुख्य प्रवर्त्तक चौधरी रहमत अली साहब हैं। जिनके सम्बन्ध में मि० खान अहमद ने सितम्बर सन् १९४२ ई० में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 'दी फाउण्डर ऑफ पाकिस्तान' (The Founder of Pakistan) जोकि कैम्ब्रिज में छपी है और ग्रेट रसैल स्ट्रीट, लन्दन से प्राप्त हो सकती है। मि० खान अहमद ने उस पुस्तक में सिद्ध किया है कि पाकिस्तान योजना के मुख्य प्रवर्त्तक चौधरी रहमतअली ही हैं और इस्लाम मज़हब और मिल्लत की रक्षा करने के लिये हिन्दुस्तान में पाकिस्तान की योजना चलाने का सारा श्रेय उन्हीं को है। डा० इक़बाल आदि और किसी को नहीं।

चौधरी रहमत अली सन् १९३३ ई० में इंगलैण्ड की कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी के एक विद्यार्थी थे। वह मोहरे (पंजाब) के हाजी चौधरी शाह मौहम्मद के लड़के हैं। जिस समय लन्दन में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेन्स (सन् १९३२ ई०) होरही थी और भारत के भावी विधान संघ शासन को भारतीय मुसलमान प्रतिनिधि स्वीकार

कर रहे थे, उस समय २८ जनवरी सन् १९३३ ई० को चौधरी रहमतअली ने "Now or Never" (अभी या कभी नहीं) नामकी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें सबसे प्रथम पाकिस्तान की योजना का प्रतिपादन किया गया। सबसे पहले इसी पुस्तक में मुसलमानों को एक प्रथक् राष्ट्र (Nation) कहा गया और जैसाकि हम पूर्व लिख आये हैं, भारत के उत्तरीय-पश्चिमी प्रान्तों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने का यह आयोजन किया गया। इस पुस्तक का बृटिश पार्लियामेंट के मैम्बरों और अन्य अधिकारियों में बहुत प्रचार किया गया। इस प्रचार और प्रोपैगैण्डा के लिये एक साधारण विद्यार्थी रहमतअली के पास धन कहां से आता था, इस विषय पर डा० शौकतुल्ला अन्सारी ने अपनी पुस्तक "पाकिस्तान" के पृष्ठ ६ व ७ पर लिखा है।

At the time it was generally believed among Indian students at Cambridge that Ch. Rahamat Ali, who was not persuing any specific course of studies and had no ostensible means of support, but at the same-time had ample funds for his somewhat luxurious entertainments of celebrities and propagandist activities, derivied his inspiration and funds from the India Office. This seems to be confirmed by the fact that although in India no one had heard or talked of Pakistan and the Muslim delegation (to the Round Table

Table Conference) showed no interest in it, yet the Diehard Press and the Churchill-Lloyd Group waxed eloquent and......questions were asked in the Houses of Parliament on several occasions."

अर्थात्—"उस समय कैम्ब्रिज के भारतीय विद्यार्थियों का साधारणतः यह विश्वास था कि चौधरी रहमत अली को जोकि न तो कोई विशेष पढ़ाई कर रहे थे और न जिनके पास अपने व्यय चलाने के लिये स्पष्ट साधन था, लेकिन फिर भी जो प्रोपेगैण्डा और मज़ेदार दावतों आदि में खूब रुपया उड़ाते थे, उनको इन सब बातों के लिये प्रेरणा और धन (लन्दन के) भारतीय कार्यालय से मिलता था। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि यद्यपि तब तक भारत में पाकिस्तान का नाम न तो किसी ने सुना था और न कोई उसकी चर्चा थी और न गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने उसके प्रति कोई रुचि दिखलाई थी, तो भी इंगलैण्ड का चर्चिल-लायड दल और कट्टर पंथी प्रेस उसका बढ़ाचढ़ा कर वर्णन कर रहे थे और पार्लियामेण्ट की दोनों सभाओं में उस पर अनेक बार प्रश्न किये गये थे।"

उपरोक्त कथन की पुष्टि उन प्रश्नोत्तरों से भी होती है जो १ अगस्त सन् १९३३ को ज्वायण्ट पार्लियामैण्ट्री सैलैक्ट कमेटी और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स के मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच में हुए। ये प्रश्नोत्तर प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ विधान के सम्बन्ध में निम्न प्रकार किये गये;—

(प्रश्न) ९५९८-सर रैजीनैल्ड क्रैडक—"क्या कोई प्रतिनिधि बतायेंगे कि पाकिस्तान नाम से कुछ प्रान्तों का संघ बनाने की कोई योजना है ?

(उत्तर) ए० यूसुफअली—जहाँ तक मुझे मालूम है, यह केवल एक विद्यार्थी की योजना है, किन्हीं अधिकारी लोगों ने उसे उपस्थित नहीं किया है। (As far as I know it is only a Student's Scheme; no responsible people have put it forward.)

(प्रश्न) ९५९९-मि० आईजक फुट (What is Pakistan?) (पाकिस्तान क्या है ?)

(उत्तर) मि० जफ़रुल्लाखां - (So far as we have considered it, we have considered it chimerical and inpracticable.) (जहां तक हमने विचार किया है, हम उसको काल्पनिक और अव्यवहारिक समझते हैं।)

इसी प्रकार प्रश्न नं० ९६०० का उत्तर देते हुए डाक्टर खलीफ़ा शुजाउद्दीन ने कहा कि इतना कहना शायद पर्याप्त होगा कि इस प्रकार की कोई पाकिस्तानी योजना अब तक किसी प्रतिनिधि, व्यक्ति अथवा संस्था की कल्पना में भी नहीं है।

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि पाकिस्तान योजना के मूल में कौन शक्ति काम कर रही थी ? चौधरी रहमत अली तो केवल एक साधनमात्र थे जिनको शिखण्डी बना

उनकी आड़ में से तीर चलाने वाले कोई और ही थे। जिनकी नीति हमेशा Divide and Rule (फूट डालो और शासन करो) की ही रही है और जो लगभग २०० वर्ष से इसी भेद नीति से भारत पर शासन करते चले आरहे हैं। भारत के इन शासकों ने जब देखा कि सन् १९३० के आन्दोलन में लगभग समस्त देश कांग्रेस का सहयोग देरहा था और उसकी शक्ति दिनोदिन प्रबल होती जारही थी, तो हिन्दू मुस्लिमों में परस्पर फूट डालने के लिये पाकिस्तान का एक खिलौना लाकर खड़ा कर दिया जिसके कारण मुसलमान हिन्दुओं से कभी सहयोग ही न करें और भारत के ये नासमझ बच्चे आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। लेकिन इस योजना का प्रवर्त्तक भी दुर्भाग्य से एक भारतीय मुसलमान ही बना और अब उसका बोया हुआ बीज मुस्लिम लीग रूपी भूमि में अच्छी तरह जड़ पकड़ रहा है।

[६] सन् १९३३ ई० के बाद भी पाकिस्तान योजना का प्रचार भारत में विशेष रूप से नहीं हुआ केवल इंगलैण्ड में पढ़ने वाले कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों तक ही सीमित रहा। सन् १९३५ ई० में मि० रहमतअली ने अपनी योजना को प्रचारित करने के लिये एक छोटीसी पुस्तक और लिखी और उसको भारत के विभिन्न मुस्लिम नेताओं और संस्थाओं में बांटा गया।

[७] सन् १९३७ ई० में जबकि भारत के लगभग सभी प्रांतों के असेम्बली के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों की विजय हुई और मुस्लिम लीग को करारी हार खानी पड़ी तथा जब कांग्रेसियों ने अपने मंत्री-मंडल बनाये तब चौधरी

रहमत अली को फिर जोश आया अथवा जोश दिलाया गया तब उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने "बंगे इस्लाम" और दक्षिण में "उस्मानिस्तान" बनाने की योजना मूल योजना से और बढ़ा दी और मुसलमानों को यह शिक्षा दी कि वे अपने को किसी दशा में भी भारतीय (Indian) न कहें।

[८] निर्वाचनों में मुस्लिम-लीग की पराजय और नवीन पाकिस्तान-योजना का प्रचार इन दोनों बातों ने मुस्लिम लीग पर प्रभाव डाला और उसने कांग्रेस के उद्भव से खिन्न होकर अपने अक्टूबर सन् १९३७ के लखनऊ-अधिवेशन में कांग्रेस के स्वराज्य-प्रस्ताव पर आक्रमण करते हुए उसका जोरदार विरोध किया और निश्चय कर दिया कि बहुमत के साथ कोई समझौता सम्भव नहीं (No Settlement with the majority is possible) इसके पश्चात् सन् १९३८ में कांग्रेस के लगभग प्रत्येक कार्य का मुस्लिम लीग विरोध करने लगी जैसे 'तिलक दिवस' का मनाना, कांग्रेस झण्डे का सार्वजनिक भवनों पर लगाया जाना, बन्देमातरम् गायन मध्य प्रान्तीय सरकार की विद्या-मन्दिर-योजना तथा शिक्षा की वर्धा-शिक्षा-योजना इत्यादि। उसी समय मुस्लिम लीग ने अपनी ११ मांगें जून सन् १९३८ ई० में कांग्रेस के सामने रखीं उनमें से कुछ ये हैं:

(१) बन्देमातरम गायन को बन्द कर दिया जाय।

(२) मुसलमानों को गोवध करने से न रोका जाय।

(३) इस्लामी कानून और संस्कृति को आदर दिया जाय।

(४) उर्दू के प्रचार में कोई बाधा न डाली जाय।

(५) निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर प्रथक् २ रहे ।

(६) कांग्रेस का तिरंगा झंडा बदल दिया जाय अथवा उसके साथ मुस्लिम लीग के झंडे को समान स्थान दिया जाय ।

(७) मुस्लिम लीग को भारत के समस्त मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था मान लिया जाय····· इत्यादि ।

इसके साथ ही पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, फजलुलहक द्वारा " कांग्रेसी राज्य में मुस्लिम यातनायें" तथा कमाल यार जंग की शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट आदि प्रकाशनों ने मुस्लिम लीग की कांग्रेस विरोधी भावना में और भी आग में घृताहुति का काम किया। जिसका फल वही हुआ जो होना था अर्थात् मि० रहमतअली का जादू काम कर गया ।

[६] अक्टूबर सन् १६३८ ई० में सिंध प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने मि० जिन्ना के सभापतित्व में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें भारतीय इतिहास में सबसे पहले हिन्दू और मुसलमानों को पृथक् राष्ट्र (Nations) कहा गया तथा साथ ही लिखा गया:—

"India may be divided into two Federations. Federation of Muslim States and Federation of No—Muslim States.":—

अर्थात्—भारत में हिंदू और मुसलमानों के दो अलग २ संघ बनाये जायें ।

कहना न होगा कि सबसे प्रथम जिस सिंध प्रान्तीय मुस्लिम लीग के सभापति मि० जिन्ना थे, उन्होंने भारत में दो पृथक्

शासन संघ और हिंदू-मुस्लिम दो पृथक् राष्ट्रों के प्रस्ताव को पास किया।

[१०] अबतक मुस्लिम लीग केवल अपने धार्मिक और राजनैतिक अधिकारों की रक्षा के लिये ही सतर्क थी लेकिन सन् १९३८ के सिंध प्रान्तीय मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के प्रभाव से सन् १९४० में २६ मार्च को ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग ने भी सर्व प्रथम अपनी लाहौर की बैठक में मि० जिन्ना के सभा पतित्व में वह मुख्य प्रस्ताव पास किया जिसमें पाकिस्तान बनाने की योजना निहित है, तथा जिसमें हिंदू और मुसलमानों को दो पृथक राष्ट्र(*Nations*) मानकर भारत के बटवारे का विचार प्रगट किया गया। भारत माता के खण्ड-खण्ड करने का अभिशाप रूपी यही प्रस्ताव अब मुस्लिम लीग का मुख्य आधार बन गया है। भारत के इतिहास में यह दिन सबसे मनहूस और अशुभ गिना जायगा जबकि भारत को खण्ड-खण्ड करने के लिए यह प्रस्ताव पास किया गया।

[११] ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग आगे यहांतक बढ़ी कि सन् १९४१ में मद्रास अधिवेशन में उसने पाकिस्तान को अपना ध्येय ही बना लिया और इसके लिए उसने अपने विधान में परिवर्तन तक कर लिया। जिस मुस्लिम लीग का ध्येय अब तक केवल मुस्लिम हितों की रक्षा करना रहा था जो अपने को भारत की अल्प-संख्यक-जाति कहती थी वही मुस्लिम-लीग अब भारत के टुकड़े करके पृथक् मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर कटिबद्ध हो गई। सन् १९ ४० तक मि० जिन्ना भी भारतीय मुसलमानों को एक अल्पसंख्यक जाति (Minority) और एक संप्रदाय (Commu-

nity) कहते थे जैसाकि उन्होंने १९३७ के लखनऊ-अधिवेशन के अध्यक्ष-पद से दिये गये भाषण में कहा था। लेकिन वही मि० जिन्ना अब उस संप्रदाय (Community) को राष्ट्र (Nation) कहने लगे हैं। कितना महान् परिवर्त्तन !

लेकिन पाकिस्तान को अपना ध्येय बनाकर मुस्लिम लीग अपने असली उद्देश्य से ही गिर गई है, जैसा कि बंगाल के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता श्री हुँमायू कबीर ने अपनी पुस्तक "Muslim Politics" के पृष्ठ ४५ पर लिखा है:—

"In a sense, it has destroyed the very basis of the League. So ong as the League has stressed the identity of interest of all Muslims in India. Pakistan marks a belated recognition that such interests are different. Programmes and policies for Muslims in areas where they are in a majority will be different from those in areas where they are in minority...... The League has thus abjured by implication, if not directly, its accepted creed till now that Muslim interests are indivisible and identical for the whole of India."

अर्थात्—"एक प्रकार से उसने (पाकिस्तान के प्रस्ताव ने) लीग का मुख्य आधार ही नष्ट कर दिया अबतक लीग भारत के समस्त मुसलमानों के हितों पर जोर देती थी पाकिस्तान ने बाद में यह सिद्ध कर दिया कि ये मुस्लिम हित विभिन्न हैं। अब उन प्रान्तों के मुसलमानों के प्रोग्राम और नीति, जहां उनकी अधिक संख्या है, उन प्रान्तों के मुसलमानों की नीति और प्रोग्राम से, जहां उनकी कम संख्या है, भिन्न होगी। इस प्रकार लीग ने,

सीधे तौर से न सही, तो आशय रूपेण अपने अबतक के उस ध्येय को बिलकुल त्याग दिया जिसमें कि कहा गया था कि भारत के समस्त मुसलमानों के हित समान, अविभाज्य और एकसे हैं ।"

[१२] जैसा कि पूर्व लिखा जा चुका है, अक्टूबर सन् १६४२ई० में पाकिस्तान के प्रवर्तक चौधरी रहमतअली ने अपनी नवीन पुस्तक "मिल्लत और मिशन" में पाकिस्तान की योजना को और विस्तृत कर दिया ह और उसमें पाकिस्तान "बंगे इस्लाम" और "उस्मानिस्तान" के साथ भारत के सात अन्य " स्तान " भी सम्मिलित किये हैं जिनका कि वर्णन पहले हो चुका है ।

आश्चर्य की बात है कि मि० जिन्ना जोकि अब लीग के प्रधान के रूप में पाकिस्तान के सब से बड़े समर्थक हैं, पहले पाकिस्तान योजना के प्रबल विरोधी थे उन्होंने जब चौ० रहमत-अली की पाकिस्तान योजना को सुना तो उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया और चौ० रहमतअली को एक "Irresponsible person" (अनुत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्ति) तथा उनकी योजना को 'Crazy Scheme' (पागलपन की योजना) बतलाया। इसके उत्तर में मि० रहमतअली ने मि० जिन्ना को Boozna or Boboon of Bombay (बम्बई का बन्दर) तक कहा जोकि राजनीति में भी खुद कुछ नहीं सोच सकते केवल बन्दरों की तरह नकल करना जानते हैं। ("The Founder of Pakistan" by Mr. Khan Ahmad पृष्ठ १६)

इसी प्रकार मुस्लिम लीग ने भी प्रारम्भ में पाकिस्तान का विरोध किया किन्तु न मालूम फिर किस तरह मि० जिन्ना और उनकी लीग पाकिस्तान के हामी हो गये ।

"जिन्ना की जिद् कहें इसे या मुस्लिगलीगी माँग कहें ?
पाकिस्तान कहें हम इसको या भारत दुर्भाग्य कहें ?"

अध्याय ३

तिकोना संघर्ष।

पाकिस्तान योजना के इतिहास का सम्बन्ध, जैसाकि दूसरे अध्याय में लिखा गया है,विशेषत: मुस्लिम-लीग, राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बृटिश सरकार से सटा हुआ है। इसमें से किसी एक को भी अलग रखकर यह इतिहास वार्ता पूरी नहीं होसकती। श्री० गोखले के विचार के अनुसार हिन्दुस्तानियों की अंग्रेज सरकार से लड़ाई समझना भूल है। यह तो अंग्रेज-सरकार, मुसलमानों और हिन्दुओं का एक तिकोना संघर्ष है। जैसेकि रेखा-गणित (Geometry) में किसी त्रिभुज (Tringle) की कोई दो भुजाएं मिलकर, चाहे वे कितनी ही छोटी छोटी हों, तीसरी भुजा से बड़ी हो जाती हैं। उसी प्रकार भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेज सरकार मुसलमानों और हिन्दू इन तीनों का संघर्ष आपड़ा है। इनमें से अब कोई भी दो दल परस्पर मिल जायंगे तो वे तीसरे दल से अधिक शक्तिशाली और बड़े हो जायंगे इसी को लोकमान्य तिलक भी तिकोनी लड़ाई (Tringular Fight) कहते थे। इस तिकोनी लड़ाई के रहस्य को हमारी सरकार ने भलीभाँति समझ रखा है। वह जानती है कि यदि हिन्दू और मुसलमान दो भुजाएं मिल जायेंगी तो उनका जोड़ और संगठित शक्ति सरकार की शक्ति से बड़ी हो जायगी और वह फिर भारत में बृटिश शासन के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसीलिये समय-समय पर अंग्रेज-सरकार हिन्दू और मुसलमानों के सन्मुख कोई न कोई ऐसी चीज लाकर उपस्थित करती रही है जिससे वे एक दूसरे से न मिल सकें।

इस बात को कांग्रेस ने अनेक बार कहा है और अपने प्रस्तावों तक में लिखा है जैसाकि आगे दिये हुए कांग्रेस के तत्सम्बन्धी' प्रस्तावों से प्रगट हो जायगा।

इसी बात को बिहार के कांग्रेसी नेता डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने लहरिया सराय में तारीख १६ नवम्बर १६४५ को एक सभा में व्याख्यान देते हुए कहा था, "हिन्दू और मुसलमान एक त्रिभुज की दो भुजायें हैं जिसका कि आधार (base) एक तीसरी पार्टी (सरकार) है। जैसे ही आधार (base) लम्बाई में बढ़ता है, तीसरी पार्टी अधिक बलवान होती है वैसे ही दो भुजाओं के बीच का कोण (हिन्दू मुसलमानों का मतभेद) अधिकाधिक बढ़ता जाता है। और यदि एकबार उस आधार (base) को पृथक् कर दिया जाय तो (हिन्दू और मुसलमान) दोनों भुजायें मिल जायेंगी। उनका मत-भेद रूपी कोण मिट जायगा। (Hindustan Times 18-11-45)

भारत सरकार की नीति

वास्तव में बृटिश साम्राज्य की इस नीति का दिग्दर्शन तो प्रोफेसर सिलेने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'Expansion of England' में बहुत पहले ही (१६०३से पूर्व) कर दिया था। प्राचीन से रोमन साम्राज्य का फार्मूला Divide and Rule (फूट डालो और राज्य करो) को बृटश साम्राज्य ने भी अपनाया।

भारतीय मुसलमानों के सर्वप्रथम नेता सर सैय्यद अहमदखाँ हिन्दू-मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे। सन् १८८४ में गुरु-दासपुर (पंजाब) के एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था " हिन्दू और मुसलमान भाइयों ! क्या तुम इसी देश में जलाये और दफनाये

नहीं जाते ? याद रखो कि हिन्दू और मुस्लिम शब्दों का प्रयोग धर्मशास्त्र का भेद बताने के लिये है, वैसे सब लोग ईसाई और मुसलमान और हिन्दू मिलकर एक ही राष्ट्र बनाते हैं—भारत एक राष्ट्र है हिन्दू और मुसलमान उसकी दो आंखें हैं।"

कुछ दिनों बाद अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रिंसिपल मि० बेक के समझाने से सर सैय्यद अहमदखाँ के भी विचार कुछ बदल गये। इन्हीं बेक महोदय ने हिन्दू और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिये सन् १८८९ में मुसलमानों से एक प्रार्थना-पत्र तैयार करवाया जिस पर हज़ारों मुसलमानों के हस्ताक्षर कराये गये जिसमें भारतीयों को शासन प्रबंध में भाग देने का विरोध किया गया था। सन् १८९६ में "Mohemedan Anglo Oriental Defence Asscociation of Upper India' (उत्तर भारतीय मुस्लिम अंग्रेज पूर्वी रक्षा सभा) नामक संस्था की स्थापना की गई जिसके उद्देश्यों में (१) मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना। (२) ब्रिटिश शासन सत्ता को दृढ़ करना (३) राजनैतिक आन्दोलन को मुसलमानों में फैलने से रोकना, आदि बातें शामिल थीं। कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिये इन्होंने एकबार लिखा था "कांग्रेस का लक्ष्य शासन-सत्ता को ब्रिटेन के हाथ से निकालकर हिन्दुओं को सौंप देना है ..... मुसलमानों को इन मांगों से कोई सहानुभूति नहीं है .... आन्दोलन का सामना करने के लिये मुसलमान और ब्रिटिश आपस में संगठित हों। इसलिये हम "अंग्रेज-मुस्लिम एकता" का प्रतिपादन करते हैं।"

इन प्रवृतियों का फल यह हुआ कि १ अक्टूबर सन् १९०६ को प्रातःकाल हिज हाइनेस सर आगाखाँ के नेतृत्व में मुसलमान,

के एक डेप्यूटेशन ने लार्ड मिन्टों से मिलकर अपनी शिकायतें तथा आकांक्षाएं प्रकट कीं। उन्होंने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की। इस डेप्यूटेशन ने विभाजन का वह कार्य पूरा किया जो पूर्ववर्ती वायसरायों की कुटिल नीति भी नहीं कर सकी थी। और इसके पीछे थे कौन? बेक साहब के उत्तराधिकारी श्री आर्चबोल्ड। इसमें इन्हीं की कुमन्त्रणां का सहयोग था जैसा कि उन्होंने नबाब मोहसिनुल्मुल्क को १० अगस्त १९०६ के पत्र में लिखा था (श्री मोतीबाबू एम. ए. एल. एल बी. द्वारा रचित "पाकिस्तान का प्रश्न")

लार्ड मिन्टों ने इस डेप्यूटेशन का उत्तर देते हुए कहा था "तुम्हारी यह मांग न्यायपूर्ण है कि तुम्हारा महत्व तुम्हारी संख्या पर ही निर्धारित नहीं होना चाहिए किन्तु तुम्हारे सम्प्रदाय की राजनैतिक महत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए"

लार्ड मिन्टो का उठाया हुआ ही यह सब झगड़ा था जिसका प्रमाण तत्कालीन भारत-मंत्री लार्ड मार्ले के Recollections" में मिलता है। वह लिखते हैं "मैं आपको (लार्ड मिन्टों को) एक बार फिर स्मरण कराता हूँ कि उनके अधिकारों के संबंध में तुम्हारे प्रारम्भिक वक्तव्य ने ही मुस्लिम मांगों का झगड़ा पैदा किया है।" लार्ड मिन्टो का यह कार्य भारत के हिन्दू-मुसलमानों को एक दूसरे से पृथक् करने में कितना महत्वपूर्ण था, इसका प्रमाण श्रीमती मिन्टो को लिखे गये एक बड़े आफीसर के उस पत्र से मिलता है जिसमें उसने उस समय ही लिखा था "मुझे आपको एक पंक्ति में यह बतला देना चाहिए कि आज इतिहास की एक महान् घटना घटी है—राजनीतिका एक ऐसा कार्य हुआ है जोकि भारत और भारतवर्ष के इतिहास पर अनेकों वर्षों तक प्रभाव रक्खेगा। यह वास्तव में ६ करोड़ २० लाख

व्यक्तियों (मुसलमानों) को राजद्रोही विरोधियों (कांग्रेसियों) में सम्मिलित होने से रोकना था।"

वस्तुतः उस समय इस नीति ने ६ करोड़ २० लाख मुसलमानों को कांग्रेस से फोड़ दिया। सन् १६०६ यें कांग्रेस से पृथक् मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके उद्देश्य को श्री० हुमायूँ कबीर ने अपनी पुस्तक "मुस्लिम पौलिटिक्स" के पृष्ठ २ पर बड़े सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है। वह लिखते हैं:-"Founded in 1906 A. D. by a group of well-to-do and aristocratic Musalmans, it was intended to keep the muslim intelligentsia and middle classes away from the dangerous potitics into which the Indian National Congress was just then embarking. It raised the cry of special Muslim interets and pleaded that these could not be safe-guarded except by co-operation with the British."

अर्थात्—"धनी और उच्चवर्ग के मुसलमानों के एक दल द्वारा सन् १६०६ में स्थापित की गई मुस्लिम लीग का उद्देश्य यह था कि पढ़े लिखे और मध्यमवर्ग के मुसलमानों को उस खतरनाक राजनीति से पृथक् रखा जाय जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस तब प्रवेश कर रही थी। उसने विशेष मुस्लिम हितों की रक्षा की आवाज उठाई और कहा कि बृटिश के साथ सहयोग किये बिना मुस्लिम अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती।"

इसी बात का समर्थन अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस के प्रधान ख्वाजा अब्दुलमजीद ने ता० १६ नवम्बर १६४५ को फीरोजाबाद में व्याख्यान देते हुये किया। आपने मई १६०७ का लीग

का एक मसविदा पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया था कि अगर अँग्रेज हिन्दुस्तान से चले जायेंगे तो हमें हिन्दुओं से दब कर रहना पड़ेगा, इसलिये हमें अँग्रेजों को कायम रखने के लिये अँग्रेजी सल्तनत की हर प्रकार से मदद करनी चाहिये। इसी प्रकार का रवैया लीग अब भी अपनाये बैठी है।

[वीर अर्जुन २४-११-४५]

इस प्रकार लार्ड मिन्टो की भेद-नीति ने मुसलमानों को कांग्रेस से सर्वदा के लिये पृथक् रखने का बीज बो दिया और उसी समय मुसलमानों को पृथक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात भी चलाई गई जिसको सन् १९०७ के मिन्टो-मार्ले शासनसुधार' में पर्याप्त रूप से स्थान दिया गया।

श्री विद्यासागर विद्यालंकार ने ता० २५ नवम्बर १९४५ को साप्ताहिक वीर अर्जुन में लेख लिखते हुए इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है:—

दुर्भाग्यपूर्ण पृथक् चुनाव

सन् १९१० में लार्ड कर्जन ने कांग्रेस की राजनैतिक प्रगति से चिढ़ कर कहा था—'कांग्रेस पतनोन्मुख हो रही है, मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं कांग्रेस को शान्ति-पूर्वक मरता हुआ देख कर ही भारत से विदा लूं।" तत्कालीन साम्राज्यवादी अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने के लिये कितने व्यग्र थे, यह भाषण उनका एक नमूना है। उन लोगों को इसमें सफलता मिली। उस दिन अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने वर्तमान जर्मनी-विजय से भी अधिक खुशी मनायी और शुभ कामनाओं का आदान-प्रदान किया। उसके नमूने ये हैं:—

१९०६ की कहानी है। लार्ड मिण्टो भारत के वायसराय थे, कांग्रेस की सफलता को धूल में मिलाने के लिये सारा वायसरीगल लॉज व्यस्त था। उन्हीं दिनों किसी रहस्यमय प्रेरणा से आगाखां के नेतृत्व में ऊंचे वर्ग के थोड़े से पूंजीपति मुसलमानों के एक डेपूटेशन ने लार्ड मिण्टो के दर्शनों की प्रार्थना की। वह स्वीकार कर ली गई। वायसराय को परमभक्त मुसलमानों की ओर से एक अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया और मुसलमानों के साथ रियायत करने तथा उनकी सांस्कृतिक रक्षा के लिए पृथक् निर्वाचन की अपील की गई। इसके उत्तर में लार्ड मिण्टों ने कहा—"मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस महाद्वीप की रहने वाली जनता और जातियों के प्रमुख भाग की उपेक्षा करके कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जाति की परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म की उपेक्षा नहीं की जायगी।" इस दृष्टिकोण पर इंग्लैण्ड के श्वेतगृह के तत्कालीन भारत मन्त्री श्री मार्ले ने जो भाव व्यक्त किये थे, वे भी ध्यान देने योग्य हैं। ये भारत मन्त्री महोदय अपने देश में एक उत्साही सुधार वादी समझे जाते थे, जब कि साम्राज्य में वह एक प्रसिद्ध प्रतिक्रियावादी थे। आपने एक पत्र में लार्ड मिण्टो को लिखा—"आपने मुझे जो अपने मुसलमान मित्रों के सम्बन्ध में लिखा है, वह बहुत ही मनोरंजक और आल्हादजनक है। यह सारी घटना इतनी अधिक सुन्दर है जितनी कि हो सकती है।"

मुस्लिमलीग के जनक

बढ़ती हुई राष्ट्रीयता का भय ब्रिटिश बुद्धि को कितना परेशान किये हुये था, यह गोखले के उन दिनों के भाषणों से स्पष्ट हो जाता है। एकबार स्वर्गीय गोखले ने स्पष्ट कहा था—

'ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के प्रभाव को रोकने के लिए पहले से ही व्यग्र थे।' इसी कारण कांग्रेस के प्रभाव को रोकने के लिए तत्कालीन वायसराय लार्ड मिण्टों ने आगाखां को मुस्लिम-लीग की स्थापना करने की सलाह दी थी। मुस्लिमलीग को आगाखां ने जन्म दिया, जोकि भारतीय राष्ट्रीयता का एक प्रत्युत्तर था। १९०६ के अपने जन्मकाल से ही यह संस्था लण्डन के 'इण्डिया हाउस' के इशारों पर नाचती रही है। जब यहां के लोगों में राष्ट्रीयता पूरे जोर से लहराने लगी तो सर आगाखां यूरोप की यात्रा पर निकल पड़े। उन दिनों राष्ट्रवादी मुसलमान अपने ब्रिटिश विरोधी विचार कांग्रेस-मञ्च पर से प्रकट करते थे, आज के कट्टर सम्प्रदायवादी मि० जिन्ना जैसे व्यक्ति भी उन दिनों लीग के कट्टर विरोधी थे और इसे एक प्रतिक्रियावादी मुस्लिम संघठन बताते थे।

खिलाफत कमेटी ने सन् १९२३ में अपना एक डेप्यूटेशन टर्की भेजने का निश्चय किया। इस डेप्यूटेशन को मुस्तफा कमाल से बातचीत करके यहां के मुसलमानों में दृष्टि कोण को उपस्थित करना था। उस डेप्यूटेशन के जिन थोड़े से व्यक्तियों को बाहर जाने का पास-पोर्ट मिला, उनमें सर आगाखां भी एक थे। मनोरंजक बात यह थी कि टर्की का गाजी कमाल इस भेंट से अत्यधिक क्रुद्ध हुआ कि आगाखां जैसे व्यक्ति उसे 'पानइस्लामिक' समस्या पर विचार करने को बाध्य करें। गुलाम देश का प्रतिनिधि स्वतन्त्र देश के व्यक्तियों पर अपनी विचारधारा थोपने का प्रयत्न करे, क्या यह हास्यास्पद नहीं है?

गवर्नमेंट का हथियार

बहुत काल तक, मुस्लिम लीग एक निष्क्रिय संस्था बनी रही। १९२४ में इसका पुनरुद्धार किया गया और नये प्राण फूंकने के

लिये नये मल्ल इस संस्था में लाये गये। साम्प्रदायिक मुसलमानों को श्वास लेने का अवसर मिला और नये धूम धड़ाके के साथ इसका काम शुरू किया। १९२८ में नेहरू रिपोर्ट को लेकर एक सर्वदली मुस्लिम परिषद् बुलाई गई, कहा गया कि यह परिषद् भारतीय मुसलमानों के भविष्य को दृष्टि में रखते हुए एक नये विधान का निर्माण करेगी। नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध तो सब एक मत थे, परन्तु उसका उद्देश्य क्या हो इस पर भयंकर मतभेद था। श्री मुहम्मदअली का कहना था कि हमारा उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता होना चाहिये तथा अन्य संस्थाओं के समान साइमन कमीशन का बहिष्कार करना चाहिये। परन्तु सर मुहम्मदशफी इसके विरोध में थे, उनका मत था कि हमें कमीशन को पूरा सहयोग देना चाहिए और ब्रिटिश राज्य समूह में औपनिवेशिक स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस विवाद को लेकर भयंकर संघर्ष हो गया और समझौता न हो सकने के कारण इस परिषद् के समाप्त होने की सम्भावनायें प्रगट होने लगीं। परन्तु मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आये—परिषद् के प्रधान सर आगाखां ने चतुराई के साथ इस विपत्ति को टाल दिया। प्रस्ताव में से पूर्ण स्वतन्त्रता या औपनिवेशिक पद को निकाल दिया, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट का जो उल्लेख था उसे भी खत्म कर दिया। उसके स्थान पर केवल एक 'संघ-विधान' की मांग रख दी। श्री मुहम्मअली के प्रस्ताव द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की ज्योति जगाने का प्रयत्न किया गया था, उसे समाप्त करने में अपूर्व कौशल सर आगाखां ने दिखाया और इस प्रकार अपनी जाति की चेतना को दसियों वर्ष पीछे धकेल दिया।

अब आप कहते हैं पाकिस्तान ही वर्त्तमान गतिरोध का हल है। यहां के कम्युनिस्टों की भांति लीग-कांग्रेस की एकता को आव-

श्यक बताते हैं।संसार की शांति और सुरक्षा के लिये बृटिश-राज्य-समूह और अमेरिका की मैत्री आवश्यक समझते हैं। इनकी इस प्रकार की गति विधियों को 'मिश्र' के एक अखबार के शब्दों में उद्धत किये देते हैं—

"हिन्दुस्तान में जब-जब राष्ट्रीयता की जोरदार आवाज़ उठी, तब-तब हिज हाईनेस आगाखां ने राष्ट्रीय जहाज के पेंदे में टारपीड़ो मार कर छेद करने का प्रयत्न किया। हिन्दुस्तान के राजे-महाराजे और हिजहाइनेस आगाखां— ऐसे दो मर्ज हैं, जिनसे छुटकारा पाये बिना भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता।"

श्रीयुत स्वामी भवानीदयालजी संन्यासी ने जोकि दक्षिण अफ्रीका, नेटाल की इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्राण और प्रधान रहे हैं और जो एक प्रसिद्ध नेता हैं, अपनी पुस्तक "स्वामी शंकरानन्द" दर्शन में इस बात पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है जहां पर कि उन्होंने सर अलीइमाम के, लन्दन की गोलमेज़ कान्फ्रेन्स में कार्यों का वर्णन दिया है, यह सर अली-इमाम वही मुस्लिम नेता थे जोकि बृटिश भेदनीति के प्रथम शिकार बने थे।"

ज़मीयतुल-उलमाये-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने मुरादाबाद में तारीख ९ नवम्बर १९४५ को एक बड़ी सभा में भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान की ईजाद पहले अंग्रेज़ों ने की थी क्योंकि उनका साम्राज्य इसी "फूट पैदा करो और हुकूमत करो" की नीति की नींव पर खड़ा है। मुस्लिम लीग एवं उसके नेता भारत में अंग्रेज़ों के मददगार और देश की आज़ादी के रास्ते में रोड़े हैं। (वीर अर्जुन ११-११-४५)

लेकिन शायद उपरोक्त उद्धरणों से और लार्ड मिन्टों के आश्वासनों से अगर भारतीय मुसलमान यह समझलें कि भारत

सरकार उनका पक्ष समर्थन करती है और मुस्लिम-लीग की *पाकिस्तान की मांग* को कभी स्वीकार कर लेगी, तो यह उनकी बड़ी भारी भूल होगी। भारत-सरकार का रुख हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये अस्थिर रहेगा और रहता आया है, बृटिश साम्राज्य के भारत में स्थिर रखने के लिये उसे जब-जब जैसी-जैसी नीति की आवश्यकता होगी, तब-तब वैसी ही नीति बरती जायगी। यदि हिन्दुओं को अपने साथ मिलाने से अथवा कांग्रेस का पक्ष समर्थन करने से बृटिश सरकार की हित सिद्धि होती है तो वह उनका पक्ष समर्थन करने में कुछ भी आना-कानी नहीं करेगी और यदि कभी कांग्रेस को शक्तिशाली समझेगी तो वह मुस्लिमलीग से मिलकर कांग्रेस को दबाने का यत्न करेगी। उदाहरण पिछले वर्षों में ही कई बार मिल चुके हैं। अक्टूबर सन् १९३९ में जब युद्ध प्रयत्नों में कांग्रेस के सहयोग की आशा थी तो वायसराय महोदय ने सन् १९३५ ई० के संघ शासन में अपना पूर्ण विश्वास प्रगट किया जिसका कि विरोध मुस्लिम-लीग कई बार कर चुकी थी। लेकिन फिर ८ अगस्त सन् १९४० ई० को जब युद्ध प्रयत्नों में कांग्रेस की ओर से कोई आशा न रही तो उन्हीं वायसराय महोदय ने मुस्लिमलीग को प्रसन्न करने के लिये कहा—'It (1935 Act,) can no longer serve the purpose for which it was originally designed' अर्थात्—१९३५ संघ शासन का कानून उस कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता जिसके लिये वह प्रारम्भ में बनाया गया था।

इसी प्रकार मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए १४ अगस्त सन् १९४० ई० को भारत-मन्त्री मि० एमरी ने अपने भाषण में कहा—

'It may indeed prove to be the case; it is by entirely novel departures from the existing scheme that an agreement may be reached .

अर्थात्—यह हो सकता है कि वर्त्तमान प्रणाली से हट कर बिलकुल नवीन रूप से उस (पाकिस्तान योजना) के लिये सहमति देने को हम बृटिश लोग तैयार हो सकते हैं।

इसके बाद १८ नवम्बर १९४१ ई० को उन्होंने फिर उसका समर्थन किया और अन्त में सन् १९४२ के क्रिप्स प्रस्तावों में बृटिश सरकार ने एक प्रकार से पाकिस्तान के सिद्धान्त को मान ही लिया लेकिन जब राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव पर मुस्लिम-लीग और कांग्रेस में कुछ समझौता होने के लक्षण दिखाई पड़े तो १७ दिसम्बर १९४२ ई० को वायसराय महोदय ने अपने कलकत्ते के भाषण में पाकिस्तान का फिर जोरदार विरोध किया और कहा कि भारत की भौगोलिक एकता स्थिर रहनी चाहिये। बृटिश सरकार भारत का विभाजन करने के पक्ष में नहीं और भारत में एक बलवान् केन्द्रीय सरकार रहनी चाहिये।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होजाता है कि बृटिश सरकार की नीति न तो पाकिस्तान के पक्ष में प्रतीत होती है और न ही विपक्ष में किन्तु उसकी नीति तो हिन्दू और मुसलमानों को परस्पर न मिलने देकर अपने साम्राज्य के हित साधन की है।

इस बात को कांग्रेस ने खूब समझ लिया है और इसीलिये कांग्रेस के नेता समय-समय पर यह घोषणा करते रहें हैं कि हिन्दू-

मुसलमानों के मतभेद को बढ़ावा देने वाली कोई तीसरी ही शक्ति है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने १४ जुलाई सन् १९४२ ई० को वर्धा में इस आशय का एक प्रस्ताव भी पास किया था—

"The Congress representatives have tried their utmost to bring about a solution of the communal tangle; but this has been made impossible by the presence of foreign power and only after ending of the foreign domination and intervention can the present unreality give place to reality and the people of India belonging to all groups or parties will face India's problem and solve them on a mutually agreed basis.

अर्थात्—कांग्रेस प्रतिनिधियों के समस्त प्रयत्न करने पर भी भारत की साम्प्रदायिक समस्या केवल एक विदेशी शक्ति के भारत में उपस्थित रहने से हल नहीं हो सकती और केवल विदेशी शासन और हस्तक्षेप के समाप्त होने पर ही यह असम्भव चीज सम्भव बन जायगी। उस समय भारत के सब सम्प्रदाय और दलों के मनुष्य भारत की समस्याओं को पारस्परिक समझौते के आधार पर सुलझालेंगे।

लेकिन दुख इस बात का है कि मुस्लिम-लीग इस भेदनीति को न समझ कर एक विदेशी शासन के हाथ की कठपुतली अबतक बनती रही है। अब जरा देखिये कि विदेशी शासन के हाथों में खेलकर मुस्लिम-लीग ने अपनी मांगों को कैसे बढ़ाया है।

मुस्लिम लीग की नीति

प्रारम्भ में लार्ड विलियम बैंटिक के समय में जब सर्व प्रथम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ और जब सन् १८३७ई० में फारसी को राज्य भाषा के पद से हटा कर अंग्रेजी को उसका पद दिया गया, तब से मुसलमान लोग अपने मुल्ला-मौलवियों के आदेशानुसार अंग्रेजी शिक्षा का एक प्रकार से बहिष्कार-सा करते रहे और अपनी पुरानी भाषा फारसी, अरबी के पीछे पड़े रहे लेकिन हिंदुओं ने अंग्रेजी शिक्षा को तुरंत अपना लिया. और फलस्वरूप वे अच्छे २ सरकारी पद पाने लगे लेकिन भारतीय मुसलमान शिक्षा-दीक्षा, सरकारी नौकरियां, रीति, रङ्ग-ढङ्ग सब में पिछड़ गये। उनकी पिछड़ी हुई अवस्था को देखकर ही सन् १८७५ में सर सैयद अहमदखां ने मुसलमानों के लिए एक कॉलेज की स्थापना की जिसनें बाद को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया। उससे मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का कुछ प्रचार हुआ और वे नये रङ्ग-ढङ्ग समझने लगे। इस प्रकार सन् १८८५ ई० में जब इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई तब से हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा भिड़ाकर स्वराज्य प्राप्ति के लिये आन्दोलन करते रहे। लेकिन अलीगढ़ कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल तथा अन्य कुछ कूट-नीतिज्ञों की सम्मति से मुसलमानों ने अपना अस्तित्व पृथक् मानना आरम्भ कर दिया और जैसाकि हम पहिले लिख चुके हैं सन् १९०६ ई० में सरकारी नीति की प्रेरणा से उन्होंने मुसलिम-लीग की स्थापना की। मुसलमानों की इस पृथक् रहने की भावना को सन् १९०९ ई० के शासन सुधारों में हिंदू-मुसलमानों का पृथक् निर्वाचन स्वीकार करके और भी बढ़ा दिया गया लेकिन सन्

१६१६ तक कोई विशेष कार्य मुस्लिम लीग ने नहीं किया। श्री हुमायूँ कबीर के शब्दों में 'It was not more than a dign'fied debating club.'

अर्थात्—वह केवल एक अच्छी डिबेटिंग क्लब बनी रही। उस समय सन् १६१६ ई० में श्री पूज्य भाई परमानन्दजी के शब्दों में कांग्रेस के कर्णधारों ने "कॉंग्रेस के इतिहास" में सबसे बड़ी भूल की जबकि लोकमान्य तिलक के विरोध करते रहने पर भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता करने के लिए साम्प्रदायिक आधार पर पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया। इस साम्प्रदयिक पृथक् निर्वाचन सिद्धान्त ने देश में हिंदू और मुसलमानों को हमेशा केलिए एक दूसरे से पृथक कर दिया। सन् १६२० ई० के असहयोग आन्दोलन में भी मुस्लिम-लीग कांग्रेस के साथ नहीं हुई। यद्यपि केन्द्रीय खिलाफत कमेटी ने और मौलाना मोहम्मद अली-शौकत अली ने कांग्रेस के साथ मिल कर काम किया और वह भी इसलिये कि कांग्रेस ने मुसलमानों की खिलाफत को पुनर्जीवित करना अपना ध्येय मान लिया। कुछ विद्वानों के विचार में कांग्रेस की यह दूसरी भूल थी क्योंकि उसने अपने राष्ट्रीय उद्देश्य से गिरकर साम्प्रदायिक प्रश्न को अपने ध्येय में सम्मिलित कर लिया था। क्योंकि मुस्लिम लीग इस आन्दोनन में मुसलमानों का नेतृत्व नहीं कर रही थी, इस भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उसकी पोजीशन दिन पर दिन गिरती ही गई और सन् १६३२ तक वह बहुत ही गिर गई क्योंकि उसके मुकाबले में मुस्लिम कान्फ्रेंस तथा अन्य कई मुस्लिम पार्टियाँ खड़ी हो चुकीं थीं।

मि० जिन्ना प्रारम्भ में मुस्लिमलीग के तीव्र विरोधी थे किन्तु सन् १६२० ई० में वह उसमें सम्मलित हो गये। तथा कुछ वर्षों

बाद उसमें उन्होंने एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया लेकिन फिर भी वह भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे यहां तक कि प्रथम गोल मेज परिषद् लन्दन में भी उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया जबकि मुस्लिम प्रतिनिधि नरमदली थे। शायद इसीलिये मि० जिन्ना को दूसरी और तीसरी गोलमेज परिषदों में नहीं बुलाया गया। यहां तककि प्रथम गोलमेज परिषद् के समय में ही लण्डन टाइम्स ने मि० जिन्ना की आवाज को only discordent voice (एक ही असंगत आवाज़) लिखा था जो परिषद् के दूसरे मुस्लिम प्रतिनिधियों की आवाज से भिन्न थी।

लेकिन अफ़सोस ! वही मि० जिन्ना जोकि मि० हुमॉयू कबीर के शब्दों में लण्डन की कान्फ्रेन्समें Redhot Revolutionary (गर्म क्रान्तिकारी) समझे गये थे और जो, जैसाकि हम पहले लिख आये हैं मि० रहमत अली की पाकिस्तान योजना को Crazy Scheme (पागलपन की योजना) कह कर प्रबल विरोध करते थे वही मि० जिन्ना अब पाकिस्तान योजना के सिवाय दूसरी बात ही नहीं करना चाहते। यह है विधि की बिडम्बना।

जैसाकि पूर्व लिखा जा चुका है, मि० जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग भी पहले पाकिस्तान का विरोध करती रही लेकिन साम्प्रदायिकता का भूत उसके ऊपर विशेषकर सन् १६३७ ई० से सवार हुआ जबकि १८ अक्टूबर सन् १६३७ को उसने लखनऊ में मि० जिन्ना के सभापतित्व में कांग्रेस की निन्दा प्रान्तीय मन्त्रि मण्डलों के बनाने में की। फिर जून सन् १६३८ ई० में मुस्लिमलीग ने अपनी ११ मांगें कांग्रेस के सामने रखीं जो सब साम्प्रदायिक आधार पर थीं, और जिनकी चर्चा हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं।

अक्टूबर सन् १९३८ ई० में मि० जिन्ना के सभापतित्व में सिन्ध प्रान्तीय मुसलिमलीग ने कराची में भारत में दो-राष्ट्र (Two Nations.) के सिद्धान्त को माना और मांग की कि भारत को दो भागों में बांट दिया जाय। एक हिन्दू राष्ट्र-संघ और दूसरा मुस्लिम-राष्ट्रसंघ।

२२ अक्टूबर सन् १९३९ ई० में मुस्लिम-लीग की वर्किंग कमेटी ने दावा किया कि कांग्रेस समस्त भारत की प्रतिनिधि नहीं है किन्तु समस्त भारत के मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था केवल मुस्लिम-लीग है।

२६ मार्च १९४० ई० को लाहौर में मुस्लिमलीग ने अपन वार्षिक अधिवेशन में भारत के विभाजन का (दबी जबान में पाकिस्तान का) प्रस्ताव पास किया और फिर २ सितम्बर सन् १९४० ई० को लीग की वर्किंग कमेटी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि 'The Partition of India is the only solution of the most difficult problem of India's future constitutions. अर्थात्—भारत के भावी विधान की सबसे कठिन समस्या का एकमात्र हल भारत का विभाजन है।

२२ फरवरी सन् १९४१ ई० को मुस्लिमलीग की वर्किंग कमेटी ने अपने उसी प्रस्ताव को फिर दुहराया और अन्त में अप्रेल सन् १९४१ में ऑल इण्डिया मुस्लिम-लीग ने अपने मद्रास के अधिवेशन में पाकिस्तान को मुस्लिम-लीग का मुख्य ध्येय मान लिया। जहां मुस्लिम-लीग का ध्येय तबतक A Federation of free democratic states था वहां अब इन शब्दों को दूर हटा कर उसने पाकिस्तान को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया।

यही नहीं, मुस्लिम-लीग इसके बाद कांग्रेस को केवल हिन्दू संस्था कहने लगी और उसका ध्येय हिन्दू राज्य की स्थापना बताने लगी जैसाकि उसने अपनी दिल्ली की वर्किंग कमेटी की बैठक में २२ फरवरी १६४२ ई० के प्रस्ताव में लिखा है। इसी प्रकार २० अगस्त सन् १६४२ के प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस का उद्देश्य तो 'establishing a Congress Hindu domination in India' है। आगे और भी स्पष्ट लिखा है—'The present Congress Movement is not directed for securing independence for all but for the establishment of a Hinhu Raj and to deal a death-blow to the Muslim goal of Pakistan' अर्थात्—"वर्त्तमान कांग्रेस आन्दोलन सबकी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये नहीं हैं। किन्तु वह तो हिन्दू राज्य की स्थापना करने और मुसलमानों के पाकिस्तान के ध्येय को नष्ट करने के लिये है।"

मुस्लिम मांगों का इतिहास

"श्रद्धानन्द" पत्र के नवम्बर १६४५ के अंक में मुस्लिम माँगों की संक्षिप्त सूची इस प्रकार दी गई है:—

१—मुस्लिम-लीग ने अपना इरादा स्पष्ट किया है कि "हम इस्लाम केलिये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि उसे इस देश में ऐसे अवसर मिल जांय कि वह इस देश में अपना उद्देश्य पूरा कर सकें।

२—पहली दिसम्बर १८८७ में सर सय्यद अहमद खां ने स्पष्ट घोषणा की कि मुसलमान इङ्गलेंण्ड के मित्र हैं। इसलिये उन्होंने १८८८ में "ऐंग्लो मुस्लिम डिफेंन्स एसोशियेसन" की स्थापना की।

३—प्रथम अक्टूबर १९०६ में आगाखां की अध्यक्षता में एक डेप्युटेशन लार्ड मिन्टो से मिला और विशेष अधिकारों की याचना की। मौर्ले-मिन्टो सुधारों में वायसराय की काउन्सिल में दो भारतीयों में एक मुसलमान रखना तय हुआ।

४— बंगाल के दो टुकड़े किये गये। इसका उद्देश्य पूर्व बंगाल को मुस्लिम प्रान्त बनाना तय हुआ (१९०५)।

५—मि० जिन्ना के इस बात पर सहमत होने पर भी कि वे पृथक् निर्वाचन को छोड़ देंगे, मुसलमानों ने इस पर जोर दिया। मि० जिन्ना ने सर्वदल सम्मेलन का जो पं० मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में हुआ था, विरोध किया इससे अल्पमतों ने पृथक् निर्वाचन को छोड़ना स्वीकार कर लिया।

६–१६ अगस्त १९०९ के मुस्लिम-लीग के अधिवेशन में, जिसमें सर सुलेमान अध्यक्ष थे, जिन्ना ने अपनी १४ शर्तें रखीं। जिन्ना ने यह दोष कांग्रेस पर लगाया कि उसने १४ शर्तों के बारे में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है।

७—राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस में जिन्ना ने भी समझौता करने से इन्कार कर दिया। कोरा चैक लेकर भी वह देश की स्वतन्त्रता की मांग स्वीकार करने को तैयार न हुए। अतः उन्हें "साम्प्रदायिक बटवारा" मिला। (१९३३)

८—प्रसाद-जिन्ना एक गुप्त समझौता हुआ। इसके द्वारा मुसलमानों को 'पक्षपातपूर्ण मताधिकार' मिला। १९३७ में बा० राजेन्द्र प्रसाद ने यह घोषणा की कि वह वार्तालाप टूट गया क्योंकि कांग्रेस तथा हिन्दू महासभा के नेताओं के साम्प्रदायिक

बटवारे को मानना अस्वीकृत कर देने से मि० जिन्ना ने वार्तालाप भंग कर दिया। (सन् १९३७)

९—पं० जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का वह पत्र प्रकाशित कर दिया जिसमें १४ शर्तों के सिवाय १३ और भी शर्तें थीं। (१७ मई १९३८)

१०—मि० जिन्ना ने लार्ड लिनलिथगो के पास लीग को मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था स्वीकार करने की मांग की। (१९३९)

११ लाहौर के अधिवेशन में (२६ मार्च १९४०) पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया। इसमें भारत के विभाजन की मांग की गई।

१२—मि० रहमतअली ने कहा कि टर्की से लेकर पूर्वी बंगाल तक मुसलमानों का भ्रातृत्व कायम किया जाय। इसका नाम 'पाकेशिया' रखा जाय। भारत का नाम 'इण्डिया' की जगह 'दीनिया' रख दिया जाय। इसका नाम 'पाकयोजना' रखा जाय। (१९४३)

१३ मि० जिन्ना ने मांग की कि मुसलमानों का एक मात्र प्रति-निधित्व लीग करती है, अतः हिन्दुओं के साथ उसे समानता मिलनी चाहिये। इस के फल स्वरूप शिमला की 'वावेल-योजना' नष्ट हो गई। (१९४५)

कांग्रेस की नीति

इण्डिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन् १८८५ ई० में की गई थी और उसमें हिन्दू-मुसलमान, पारसी, सिख, आदि सभी

लोग सम्मलित होते रहे। जैसाकि पहले लिखा जा चुका है, सन् १६०६ में कुछ सरकार परस्त मुसलमानों ने कांग्रेस से पृथक् मुस्लिमलीग की स्थापना की जिसके साथ सन् १६१६ में कांग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन प्रणाली के विषय में समझौता किया और मुसलमानों को प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा सभाओं में उनके अनुपात से कुछ अधिक स्थान देना भी स्वीकार किया। कांग्रेस जब इस प्रकार साम्प्रदायिक मांगों के आगे झुक गई तो मुस्लिमलीग का साम्प्रदायिक दुस्साहस और भी बढ़ गया और प्रान्तों में अपनी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान प्रान्तीय नौकरियों में मुसलमानों की अधिक नियुक्ति और अल्प संख्यक जातियों के लिये संरक्षणों के नाम पर मुस्लिम लीग की मांगें दिन पर दिन बढ़ती ही गईं। कांग्रेस भी अपनी उदारता से यह समझ कर कि भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के युद्ध में मुसलमान भी कांग्रेस के साथ रहें, लीग की मांगों के सामने झुकती रही, और समय-समय पर मुस्लिम-लीग की अनेक मांगों को स्वीकृत करती रही, लेकिन वहां तो—

"मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।
आग में शोले उठे ज्यों-ज्यों हवा की॥"

मुस्लिम लीग की मांगें अधिकाधिक बढ़ती ही गईं। यहां तक कि सन् १६३६ में मुस्लिमलीग ने अपनी १४ मांगें कांग्रेस के समक्ष रक्खीं। कांग्रेस ने उनमें से भी बहुतों को मान लिया। सन् १६३२ ई० में जब लन्दन गोल मेज परिषद् में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक समस्या का मुस्लिम प्रतिनिधियों की हठ नीति के कारण कोई हल नहीं निकल सका तो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता महात्मा

गांधीजी ने अपनी उदार हृदयता का परिचय देते हुए मुस्लिम नेता सर आगाखां के सामने कोरा चैक तक देने का प्रस्ताव रखा जिस पर कि मुसलमान जो चाहें अपनी मांगें लिखदें, महात्माजी उन्हें कांग्रेस से मनवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यद्यपि हिन्दू-महा सभा के प्रतिनिधियों और नेताओं ने इस प्रकार कोरा चैक देने का तीव्रविरोध किया फिर भी महात्माजी और कांग्रेस के प्रतिनिधि अपनी अनुचित उदारता और मुसलमानों को प्रसन्न रखने की नीति के कारण अपनी नीति पर डटे रहे लेकिन अफसोस मुसलमानों ने फिर भी साम्प्रदायिक समस्या का हल वहां नहीं होने दिया। इस प्रकार साम्प्रदायिक समस्या के विषय में गोल मेज परिषद् के असफल होजाने पर बृटिश सरकार ने अपनी ओर से भारत के ऊपर साम्प्रदायिक निर्णय (Communal Award) लादा फिर पूना पैक्ट के पश्चात् सितम्बर १९३२ को उस साम्प्रदायिक निर्णय का दूसरा पूरक (Supplementary) भाग प्रकाशित किया। इस साम्प्रदायिक निर्णय में बंगाल और पंजाब में उनके अनुपात की अपेक्षा अधिक स्थान कौंसिलों में दिये गये और यहां के हिन्दुओं के साथ स्पष्ट अन्याय किया गया था। यही कारण था कि अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने और विशेष कर पंजाब तथा बंगाल के हिन्दू नेताओं ने उस निर्णय का घोर विरोध किया था। हिन्दू सभा के विरोध का मुख्य कारण यह भी था कि इस निर्णय में सभी बातों में पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन को आधार मानकर विधान का निर्णय किया गया था। इस साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध हिन्दू-महासभा प्रारम्भ से करती आई है और कांग्रेस भी कभी सिद्धान्ततः उसके पक्ष में नहीं हुई, यद्यपि मुस्लिम-लीग को प्रसन्न करने के लिये कभी कभी अनुचित रूप में झुकती रही है। इतना सब कुछ

होने पर भी और हिन्दूसभा के विरोध करने पर भी कांग्रेस ने साम्प्रदायिक निर्णय का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया। वह उससे उदासीन नहीं। कांग्रेस का मुस्लिमलीग को प्रसन्न करने को झुकने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसका कि फल आगे चलकर कांग्रेस और देश दोनों के हित के लिये घातक सिद्ध हुआ।

श्रीयुत् इन्द्रप्रकाशजी, मंत्री हिन्दू महासभा देहली ने, अपनी पुस्तक "Where we differ?" ("हमारा मतभेद कहाँ है?") में कांग्रेस की इस अनुचित उदारता और मुस्लिम माँगों के सामने झुकने की नीति पर अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि खिलाफत आन्दोलन में कांग्रेस का भाग लेना, सन् १९३१ की जन-गणना का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया जाना, साइमन कमीशन जो न तो सीमा-प्रान्त सुधार करने को और न सिंध को बम्बई प्रांत से अलग करने को तैयार था और जो २५० सीटों में से १५० हिन्दुओं को और ७५ मुसलमानों को दे रहा था, उसका बहिष्कार, भारतीय संघ-शासन को १९३५ में न मानना और फिर प्रांत के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मान लेना इत्यादि कार्य कांग्रेस द्वारा ऐसे किये गये जिनसे कि एकता और राष्ट्रीयता के कार्य में भी कुछ बाधा पहुँची। अगर कांग्रेस सन् १९३५ के संघविधान (Federation) को मान लेती जैसे कि उसने प्रान्तीय स्वायत्त शासन को मानकर प्रांतों में अपने मंत्रि-मंडल बनाये थे, तो पाकिस्तान बनाने का फिर कभी प्रश्न ही न उठता। कांग्रेस ने यह सब कुछ मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये किया ताकि लीगी मुसलमान भी देश की स्वतंत्रता-प्राप्ति में कांग्रेस का साथ दें लेकिन हमारे मुस्लिम-लीगी भाइयों के तो बाबा आदम ही निराले हैं। कांग्रेस के इतना झुकने पर भी शैतान

की आंत की तरह उनकी माँगें दिन दूनी रात चौगुनी और भी बढ़ती गईं।

यही नहीं जब सन् १९३७ ई० में कांग्रेस ने प्रान्तों मे मन्त्रि-मण्डल बनाये तब मुस्लिम-लीग ने उनका विरोध करना आरम्भ किया और उनके प्रत्येक कार्य में त्रुटि और दोष निकालने शुरू कर दिये। शायद उस समय मुस्लिम-लीग की समालोचनाओं से बचने के लिये और अल्प-संख्यक मुसलमानों को अपने प्रान्तों में प्रसन्न करने के लिये कई हिन्दू बहुल-प्रान्तों में मुसलमानों को उतनी विशेष रियायतें दी गईं कि जिनके कारण हिन्दू-हितों का महान् अपघात हुआ जितना वर्णन मैंने सन् १९३९ में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक "खतरे के बिगुल" में विस्तृत रूप से सप्रमाण किया था। उदाहरण के लिये मुस्लिम-लीग की मांग के अनुसार बिहार-सरकार ने इण्डियन नेशनल पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए लिखा कि हमने मुस्लिम भावनाओं का आदर करते हुए तिरंगे झण्डे का सार्वजनिक स्थानों पर फहराना और "वन्देमातरम्" गायन को सार्वजनिक संस्थाओं में गाना बन्द कर दिया है। (हिन्दुस्तान टाइम्स १२-१२-१९३७)। इसी प्रकार बम्बई की कांग्रेस-सरकार ने भी एक घोषणा द्वारा "वन्देमातरम्" गाने की मनाही करदी। मद्रास में कांग्रेस मंत्री श्री. सी. राजगोपालाचार्य ने "वन्देमातरम्" के स्थान पर एक १ दिन कुरान शरीफ़ का पाठ कराना स्वीकार किया।

इसी प्रकार भारत की भाषा में भी साम्प्रदायिकता घुस पड़ी। हिन्दी राष्ट्र-भाषा के स्थान पर हिन्दुस्तानी को राष्ट्र-भाषा मान लिया गया जिसमें भी मुसलमान पचास प्रतिशत उर्दू के शब्द रखने की मांग कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते यह मांग सत्तर प्रतिशत उर्दू के शब्दों पर पहुंची और अब तो एक प्रकार से

उर्दू को ही हिन्दुस्तानी कहा जारहा है। यही नहीं यू० पी० में कांग्रेस-सरकार की ओर से "मुसलमान अक़लियात और हुकूमत सूबेजात मुत्तहृदा" नामक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें लिखा गया "अगर्चे मुसलमानों की आबादी इस सूबे में सिर्फ १४ फी सदी है और हिन्दुओं की ८५ फी सदी है मगर कांग्रेसी हुकूमत ने अपने अहद में जितने तकर्रुरात (नियुक्तियां) किये असल में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासिब (अनुपात) से कहीं ज्यादा जगह दी हैं—कहीं कहीं तो मुसलमान ५० फी सदी से भी ज्यादा जगहों पर रखे गये हैं।" इसी प्रकार बिहार प्रान्त में भी मुसलमानों की संख्या केवल १२ प्रतिशत है और हिन्दुओं की लगभग ८८ प्रतिशत है फिर भी बिहार के किसी सरकारी महकमें में मुसलमानों को ६६॥ प्रतिशत तक नौकरियां दी गईं और सब महकमों में ३३ फी सदी नौकरियां तो उनके लिये रिजर्व ही करदीं। इतना सब कुछ होते हुए भी मुसलमानों ने सन् १९३८ ई० में अपनी ११ मांगें और उपस्थित कीं जिनका वर्णन पहले हो चुका है। चाहिये तो यह था कि काँग्रेस की इस उदार नीति से मुसलमान प्रसन्न होते और काँग्रेस को धन्यवाद देते तथा उसके साथ सहयोग करते लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मि० फ़जलुल हक़ ने काँग्रेस-सरकारों की निन्दा करते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका कि नाम रक्खा गया "Muslim Sufferings Under Congress Rule." (काँग्रेस राज्य में मुसलमानों को यातनायें)। यही नहीं किंतु जब काँग्रेस मंत्रि-मण्डलों ने २७ मास के पश्चात् सब प्रांतों में त्याग-पत्र दिये तो मि० जिन्ना के आदेशानुसार मुस्लिम-लीग ने सारे भारतवर्ष में प्रसन्नता से "मुक्ति-दिवस" मनाया।

इस प्रकार जब मुस्लिम-लीग की मांग बढ़ते-बढ़ते सन् १९४०

ई० में पाकिस्तान पर पहुँच गई तब कांग्रेस ने २ मई सन् १९४२ ई० को इलाहाबाद में बिहार के श्री जगतनारायण लाल जी के प्रस्ताव पर यह निर्णय किया कि "भारत को विभाजित करके कोई पृथक् राज्य स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव का कांग्रेस विरोध करेगी और उसको देश हित के लिए हानिकर समझेगी। इससे भी पहले १ नवम्बर सन् १९३७ ई० में काँग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अपने कलकत्ता के प्रस्ताव में स्पष्ट कहा था—

"The objective of the Congress is an independent and united India." अर्थात्—कांग्रेस का ध्येय स्वतंत्र और अखण्ड भारत है। इसी प्रस्ताव में कांग्रेस ने भारत की अल्प-संख्यक-जातियों के लिए ६ आधार भूत अधिकारों (Fundamental Rights) की घोषणा की थी जिसके अनुसार सब जातियों की भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति तथा अन्य सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों के संरक्षण की गारण्टी दी गई थी। फिर भी मुस्लिम-लीग का कांग्रेस के प्रति अविश्वास बढ़ता ही गया। अप्रेल सन् १९४२ ई० में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिल्ली में क्रिप्स प्रस्तावों पर प्रस्ताव पास किया उसमें उसने किसी भी प्रान्त को वहां की समस्त जनता की सम्मति से आत्म-निर्णय का अधिकार स्वीकार कर लिया और ८ अप्रैल १९४४ को श्री सी० राजगोपालाचार्य ने अपना प्रसिद्ध फार्मूला भी मि० जिन्ना के पास भेजा जिसमें आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था और फिर भी इसी साम्प्रदायिक गुत्थी को सुलझाने के लिए सितम्बर १९४४ में महात्माजी भी मि० जिन्ना के पास पहुँचे और लगभग तीन सप्ताह तक वार्त्तालाप करने के बाद भी वह उन्हें मनाने में सफल न हुए। इसी प्रकार

पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मि० जिन्ना से मिल चुके थे लेकिन मुस्लिम-लीग के गर्वोद्धत नेता मि० जिन्ना अपनी दो--राष्ट्र की थ्योरी और पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। यही नहीं किन्तु गत शिमला सम्मेलन में भी कॉग्रेस भारत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सब प्रकार से तयार थी किंतु मि० जिन्ना की अकड़ के कारण वह सम्मेलन भी असफल होगया। यद्यपि शिमला सम्मेलन में बृटिश सरकार एवं वायसराय के लगभग वही प्रस्ताव थे जोकि केन्द्रीय असेम्बली में कॉग्रेस पार्टी के नेता मि० भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग पार्टी के नेता मि० नवाब जादा लियाक़तअली के बीच समझौता हो चुका था और जिस समझौते (Desai Liakat Pact.) को निजी रूप से महात्मा गांधी और मि० जिन्ना की सहमति प्राप्त थी। भारतवर्ष में मुसलमानोंकी संख्या हिंदुओं की संख्या का एक तिहाई होते हुए भी इस पैक्ट में मुसलमानों की तैंतीस प्रतिशत के स्थान पर ५० प्रतिशत स्थान धारा सभा में दिया जाना मि० भूलाभाई देसाई ने स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस पार्टी के इतने झुकने पर भी और हिंदुओं के अधिकारों को कुचलते हुए, हिंदू महासभा के विरोध करते हुए भी, हिंदूओं को दबाए जाने पर भी मुस्लिम-लीग के प्रधान का आसन न डिगा और वह अपनी केवल इस बात पर अड़ गये कि मुस्लिम-लीग के ही भारत के समस्त मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था माना जाय। इस प्रकार जब मुस्लिम-लीग को राज़ी करने में कांग्रेस के सभी प्रयत्न विफल होगये तब सितम्बर १९४५ ई० में ऑल इण्डिया कॉंग्रेस कमेटी बम्बई में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब हम और हमारी कॉंग्रेस मुस्लिम-

लीग के पास साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए "नहीं जायंगे, नहीं जायेंगे"। इससे पूर्व वह अपने लाहौर के भाषण में भी कह चुके थे कि पाकिस्तान की मांग बेहूदा है, वह कभी सम्भव और व्यवहारिक नहीं हो सकती। इसलिए अब काँग्रेस मुसलमानों के पास तो जायेगी लेकिन मुस्लिम-लीग के पास किसी समझौते के लिए कदापि नहीं जायेगी।

खैर! सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आजाये तो भूला नहीं कहलाता। इसी प्रकार यदि काँग्रेस के नेता मि० भूलाभाई देसाई तथा श्री राज गोपालाचार्य आदि समय पर चेत गये और अब मुस्लिम-लीग के सामने अनुचित रूप से न झुकें तो देश और काँग्रेस दोनों के ही लिए बड़ा हितकर होगा।

इस प्रकार पाठकों ने इस अध्याय में देख लिया कि वास्तव में पाकिस्तान योजना हमारे उन शासकों की नीति का ही एक अंग है जो सर्वदा "फूट डालो और राज्य करो" की नीति से ही भारत पर शासन रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस, हिन्दू राष्ट्रीय मुसलमान और समस्त भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि वे मुस्लिम-लीग की इस पाकिस्तान योजना को कभी सफल न होने दें।

अध्याय ४

पाकिस्तान की विभिन्न योजनाऐं

पाकिस्तान के सम्बन्ध में सर्व प्रथम विचार सन् १६३० ई० से आरम्भ हो चुका था और सन् १६३३ जनवरी में मि० रहमत अली ने उसकी रूपरेखा भी। मोटे तौर से बतलादी थी। इसके पश्चात् जैसा कि हम पूर्व अध्यायों में लिख आये हैं पाकिस्तान का आन्दोलन भारत में दिन प्रति दिन बढ़ता ही गया और अब अन्त में वह भारतीय राजनीति का मुख्य प्रश्न बन गया है। भारत की बड़ी-बड़ी राजनीतिक संस्थाऐं राष्ट्रीय कांग्रेस, हिन्दू महा-सभा, मुस्लिम-लीग, सिख-लीग, आदि सबके संमुख पाकिस्तान का भूत भयंकर रूप धारण करके इस समय खड़ा हुआ है। इतना होने पर भी मुस्लिम-लीग और उसके प्रधान मि० जिन्ना ने अब तक खुले शब्दों में यह नहीं बताया कि पाकिस्तान की योजना का मुख्य रूप क्या है। गत सितम्बर मास में लीग के मंत्री नवाब जादा लियाक़त अलीखां ने अलीगढ यूनीवर्सिटी में भाषण देते हुए बताया कि–'उन क्षेत्रों और प्रदेशों में जहां मुसलमानों का बहुमत है सर्वथा स्वतन्त्र–स्वाधीन प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रों की स्थापना करना पाकिस्तान का प्रयोजन है। इस प्रकार से स्थापित पाकि-स्तानों की सीमाऐं वही होंगी जो इस समय उत्तर पश्चिम में पंजाब सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान और सिंध तथा उत्तर पूर्व में आसाम और बंगाल की सीमाऐं हैं। [अमृत बाजार पत्रिका २६-६-४५] इसी प्रकार मि० जिन्ना ने १७ अक्टूबर सन् १६४५ को क्वेटा में व्याख्यान देते हुए महात्मा गांधी और पण्डित जवाहर-

लाल नेहरू की इस बात की मज़ाक उड़ाई कि वे पाकिस्तान भी नहीं जानते, लेकिन यह नहीं बताया कि पाकिस्तान का स्वरूप क्या है। वह कहते हैं—

"Who is prepared to believe that people like Mr. Ghandi and Pandit Nehru don't understand Pakistan? I ask them if they don't understand what Pakistan is, what then they have regested and against what are they carrying on their propaganda day and night. In fact they are afraid of a divistion of *Bharat Mata*. They want to keep the Muslims in Hindu Raj......"(Hindustan Times, 18 Oct 45)

अर्थात्—मि० गांधी और पंडित नेहरू पाकिस्तान को समझते हैं लेकिन वे भारतमाता के विभाजन से डरते हैं और मुसलमानों पर हिन्दू-राज स्थापित करना चाहते हैं, इसलिये वे पाकिस्तान का दिन रात विरोध कर रहे हैं।

इसके आगे मि० जिन्ना ने पाकिस्तान के स्वरूप के सम्बन्ध में केवल इतना कहा है -

"However, our demand of Pakistan is clear. There as in which Muslims are in majority should be grouped to constitute an independent State Pakistan"

अर्थात्—हमारी पाकिस्तान की मांग स्पष्ट है।

जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुल संख्या में हैं उनको मिलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाना चाहिये।

इसके बाद ता० ८ नवम्बर १९४५ को मिस्टर जिन्ना ने बम्बई की एक प्रेस मुलाक़ात में पाकिस्तान का स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की है जिसका सारांश निम्न प्रकार है — (वीर अर्जुन १० नवम्बर १९४५)

"भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान में उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, बिलोचिस्तान और पंजाब होंगें। पूर्व की ओर बंगाल और आसाम को मिला कर पाकिस्तान बनेगा।

"राजनैतिक दृष्टि से, पाकिस्तान एक लोकतन्त्र होगा।" श्री जिन्ना ने कहा कि "मुझे व्यक्तिगत रूपसे विश्वास है कि उसमें प्रमुख उद्योग तथा सार्वजनिक हित के विभाग राष्ट्र की सम्पत्ति होंगे। पाकिस्तान के अङ्गभूत प्रान्त या रियासतों में स्वराज होगा।

आर्थिक दृष्टि से, पाकिस्तान दो टुकड़ों में बँटा होकर भी वैसा ही मजबूत होगा जैसाकि संयुक्त होकर एक होने पर होता और अपने प्राकृतिक साधनों और निवासियों के द्वारा यह एक विश्व-शक्ति के रूप में खड़ा हो सकेगा।

इसमें १० करोड़ प्राणी बसते होंगे। साढ़े तीन करोड़ आबादी का इंग्लैंण्ड अगर विश्व-शक्ति बन सकता है तो पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकता ?

आपने कहा कि "मुस्लिम-लीग की ओर से नियुक्त एक समिति पाकिस्तानी राज्यों का एक राष्ट्र के रूप में विकास

मुस्लिम-लीग के प्रधान मि० जिन्ना द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान
(काले भागों में दिखाया गया है)।

के प्रश्न का अध्ययन कर रही है। इसका भविष्य महान् है क्योंकि इसके लोहा, पेट्रोलियम, गन्धक, कोयला तथा अन्य खनिज साधनों को तो अभी छूआ भी नहीं गया।

वीर अर्जुन १०-११-४५.

यह है पाकिस्तान का स्वरूप जो उसकी सबसे बड़ी समर्थक संस्था मुस्लिम-लीग के प्रधान और मंत्री गत पाँच वर्षों में हमारे सामने उपस्थित कर सके हैं। लेकिन पाकिस्तान की पूरी रूप रेखा मुस्लिम-लीग के किसी भी प्रस्ताव द्वारा नियमित रूप से अब तक निर्णय न किये जाने के कारण अन्य अनेक पाकिस्तान-योजनायें अन्य लोगों के द्वारा हमारे सामने आ चुकी हैं उनमें से कुछ निम्न लिखित हैं:—

(१) सबसे पूर्व पाकिस्तान की निश्चित योजना २८ जनवरी सन् १९३३ को कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी चौ० रहमतअली ने अपनी पुस्तक "Now or Never" में प्रकाशित की, जिसके अनुसार भारत के उत्तर-पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रान्तों को मिलाकर एक मुस्लिम-राष्ट्र पाकिस्तान के नाम से बनाने की आयोजना थी इसका पूरा विवरण हम प्रथम अध्याय में दे चुके हैं। उसके बाद सन् १९३५ में चौ० रहमत अली ने पाकिस्तान की अपनी योजना में आसाम और बंगाल को मिलाकर बंगस्थान और दक्षिण हैदराबाद को उस्मानिस्तान बनाने की योजना और सम्मिलित करदी।

(२) जनवरी सन् १९३९ ई० में अपनी लाहौर की बैठक में मुस्लिम-लीग कमेटी ने हैदराबाद के डाक्टर सैयद अब्दुल लतीफ को पाकिस्तान की पूरी योजना बनाने का कार्य सौंपा, डा० लतीफ़ ने पाकिस्तान की योजना बाद में तैयार की वह इस प्रकार थी।

उन्होंने मुसलमानों के निवास के लिये चार बड़े-बड़े मण्डल (Blocks) बनाये ।

(१) उत्तर-पश्चिमी मुस्लिम-मण्डल इसमें पंजाब, सीमा-प्रान्त सिंध, बिलोचिस्तान, काश्मीर, खैरपुर, भावलपुर आदि सम्मिलित हैं। आपकी राय है कि इन भागों में काश्मीर आदि जो हिंदू अथवा सिख-राज्य हैं उनके राजाओं को उनकी इच्छानुसार मुआवज़ा देकर वहाँ से हटा दिया जाय तथा वहां के हिंदू और सिख भी अपने स्थान परिवर्त्तन करलें।

(२) दिल्ली लखनऊ मुस्लिम-मण्डल—इस भाग में संयुक्त प्रान्त और बिहार के मुसलमान आकर रहेंगे। हिंदू केवल अपने तीर्थ स्थानों में रहना चाहें तो रह सकेंगे।

(३) उत्तरीय-पूर्वी मण्डल इसमें बङ्गाल और आसाम शामिल हैं। वहां के हिन्दुओं को बिहार की ओर आना होगा।

(४) दक्षिणी–मुस्लिम मण्डल—इसमें हैदराबाद राज्य और मद्रास शामिल हैं। वहाँ से भी हिंदुओं को हटनाहोगा।

इन चारों बड़े मुस्लिम-मण्डलों के अतिरिक्त काठियाबाड़ में जूनागढ़, राजपूताने में अजमेर प्रान्त, टोंक और जावरा स्टेट तथा भूपाल स्टेट भी पाकिस्तान में गिनी जायेंगी। वहाँ से भी हिन्दुओं को हटाना पड़ेगा। डा० लतीफ ने इस योजना में हरिजनों एवं ईसाइयों के साथ तो बड़ी उदारता दिखाई है, वे चाहे जहां रह सकेंगे।

यह योजना बड़ी ही उपहासास्पद प्रतीत होती है । लतीफ साहब ने यह भी न सोचा कि काश्मीर के लगभग ८० प्रतिशत मुसलमान और हैदराबाद के ८५ प्रतिशत हिंदू अपने घरों

को भला कैसे छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार बिहार, यू० पी० और सी० पी० के मुसलमान अपने घरों को छोड़कर कैसे जा सकेंगे? साथ ही लतीफ साहब ने लखनऊ, दिल्ली और मद्रास के भाग जिनमें कि हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, पाकिस्तान में न मालूम क्यों शामिल कर लिये हैं। यह योजना बिल्कुल असम्भव और व्यवहारिक है।

(३) एक योजना मि० पंजाबी ने अपनी पुस्तक (Confederacy of India.) 'कॉन्फिडिरेसी ऑफ इंडिया' में अपनी ओर से दी है। उन्होंने सारे भारत को पाँच भागों में इस प्रकार बाँटा है:—

[१] Indus Regions Federation (इण्डस्तान) इसमें कुछ थोड़े से हिंदुओं से बसे स्थान छोड़ कर पंजाब सिंध, बिलोचिस्तान, सीमा-प्रांत, भावलपुर, स्वात, चित्राल, खानपुर, लासबेला, कपूरथला, मलेरकोटला इत्यादि भाग शामिल होंगे। इस भाग में ८२ प्रतिशत मुसलमान ८ प्रतिशत हिंदू और ६ प्रतिशत सिक्ख होंगे।

[२] Hindu India Federation (हिन्दुस्तान) इसमें संयुक्त प्रांत, बिहार, बङ्गाल का कुछ भाग, उड़ीसा, आसाम का कुछ भाग, मद्रास और बम्बई प्रांत सम्मिलित हैं। इनमें ८३ प्रतिशत हिन्दू और ११ प्रतिशत मुसलमान हैं।

[३] Rajasthan Federation (राजस्थान) इसमें राजपूताना और मध्य भारत के अधिकतर स्थान होंगे इनमें ८६॥ प्रतिशत हिंदू और ९ प्रतिशत मुसलमान हैं।

[४] Deccan Federation (दक्षिण भारत) इसमें निज़ाम राज्य और बस्तर राज्य सम्मिलित हैं। इनमें लगभग ८६ प्रतिशत हिंदू हैं।

[५] Bengal Federation (बङ्गाल मण्डल) इस में पूर्वी बङ्गाल गोलपारा, सिलहट, टिपरा और आसाम के अन्य भाग सम्मिलित हैं। इनमें ६६ प्रतिशत मुसलमान हैं। और ३३ प्रतिशत हिंदू हैं।

यह योजना भारत की स्वतंत्रता पर कोई प्रकाश नहीं डालती, भारत को केवल पाँच भागों में विभक्त कर देती है। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों का नाम भी "पाकिस्तान" नहीं, किंतु "इंदुस्तान" रखती हैं। इस योजना में हिंदू-मुसलमानों के अतिरिक्त और किसी सम्प्रदाय का ध्यान नहीं रखा गया है। मण्डलों के विभाग न तो भौगोलिक दृष्टि से न भाषा की दृष्टि से ठीक किये गये हैं।

(४) कलकत्ते के एक मौलवी साहब ने एक नवीन योजना रखी है। उनका कहना है कि मि० लतीफ की योजना में जो मण्डल बनेंगे वे एक दूसरे से अलग रहेंगे। इसलिये यह अच्छा हो कि यू० पी० और बिहार के हिन्दुओं को वहां से हटाकर पश्चिम में भेज दिया जाय और फिर अफ़गानिस्तान से आसाम तक तथा हिमालय से विन्ध्याचल तक पूरा पाकिस्तान बन जाय जिसमें एक खलीफ़ा भी रह सके। दक्षिण के मुसलमान भी उत्तर पाकिस्तान में आ बसें। इसे "पाकिस्तान खिलाफ़त योजना" का नाम दिया गया है।

इस योजना को व्यहारिक रूप देने पर उत्तर भारत के लगभग १५ करोड़ हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर दक्षिण में जाना होगा और दक्षिणी भारत के लगभग ६० लाख मुसलमानों को उत्तरी प्रान्तों में आना होगा। इस प्रकार दक्षिणी भारत के कुल चार प्रान्तों में तो लगभग २२ करोड़ आबादी हो जायगी

अर्थात् प्रति वर्ग मील में ६०० मनुष्य और दक्षिण का भाग भी उपजाऊ नहीं है, इसलिये वहां के २२ करोड़ हिन्दू फ़ाकाकशी किया करेंगे। इधर उत्तर भारत (पाकिस्तान) में जो भारत का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है १३३ मुसलमान ही प्रति वर्ग मील में रहेंगे और खूब मौज किया करेंगे। वाह मौलवी साहब ! खूब दूर की सूझी।

(५) पंजाब के स्वर्गीय प्रधान मंत्री सर सिकन्दर हयातखां ने अपनी पुस्तक Out lines of scheme of Indian. Federation. (भारतीय संघ योजना की रूपरेखा) में सन् १९३५ के भारत विधान को लक्ष्य में रख कर भारत के सात भाग बतलाए हैं-

(१) आसाम-बङ्गाल।

(२) बिहार, उड़ीसा।

(३) युक्त प्रांत और उसकी रियासतें।

(४) मद्रास, ट्रावनकोर, कुर्ग इत्यादि।

(५) बम्बई, हैदराबाद और मध्यभारत के कुछ भाग।

(६) पूर्वी राजपूताना, मध्यभारत और बरार।

(७) पंजाब, सिंध, पश्चिमी राजपूताना, काश्मीर, सीमाप्रांत, बिलोचिस्तान आदि।

यद्यपि इस योजना में पाकिस्तान का नाम किन्हीं प्रांतों को नहीं दिया गया और विशेष कर यह योजना शासन सुविधा की दृष्टि से बनाई गई थी फिर भी न तो भाषा के आधार पर और न किसी भौगोलिक आधार पर प्रांतों का विभाजन है। हाँ ! मि० रहमतअली की पाकिस्तान योजना में पश्चिमी मण्डल में राजपूताना की जैसलमेर और बीकानेर की रियासतें और सम्मलित करदी गई हैं।

(६) इसी तरह वायसराय की कार्य कारिणी के सदस्य एवं लण्दन में भारत के भूतपूर्व हाई कमिश्नर सर फिरोज खां नून ने भी जो कि अभी हाल ही में मुस्लिम-लीग में सम्मिलित हुए हैं, और पाकिस्तान की मांग का प्रबल समर्थन कर रहे हैं, भारत को पाँच भागों में बांटने की अपनी योजना उपस्थित की थी, जिनको उन्होंने Dominions (डुमिनियन्स) कहा है । इनके ये विभाग भी भाषा और भौगोलिक आधार पर नहीं है । हाँ उनका ध्येय पाकिस्तान की योजना की पुष्टि करना ही प्रतीत होता है।

(७) अलीगढ़ योजनाः—अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के सैयद जफरुल हसन और मोहमद अफ़जल हुसैन कादरी दो प्रोफ़ेसरों ने भी एक पाकिस्तान योजना तैयार की है। क्यों न हो; नबावजादा लियाक़त अली के शब्दों में अलीगढ़ यूनीवर्सिटी तो Arsenal of Islam (इस्लाम का शस्त्रागार) है, जहाँ से मुस्लिम लीगी और पाकिस्तानी नये-नये अस्त्र-शस्त्र निकाल कर बाहर आने ही चाहिये। अस्तु, अलीगढ़ की इस योजना में भारत के ६ खण्ड करके पाकिस्तान का रूप दिया गया है। जैसे:

(१) पंजाब, सिंध, सीमाप्रांत, बिलोचिस्तान, काश्मीर, कपूरथला, चित्राल, मलेरकोटला, आदि। (मुसलमान ६०.३ प्रतिशत)।

(२) बङ्गाल, पुर्निया, सिलहट आदि (मुसलमान ८ प्रतिशत)।

(३) हैदराबाद, बरार, कर्नाटक (मुसलमान ८ प्रतिशत)

(४) दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, रुहेलखंड (मुसलमान २८ प्रतिशत)।

(५) मलावार, दक्षिणी कनारा (मुसलमान २७ प्रतिशत)।

(६) हिंदुस्तान पूर्वोक्त पाकिस्तान को छोड़ कर भारत का शेष भाग।

पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र (Nation) माना जाय और अंग्रेजी सरकार से उसकी अलग संधि हो।

उपरोक्त योजना भी अन्यायपूर्ण और असम्भव एवं अव्यवहारिक प्रतीत होती है। क्यों न हो, प्रोफेसर कादरी साहब तो पाकिस्तान योजना के प्रवर्त्तक मि० रहमतअली के साथियों में से ही हैं और उन्हें सीधे कैम्ब्रिज से ही आदेश प्राप्त होते हैं। जैसाकि उन्होंने मि० रहमत अली को ८ मार्च सन् १६४० को इस आशय का पत्र लिखा था-"ईश्वर को धन्यवाद है कि पाकिस्तान आन्दोलन के प्रवर्त्तक होने के नाते आपने जून १६३८ में जब मैं इंगलेंड से रवाना हुआ था जो काम मुझे सौंपा था वह कार्य पूरा करने में मैं सफल हुआ हूँ। ...."

(*Founder of Pakistan by* Khan Ahmad page 24.)

(८) डा० अम्बेद्कर ने भी पाकिस्तान के सम्बंध में "Thoughts on Pakistan." पाकिस्तान पर विचार) एक ग्रन्थ लिखा है उसमें उन्होंने मुस्लिम-लीग के इस दावे का समर्थन किया है कि पश्चिमोत्तर प्रांत और बङ्गाल आसाम को मिलाकर पाकिस्तान बनाया जाय। साथ ही इन प्रांतों की वर्त्तमान सीमाओं में परिवर्त्तन न हो, उनमें हिंदू-सिख आदि अन्य मतावलम्बी लोग अल्प-संख्यक-जातियों के रूप में रहने दिए जावें। लीगी प्रांतों में ३८ प्रतिशत हिंदू और सिख हैं उनको आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं दिया जाये (जबकि कुल भारत में लगभग २५

प्रतिशत मुसलमानों को आत्म-निर्णय का अधिकार, पाकिस्तान के रूप में, डा० अम्बेद्कर स्वीकार करते हैं। (कितना अच्छा है न्याय का नमूना ?) डा० अम्बेद्कर ने पाकिस्तान बनाने के दो ही प्रकार सुझाए हैं यातो भौगोलिक सीमायें मुसलमानों की अधिक आबादी के अनुसार बनादी जांय या हिंदू और मुसलमान अपने निवास स्थान परिवर्त्तन करलें। पाकिस्तान के हिन्दू हिन्दुस्तान में आ बसें और हिन्दुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान में जा रहे हैं जैसाकि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद टर्की, यूनान और बलगेरिया में आबादी का स्थान-परिवर्त्तन हुआ था। लेकिन इसमें कितना अपव्यय और अपना जन्म स्थान छोड़ने में हिन्दू और मुसलमान दोनों को कितना सन्ताप होगा, इसका ध्यान शायद डा० अम्बेद्कर ने नहीं किया। आगे डा० अम्बेद्कर कहते हैं "कि यदि स्थान परिवर्त्तन न किया जाय तो भी हिन्दुस्तान में लगभग २॥ करोड़ ही मुसलमान रहेंगे और लगभग ७॥ करोड़ पाकिस्तान में इससे हिन्दुस्तान में हिन्दू शान्ति से रह सकेंगे।" लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि जैसे जैकोस्लावकिया में थोड़े से सूडेटन जर्मनों ने अशान्ति उत्पन्न की और हिटलर को अपने देश पर आक्रमण करने के लिये निमंत्रित किया इसी प्रकार बचे हुये हिन्दुतान में भी २॥ करोड़ मुसलमानों की उपस्थिति से क्या ऐसी ही बातों की आशंका नहीं होगी ?

(६) पाकिस्तान के प्रवर्त्तक चौ० रहमतअली ने अक्टूबर सन् १६४२ ई० में अपनी जो अन्तिम पाकिस्तान योजना प्रकाशित की वह उनकी सन् १६३३ की योजना से बहुत ही भिन्न और बढ़-चढ़कर है। उसमें उन्होंने भारत में दस मुस्लिम-राष्ट्र बनाने की बात रक्खी है, जिनका वर्णन पहले अध्याय में किया

गया है और साथ ही भारत का नाम इण्डिया (India) के स्थान पर दीनिया (Dinia) और मुस्लिम एशिया का नाम पाकेशिया (Pak-Asia) रखा है । इसका वर्णन कैम्ब्रिज से प्रकाशित "The Millat and Misson" नामक पुस्तक में उन्होंने दिया है, जिसमें पाकिस्तान केलिये और दीनिया केलिये सात महान आदेश (Seven Commandments) दिये हैं । यह योजना पाकिस्तान के सम्बन्ध में सबसे अन्तिम और भारत के लिये सबसे अधिक भयंकर है । इसके अनुसार तो पाकिस्तान सारे भारत में छा जायगा और भारत का नाम भी "इंडिया" से बदलकर "दीनिया" रख दिया जायगा । यह तो वही बात होगी जैसे कि वर्षा में भीगते हुये किसी ऊँट ने एक किसान से केवल अपनी नाक बचाने के लिये झोंपड़ी में शरण माँगी थी और फिर किसान के भोलेपन और उदारता से लाभ उठा कर अपना सारा शरीर अन्दर कर लिया और सारी झोंपड़ी पर अधिकार कर उसने किसान को वहाँ से निकाल बाहर किया ।

इस प्रकार पाकिस्तान की विभिन्न योजनायें हमारे सामने उपस्थित की गई हैं, लेकिन वे सारी अनधिकृत हैं । मुस्लिम-लीग की ओर से कोई प्रामाणिक योजना अभी तक जनता के सामने नहीं आई है । मि० जिन्ना ने भी अभी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बनाई है । पाकिस्तानरूपी बच्चा अभीतक मुस्लिम-लीगरूपी माता के गर्भ में ही है ।

अध्याय ५

पाकिस्तान की असम्भवता

अबतक हम यह दिखला चुके हैं कि पाकिस्तान का विचार किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? इसका बीज कहां बोया गया ? उसके लिये क्षेत्र कहाँ तैयार हुआ और उसके बीजारोपण में कौन-कौन और किस प्रकार सहायक हुए तथा उसकी कल्पना भिन्न-भिन्न विचार के लोगों ने किस प्रकार की और वह विभिन्न प्रकार की योजना किस प्रकार प्रकट हुई ? अब हमें यह देखना है कि जिस पाकिस्तान का इतना शोर मचाया जारहा है और जिसको मुस्लिम-लीग ने अपना मुख्य ध्येय बना लिया है वह कभी बन भी सकता है या नहीं ? उसका अस्तित्व में आना सम्भव भी है अथवा नहीं ? अबतक हमने पाकिस्तान के सम्बन्ध में जोभी योजनाएं देखी हैं उनका व्यवहारिकरूप में फलीभूत होना सम्भव नहीं। क्यों ? सुनिये !

(१) भारत एक भौगोलिक इकाई है और चारों ओर प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। जो पाकिस्तान बनेगा उसके और हिन्दुस्तान के बीच कोई प्राकृतिक सीमा नहीं होगी इसलिये पाकिस्तान और शेष हिन्दुस्तान दोनों अरक्षित रहेंगे। आजकल कोई भी ऐसा देश जिसकी प्राकृतिक सीमा न हो सुरक्षित नहीं समझा जासकता। फिर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की रक्षा कैसे होगी ?

(२) जो पाकिस्तान के प्रस्तावित प्रान्त हैं उनमें भी बहु-संख्यक मुसलमान तो है लेकिन नितान्त उन्हींकी आबादी नहीं है।

अतः पाकिस्तान बन जाने पर भी उन प्रांतों में भी हिन्दू और सिख अल्प-संख्यकों की समस्या वैसी ही बनी रहेगी। इसी प्रकार जो हिन्दुस्तान के प्रान्त होंगे उनमें लगभग २ करोड़ अल्प-संख्यक होंगे। इस प्रकार भारत की साम्प्रदायिक समस्या जिसका सर्वोत्तम उपाय पाकिस्तान बताया जारहा है कैसे हल होगी ? इसके विपरीत अभी तो केवल एक देश भारत में ही साम्प्रदायिक समस्या का प्रश्न है, फिर तो पाकिस्तान और शेष हिंदुस्तान दोनों राष्ट्रों के सामने समस्या खड़ी हो जायगी । इस प्रकार यह समस्या दूर होने की बजाय डबल कठिन होजायगी ।

(३) डा० लतीफ़ की योजना के अनुसार यदि पाकिस्तान से सब हिन्दू और सिख हटकर दक्षिण में जाबसें और उधर के सब मुसलमान पाकिस्तान में जाबसें तो यह बात सात पीढ़ी तक भी सम्भव नहीं। भारत के इतिहास में एक बादशाह 'पागल-बादशाह' के नाम से प्रसिद्ध है। मौहम्मद तुग़लक ने केवल एक शहर दिल्ली के निवासियों को ही दक्षिण के दौलताबाद में बसाने के प्रयत्न करने पर पागल की उपाधि पाई तो आज सैकड़ों नगरों और सहस्रों--लाखों की आबादी को अपने स्थान छोड़ कर दूसरे प्रान्तों में जाबसने की सलाह देने वालों को इतिहास किस उपाधि से विभूषित करेगा ? और फिर यह कैसे सम्भव है कि अपनी जायदाद, घर-सम्पत्ति भूमि आदि छोड़ कर करोड़ों लोग दूसरे प्रान्तों में जाबसें । किसलिये ? केवल मुस्लिम-लीग की इच्छा पूर्ति केलिये और उसके कायदे आज़म मि० जिन्ना को प्रसन्न करने के लिये ।

(४) फिर बहुत से हिन्दुओं और सिखों के तीर्थ पाकिस्तान में रह जायंगे और मुसलमानों के बहुत से ज़ियारतगाह

हिन्दुस्तान में होंगे, उनको कैसे उठाकर ले जाया जायगा। यदि कहो कि वे वहीं बने रहें तो दूसरे मत के लोग अपने तीर्थों में आंयगे तो फिर वही झगड़ा होगा जिसके लिये आज हम रोते हैं।

(५) इस समय भारत में रेलों और नहरों का जो जाल-सा बिछ गया है वह अविभाज्य है। रेलें और नहरें एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक चली गई हैं। पाकिस्तान बन जाने पर उनका बटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई नहर आधी पाकिस्तान में पड़ेगी और आधी हिंदुस्तान में। तब फिर उन पर और नये झगड़े खड़े हो जायेंगे। उनका बटवारा कैसे हो सकेगा ?

(६) अभी पाकिस्तान में होने वाले प्रांतों का आधार उनकी एक भाषा, एक रहन-सहन और एक पहनावा है फिर यदि दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी बङ्गाल बहु-संख्यक हिंदू आबादी के कारण हिंदुस्तान में रहेंगे और शेष पंजाब और बङ्गाल पाकिस्तान में तो क्या पंजाबी और बङ्गाली एक भाषा-भाषी न होते हुए अपने प्रांतों का यह बटवारा सहन कर सकेंगे ? क्या सन् १९०४ के बङ्ग-विच्छेद (Partition of Bangal) का दृश्य फिर उपस्थित नहीं होगा।

(७) जो प्रांत पाकिस्तान में सम्मिलित किए जाने वाले हैं उनमें अधिकतर ऐसे हैं जो अपने शासन-संचालन का व्यय स्वयं नहीं चला सकते। उदाहरण के लिए सिंध प्रांत को केन्द्रीय सरकार से १ करोड़ ५ लाख रुपया और सीमा प्रांत को १ करोड़ रुपया और बिलोचिस्तान को लगभग सारा वार्षिक व्यय दिया जाता है। अर्थ-शास्त्रियों का मत है कि सन् १९८० तक सिंध स्वावलम्बी नहीं हो सकता। सीमा-प्रांत और बिलोचिस्तान

कदापि स्वावलम्बी नहीं हो सकेंगे। तब पाकिस्तान का खर्च कैसे चलेगा ? रहे पंजाब और बङ्गाल प्रांत उनकी आबादी पहले ही अधिक है अतः उन्हें अपना व्यय चलाना स्वतः ही कठिन हो जाता है वे दूसरे पाकिस्तानी प्रांतों को क्या सहायता देंगे ? यह तो वही कहावत है कि "चौबेजी चले थे छुब्बे बनने, रह गये दुबे ही" पाकिस्तानी प्रान्त पाकिस्तान बना तो रहे हैं अधिक धनी और सुखी होने के लिए किन्तु नम्बर आजाएगा फ़ाकाकसी का।

(८) और फिर पाकिस्तान बनाएगा कौन ? हिन्दू और सिख तो बनाने से रहे। मुसलमान तो खुद ही बृटिश-सरकार के गुलाम हैं उनके हाथ में शक्ति नहीं जो वे अपनी इच्छा से कुछ कर सकें। मुस्लिम-लीग और उसके कायदे-आजम मि० जिन्ना सिवाय प्रस्ताव पास करने के और कागजी घोड़े दौड़ाने के और कुछ नहीं कर सकते। रही अंग्रेजी सरकार, वह जैसाकि हम पहले लिख आये हैं, अपने साम्राज्य के हितों को देख कर काम करेगी। वह भला स्वतंत्र पाकिस्तान क्यों बनने देगी ?

इस प्रकार की अन्य असम्भव बातों और व्यवहारिक कठिनाइयों पर जोकि पाकिस्तान के बनाने में उपस्थित होंगी, एक अगले अध्याय में विस्तृतरूप से विभिन्न दृष्टियों से विचार किया जावेगा।

अध्याय ६

पाकिस्तान क्यों ?

पाकिस्तान योजना एक नवीन बला है जो हिन्दुस्तान के गले में कैम्ब्रिज से आ चिपकी है। प्रारम्भ में तो मुस्लिम-लीग भी इसके विरोध में थी और स्वयं मि० जिन्ना भी उसके प्रबल विरोधी थे लेकिन मि० रहमतअली के प्रोपेगैण्डा और प्रचार से भारतीय मुसलमानों में पाकिस्तान का विचार जड़ पकड़ता गया और जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं, बाद में मुस्लिम-लीग ने मार्च १९४० में उसे स्वीकार कर लिया और फिर १९४१ में पाकिस्तान को अपना ध्येय ही बना लिया।

अब पाकिस्तान के समर्थन में मुस्लिम-लीग के अतिरिक्त और कोई प्रमुख दल नहीं हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों से भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी भी मुस्लिम-लीग की इस मांग का समर्थन करने लगी है। यहां हमें यह देखना है कि लीग और उसके समर्थक पाकिस्तान के पक्ष में क्या क्या तर्क उपस्थित करते हैं ?

(१) सबसे पहले उनका कथन यह है कि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, नहीं, नहीं, यह तो एक महाद्वीप है जिसमें छोटे-छोटे पंजाब, बंगाल आदि कई देश हैं और उनमें भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते है जिनकी सभ्यता, भाषा, रहन-सहन, एक से नहीं मिलते। इस बात का उल्लेख साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी पाया जाता है—"Differences of race, different systems of law and absence of inter marriage constitute a basic opposition........They (Hindus

and Muslims) may be said to represent two sepearate civilizations."

अर्थात्–जाति क़ानून की व्यवस्था और परस्पर अन्तर्जातीय विवाहों का न होना आदि बातों से सिद्ध है कि हिन्दू और मुस्लिम दो पृथक् सभ्यताएँ हैं।

इसी प्रकार सर होल्डरनैस ने अपनी पुस्तक में लिखा है–

"Like Europe India holds within its boundaries a number of distinct States -"

अर्थात्—यूरोप की तरह भारत में भी स्पष्टतः अनेक राष्ट्र हैं।

इसी प्रकार मि० एच. एम. सैयद अपनी पुस्तक "India: Problem of Her Future Constitution" (1940). के पृष्ठ १९ पर लिखते हैं कि "मुस्लिम भारत और हिन्दू भारत देश के प्राकृतिक नक्शे पर पृथक् पृथक् विद्यमान हैं।" मि० एल० हमज़ा ने तो अपनी पुस्तक "Pakistan: A Nation" (1941) के पृष्ठ ५६ पर यही लिख डाला कि उत्तर भारत के लोग गेहूं खाने वाले हैं और दक्षिण भारत के लोग चावल खाते हैं इसलिये वे एक कैसे हो सकते हैं। कहिये कैसी मज़े की बात है और कितने बढ़िया तर्क की। जब रूस इतना बड़ा देश, जिसमें १८० जातियों के लोग रहते हैं और १५७ विभिन्न भाषायें बोलते हैं और जिसमें ३३ राष्ट्र हैं एक महान् राष्ट्र होसकता है, तो भारत ही एक राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? यह तो Divide and Rule की राजनैतिक चालें हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिये।

(२) पाकिस्तान स्पेन, आस्ट्रिया, बेल्जियम, हालैण्ड, स्विटज़रलैण्ड आदि के सम्मिलित क्षेत्र-फल के बराबर होगा। जब इनमें से प्रत्येक राष्ट्र पृथक् और स्वयंभू हैं तो पाकिस्तान पृथक् राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता ? इनमें से तो प्रत्येक देश में एक एक जाति (Nation) के लोग बसते हैं, वे एक साथ रह ही नहीं सकते, इसलिये वे पृथक् राष्ट्र हैं। भारत में विभिन्न राष्ट्र (Nations) ही नहीं हैं जैसाकि आगे "Two Nations Theeory" अध्याय में सिद्ध किया जायगा।

(३) मि० एफ. के. खान दुर्रानी ने अपनी पुस्तक "The Meaning of Pakistan" में लिखा है कि भाषा, सभ्यता और नस्ल के विचार से हिन्दुस्तान में दो जातियाँ (Nation) आबाद हैं जो कभी एक नहीं हो सकतीं। हिन्दू मुसलमानों को मलेच्छ कहते हैं और उन्हें छूने से अपने को अपवित्र मानते हैं। इसी प्रकार मुसलमान हिन्दुओं को काफ़िर कहते हैं। हिन्दू राणा प्रताप और शिवाजी पर गर्व करते हैं और मुसलमान महमूद गज़नवी और ग़ोरी पर। इस प्रकार दोनों की विचार धाराएँ ही विभिन्न हैं इसलिये हिन्दू मुसलमान दोनों का मिलान Psychlogically impossible. (मानस विज्ञान से) असम्भव है।" इसका उत्तर आगे "Two Nations Theory" (दो राष्ट्रों का सिद्धान्त) नामक अध्याय में विस्तार पूर्वक दिया गया है जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि भारत में दो राष्ट्र (Nations) नहीं किन्तु एक ही राष्ट्र है।

(४) मुस्लिम-लीग वालों का कहना है कि जिन प्रांतों में मुसलमानों का बहुमत है उनमें उन्हें आत्म-निर्णय का अधिकार क्यों न दिया जाय ? संसार के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण

नहीं मिलता जबकि जर्मनी के बराबर आबादी वाली किसी जाति को अल्प संख्यक जाति की श्रेणी में रक्खा गया हो! संसार में कोई ऐसा भी उदाहरण नहीं मिलता जबकि कोई अल्प-संख्यक जाति उसी देश की बहु-संख्यक जाति से इतने मौलिक भेद रखती हो जितने कि मुसलमान हिंदुओं से रखते हैं। जबकि भारत के राष्ट्रीय कार्यकर्ता ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए आत्म-निर्णय का अधिकार मांगते हैं तो वे मुसलमानों को वैसा ही आत्म-निर्णय का अधिकार देने से किस मुँह से इन्कार कर सकते हैं ? इसलिए बहुमत वाले प्रांतों के मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने का आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना ही चाहिए, इस शङ्का का समाधान आगे " आत्म-निर्णय का सिद्धांत " नामक अध्याय में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

(५) मुसलमानों को भय है कि " भारतीय संघ-विधान के अनुसार वॉयसराय की केन्द्रीय असेम्बली में देश में बहु संख्यकों में से हमेशा हिंदुओं का ही बहुमत रहेगा और इस प्रकार वे लोग देश में "हिंदू-राज्य" स्थापित कर लेंगे जो मुसलमानों को असह्य है क्योंकि मुसलमानों को अब हिन्दुओं में विश्वास नहीं रहा है और ऐसे अविश्वास में दोनों जातियाँ मिलकर काम नहीं कर सकतीं इसलिए देश का हित इसी में है कि हिंदू और मुसलमान अब अलग २ रहें। इस प्रकार के उदाहरण संसार के और देशों में भी मिलते हैं, जैसे आयर्लण्ड से अलस्टर को अलग कर दिया गया और पहले नॉर्वे और स्वीडन को जो एक ही शासन में थे अलग किया गया था। इसलिए " Divided India would be stronger than united India. "

"अखंड भारत की अपेक्षा टुकड़ों में बँटा हुआ भारत अधिक

शक्तिशाली हो जायगा।" मुसलमानों का यह भय बिल्कुल निर्मूल है। जब मुसलमान बहुत कम संख्या में बाहर से आये थे और भारत के विजेता बनकर यहाँ राज्य करते रहे, तब हिन्दुओं ने नहीं दबा पाया तो अब जबकि भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग १० करोड़ है उन्हें कौन दबाकर रख सकेगा ? आयर्लैंड से अलस्टर को जो अलग करने का दुष्परिणाम हुआ है उसका वर्णन आयर्लैंड के भाग्य-विधाता मि० डी० वैलेरा की दी हुई सम्मिति में आगे के एक अध्याय में पढ़िए।

(६) इस प्रकार बना हुआ पाकिस्तान हिन्दुओं केलिए भी अधिक लाभदायक होगा। डाक्टर अम्बेद्कर ने अपनी पुस्तक "Thoughts On Pakistan." में लिखा है कि—" हिन्दुओं की एकता रखने और शक्ति बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का बनाया जाना आवश्यक है क्योंकि फिर हिंदू अपने हिंदुस्तान में जो चाहेंगे उन्नति करेंगे। मुसलमान उनके किसी कार्य में विघ्न डालने को न रहेंगे।" डा० अम्बेद्कर की यह सूझ अजीब है। पहले तो यही सम्भव नहीं कि हिंन्दुस्तान में मुसलमान बिल्कुल नहीं रहेंगे, फिर पाकिस्तान का बनना हिंदू और सिखों को कैसे लाभदायक होगा यह उन्होंने नहीं बतलाया।

(७) क्योंकि हिन्दू और मुसलमानों के मत-भेद इतने अधिक हैं कि वे कभी मिलकर साथ २ नहीं रह सकते। हिन्दू महासभा हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाना चाहती है और मुस्लिम लीग उर्दू को। इसी प्रकार राजनैतिक अधिकारों में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी हैं। जब परस्पर मिलकर नहीं रह सकते, तो दोनों का अलग अलग रहना ही अच्छा है।"

जब हिन्दू और मुसलमान गत १२०० वर्ष से भारत में साथ साथ रहते आरहे हैं तो अब साथ २ क्यों नहीं रह सकते? यह तो व्यर्थ की तर्क है जिसका कोई आधार ही नहीं कि हिंदू-मुसलमान साथ-साथ नहीं रह सकते।

(८) "इस्लाम धर्म के अनुसार जो कुछ "दारुल इस्लाम" नहीं है, वह "दारुल हरब" (युद्ध-स्थान) है क्योंकि हिन्दुस्तान पूर्णतः मुस्लिम देश नहीं है, वह मुसलमानों के लिए 'जिहाद' (धर्म-युद्ध) का स्थान है इसलिए मुसलमान या तो यहाँ से चले जावें या यहां रहकर हिन्दुओं से धर्म-युद्ध करें। क्योंकि ८ करोड़ मुसलमान यहाँ से हिज़रत करके अब कहीं जा सकते नहीं और हिन्दुओं से ज़िहाद या युद्ध करते रहना देश के लिए अच्छा नहीं, इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि वे पाकिस्तान बना कर रहें। मुसलमान लाखों की संख्या में जिस प्रकार रूस और चीन में ईसाइयों और बौद्धों के साथ साथ रहते और अपने देश के लिए बाहर वालों से युद्ध करते हैं तथा पूर्ण देश-भक्त हैं, वैसे ही भारत के मुसलमान भी भारत में भारतीय बनकर प्रेम से रह सकते हैं। इसलिये उपरोक्त तर्क निराधार है।

(९) उत्तरी-पश्चिमी मुस्लिम-मण्डल की आर्थिक समस्यायें भी दक्षिणी हिन्दू-प्रांतों की आर्थिक समस्याओं से भिन्न हैं। मुसलमान अधिकतर नौकरी तथा मज़दूरी करने वाले हैं, हिन्दू अधिकतर पूँजीपति व मालिक हैं। मुसलमान कर्जदार हैं और हिन्दू कर्ज देने वाले हैं। मुसलमान ग़रीब किसान हैं तो हिन्दू धनी व्यापारी हैं। जब यह दशा है तो दोनों के हित और अधिकार एक से कैसे हो सकते हैं? और जब उनके हित (Interests) समान

नहीं है, तो वे साथ २ कैसे रह सकते हैं ? इसलिये दोनों का अलग रहना ही हितकर है और वह तब ही सम्भव है जबकि मुसलमानों के लिये अलग पाकिस्तान बना दिया जाय। " यह तर्क बिल्कुल ग़लत है। धनी, निर्धन, मज़दूर, मालिक हिन्दू-मुसलमान दोनों में ही विद्यमान हैं और इस प्रकार का आर्थिक भेद सब राष्ट्रों में पाया जाता है। इस कारण से किसी राष्ट्र के टुकड़े नहीं कर दिये जाते।

(१०) कुछ लोग कहते हैं कि " पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं होगा, वह आत्म-निर्भर नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान के समर्थक समझते हैं कि पश्चिमी प्रान्तों में यद्यपि लोहे और कोयले का अभाव है फिर भी वहाँ पहाड़ी नदियों से बिजली खूब पैदा हो सकेगी जिससे मशीनें और कल कारखाने चलाये जा सकेंगे और चार लाख पचास हजार वर्ग मील क्षेत्रफल का पाकिस्तान कल कारखानों की दृष्टि से आत्म-निर्भर रह सकेगा। लाहौर के पत्र New Times के २९ नवम्बर १९३८ के अङ्क में इस पक्ष की विशेष पुष्टि की गई है। उस में लिखा है कि काश्मीर में फल बहुत होते हैं, मकरान के के समुद्रतट पर मछलियाँ मिलती हैं, पश्चिमी पंजाब में कुछ मिट्टी का तेल निकलता है और सिन्ध के सक्खर बाँध से निकलने वाली सात नहरों के द्वारा सींची जाने वाली पचास लाख एकड़ भूमि में लाखों टन गेहूँ, कपास, चाँवल, तिलहन, ज्वार आदि की उपज से भी क्या पाकिस्तान आत्म-निर्भर (Self Supporting) नहीं हो सकता ? और यदि आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान सब पदार्थों में आत्म-निर्भर न भी तो हो, क्या हानि है ? कोई भी देश सब बातों में तो आत्म-निर्भर नहीं होता। प्रत्येक देश को कुछ न कुछ वस्तुएं तो बाहर से मँगानी ही पड़ती हैं और यदि

ऐसा न हो तो दुनियाँ का सब व्यापार ही बंद हो जाय। तो फिर पाकिस्तान भी यदि बाहर से कुछ वस्तुएँ मँगाए तो उसी पर क्या आपत्ति हैं ? इस प्रश्न का विस्तृत विवेचन आगामी अध्याय के "आर्थिक दृष्टि से" शीर्षक में भली प्रकार से किया गया है। वहाँ पाठक देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान कितना दीन, हीन और दुर्दशाग्रस्त रहेगा ।

(११) "जब बर्मा जो भारत का ही एक प्रान्त था, १ अप्रेल १९३७ को भारत से अलग किया गया और उस पर आपत्ति कोई नहीं आई तो पाकिस्तान के अलग बनने से ही उस पर कौनसा विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा ? शायद कुछ लोग कहें कि बर्मा और भारत के बीच में तो पहाड़ों की प्राकृतिक सीमा थी, इसलिये उसे अलग कर दिया गया, तो ऐसी सीमा तो पाकिस्तान के चारों ओर भी है, उसके उत्तर पश्चिम में तो पहाड़ हैं, दक्षिण में थार का रेगिस्तान और पूर्व में जमुना नदी है जो पाकिस्तान को हिन्दुस्तान से अलग करती है। इस प्रकार पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमायें भी हैं जो बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा भी कर सकेंगी।" कौन भूगोल का विद्यार्थी इनको प्राकृतिक सीमायें कहेगा ? इसका विस्तारपूर्वक वर्णन "भौगोलिक दृष्टि से" वाले शीर्षक में पढ़ियेगा।

(१२) शायद कुछ लोग यह कहें कि लगभग २७ फीसदी सीमा-प्रांत में १० फी सदी और पंजाब में ४४ फी सदी हिन्दू हैं और सिन्ध के २८ नगरों में से २० नगरों में हिन्दुओं की संख्या अधिक हैं तथा सीमा-प्रांत में २६ नगरों में से ११ नगरों में हिंदू अधिक हैं, तो फिर पाकिस्तान में इन हिन्दुओं का क्या होगा ? इसका उत्तर यह है कि वे इन प्रांतों को छोड़कर हिन्दुस्तान में

जाबसेंगे। इस प्रकार आबादी का परिवर्त्तन हो जायगा क्योंकि हिन्दुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान में जाबसेंगे। इसी प्रकार का जन-परिवर्त्तन गत प्रथम महायुद्ध के पश्चात् टर्की, यूनान और बल्गेरिया में हुआ था, तो फिर वह हिन्दुस्तान में ही क्यों नहीं हो सकता ?" इस प्रश्न का उत्तर "जन-संख्या की दृष्टि से" शीर्षक वाले लेख में पाठक आगे पढ़ेंगे।

ये हैं कुछ तर्क जो पाकिस्तान के समर्थकों द्वारा हमारे सामने उपस्थित किये जाते हैं और शायद कुछ अल्प-बुद्धि वाले मनुष्य इनको पढ़ कर यही समझलें कि पाकिस्तान का बनना भारत देश, हिन्दुओं तथा मुसलमानों के लिए हितकर है, लेकिन बुद्धिमान् लोग जो गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करेंगे, तुरन्त इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि पाकिस्तान के समर्थकों के उपरोक्त सारे तर्क अपूर्ण, अधूरे और सारहीन हैं। उनसे कभी भी यह सिद्ध नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की योजना व्यवहारिक है और देश-हित केलिये वांछनीय है, जैसाकि अगले अध्याय में पाठकगण स्वयं देखेंगे। उससे पाठकों को पता चल जायगा कि किसी भी दृष्टिसे पाकिस्तान का बनना देश के लिये हितकर नहीं। हिन्दू तो हिन्दू, स्वयं मुसलमानों के लिये भी पाकिस्तान अत्यंत अहितकर और घातक सिद्ध होगा।

अध्याय ७

पाकिस्तान क्यों नहीं ?

गत अध्याय में उन तर्कों का संग्रह किया गया है जो पाकिस्तान के समर्थन में उपस्थित की जाती हैं। अब हम यह देखेंगे कि पाकिस्तान के समर्थन में जो भी बातें कही जाती हैं वे किन २ दृष्टियों से कही जाती हैं, उनके कितने प्रकार हैं और उन दृष्टिकोणों से विचार करने पर भारत देश तथा उसके निवासी हिन्दू और मुसलमानों के लिये पाकिस्तान कितना हानिकर सिद्ध होगा। पाकिस्तान के आन्दोलन कर्त्ताओं ने शायद इस पर विचार नहीं किया कि जिन मुसलमानों के हित साधन केलिये वे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उन्हीं के हितों केलिये वह अत्यन्त घातक सिद्ध होगा। यदि वे निम्न लिखित सारे दृष्टिकोणों से गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे तो उन्हें पता चल जायगा कि पाकिस्तान से क्या हानियां हो सकती हैं।

(१) भौगोलिक दृष्टि से।

सर्व प्रथम यदि हम भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो पता चलेगा कि भारतवर्ष एक देश है, जैसाकि १७ दिसम्बर सन् १९४२ को भारत के वायसराय ने कलकत्ता के एसोशियेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने भाषण देते हुये कहा था कि "भारत की भौगोलिक एकता को कभी भंग नहीं किया जा सकता उसकी एक केन्द्रीय सरकार होनी चाहिए ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के दृष्टिकोण को एक आवाज़ के साथ रख सके।"

वास्तव में भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष है भी एक ही देश। उसकी प्राकृतिक सीमायें इतनी सुदृढ़ हैं कि उन्हें सरलता से पार नहीं किया जा सकता। उन सीमाओं के द्वारा भारतवर्ष अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। भारत के तीन ओर विशाल समुद्र है। उत्तर में संसार का सबसे ऊंचा हिमालय है और उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। इस प्रकार भारतवर्ष प्रकृति का एक किला (A Fort of Nature है। इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में भूमि, जलवायु, उपज और प्राकृतिक दृश्यों की कुछ विभिन्नतायें हैं, लेकिन ऐसी विभिन्नतायें किस देश में नहीं पाई जातीं? क्या चीन, जापान, जर्मनी, रूस फ्रांस ब्रिटेन, कनाड़ा संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका तथा अन्य देशों में ऐसी विभिन्नतायें नहीं है? भूगोल का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि उपरोक्त प्रत्येक देश में अनेक जलवायु-विभाग और प्राकृतिक प्रदेश हैं, लेकिन उनके कारण उन देशों की भौगोलिक एकता में कोई अंतर नहीं पड़ता।

इस पर कुछ लोगों का यह कहना कितना भ्रमपूर्ण है कि- "क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, यहां तक कि वह एक महाद्वीप है" इसलिये उसके टुकड़े होजाने में कोई हानि नहीं। उन्हें सोचना यह चाहिये था कि यदि भारतवर्ष एक विशाल देश है, इसकी आबादी चीन के बाद सबसे अधिक है और उसमें विभिन्न प्रकार की उपज होती है, तो इन बातों से तो देश की शक्ति और महत्ता ही और बढ़ती है। अपने देश की विशालता, आबादी और उपज की अधिकता, तो उस देश के निवासियों के लिये गर्व का एक कारण होना चाहिये न कि उसके विभाजन का। कैसा हास्यास्पद कारण भारत विभाजन के लिये उपस्थित किया जाता है? क्या मजे की बात है कि यदि किसी के

दादा का घर बहुत बड़ा है और धन-सम्पति से भरा-पूरा है और उसमें रहने वाले भी परिवार के लोग अधिक हैं जो अब तक मिल के रहते आरहे हैं तो केवल इसलिये कि वह मकान बड़ा है उसके टुकड़े २ कर दिये जायें और घर वालों को बाँट दिये जायें। कैसा अनूठा तर्क है ? शायद यह तर्क उपस्थित करने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि United we stand,Divided we fall"-अर्थात् यदि हम एक रहते हैं तो संसार के सामने खड़े होसकते हैं, नहीं तो हमारा पतन अलग २ हो जाने पर अवश्यंभावी है।

इस प्रकार भारत की भौगोलिक एकता और अखंडता भारत की उन्नति के लिये एक वरदान है, न कि एक अभिशाप।

(२) ऐतिहासिक दृष्टि से

भारत का प्राचीन और मध्य-कालीन इतिहास भी हमें यही बतलाता है कि भारतवर्ष आदिकाल से अखण्ड रहा है। चाहे उसमें कभी २ छोटे २ राज्य भले ही बन गये, लेकिन वे सर्वदा अवांछनीय ही समझे गये और जो भी बड़ा सम्राट् हुआ उसने समस्त भारत के उन छोटे २ राज्यों को एक करने की ही चेष्टा की। कुछ इतिहासकारों ने यद्यपि यह लिखा है कि प्राचीन आर्य लोग केवल विन्ध्याचल तक ही फैले हुए थे, वे दक्षिण में नहीं गये थे, लेकिन यह उन इतिहासकारों की सरासर भूल है। और तो और, रामायण काल में ही कितने ही ऋषियों के आश्रम विन्ध्याचल के दक्षिण में मिलते हैं। यही नहीं, किन्तु श्री रामचन्द्र से लेकर युधिष्ठिर पर्यन्त और फिर चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट्

अशोक, समुन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि समस्त सम्राट् भारत को सर्वदा एक ही देश और एक ही साम्राज्य मानते रहे हैं। सिकन्दर महान् के समय के इतिहासकार आर्यन, विदेशी यात्री मेगस्थनीज़, फाहियान, ह्वेनसाँग, इब्नबतूता आदि ने भी अपने इतिहासों में भारत को एक ही देश मान कर उसका वर्णन लिखा है।

प्राचीन आर्य हिन्दू सम्राटों और विदेशी यात्रियों के अतिरिक्त भारत के जो मुसलमान सम्राट् हुए, उनके मस्तिष्क में भी कभी भारत के टुकड़े करने की बात नहीं सूझी अफ़गान, पठान अथवा मुग़ल सम्राट् सब भारत को एक ही देश मानते रहे। जो बात उन मुस्लिम बुजुर्गों को भी कभी नहीं सूझी, आज वही बात मुस्लिम-लीगियों के दिमाग़ में न मालूम कहाँ से उठ खड़ी हुई? शायद इनका दिमाग़ अपने बुज़ुर्ग आकाओं के दिमाग़ से दो कदम आगे है!

इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह सिद्ध होता है कि समस्त भारत सदा से एक ही देश रहा है। हाँ, प्राचीन आर्य सभ्यता के काल में और महाभारत काल तक में कन्धार (गान्धार देश) तथा अफ़गानिस्तान भी भारतीय साम्राज्य में शामिल रहे हैं। इसी प्रकार सीमा-प्रान्त और काबुल बहुत से पठान और मुग़ल सम्राटों के समय में भारत के एक प्रान्त बन कर रहे हैं। फिर जब से ब्रिटिश राज्य भारत में हुआ है तब से भी भारत एक अखंड देश माना जा रहा है। लाखों करोड़ों वर्ष से लेकर आज तक किसी ने स्वप्न में भी यह नहीं विचारा था कि भारत के खंड खंड किये जाँय, लेकिन बलिहारी है उन मुस्लिम-लीग के नेताओं के दिमाग़ की जिन्होंने सबसे पहले एक अनोखी सूझ लेकर पाकिस्तान की माँग कर डाली।

बहुत से लोग भूगोल और इतिहास की दृष्टि से भारत की तुलना यूरोप से करते हैं और कहते हैं कि जैसे यूरोप में अनेक राष्ट्र हैं, उसी प्रकार भारत में अनेक राष्ट्र क्यों नहीं हो सकते ? लेकिन वे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यूरोप का कटा-फटा समुद्री किनारा, उसमें अनेक प्रायद्वीपों, खाड़ियों और समुद्रों का होना और पर्वत श्रेणियों का फैलाव एक देश को दूसरे से अलग राष्ट्र बनाता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई प्राकृतिक बात नहीं जो उसमें अलग २ राष्ट्र बनाये। उसकी प्राकृतिक-सीमा उसे अन्य देशों से अलग करती है और उसके अन्दर विन्ध्याचल को छोड़कर और कोई पर्वत श्रेणि नहीं जो आवागमन के लिए बाधकर हो। विन्ध्याचल पर्वत भी अधिक ऊंचा नहीं। इस प्रकार भूगोल और इतिहास दोनों की दृष्टि से भारत एक और अखंड रहा है और आगे भी रहेगा

भारत की अखंडता को बृटिश राज्य ने और भी पुष्ट कर दिया है। समस्त देश में यातायात के समान साधन, रेलों और तारों का विस्तार, देश भर के लिए एक से नियम और कानून, नहरें और सड़कें, देश में एक सी शिक्षा, एक से स्कूल और कालेज, सबमें अंग्रेजी भाषा का माध्यम और एक सा शासन-प्रबन्ध, एक से सिक्के, एक से व्यापारिक नियम और एक से प्रांतीय शासन आदि बातें ऐसी हैं जिनसे विभिन्न प्रान्तों के निवासी एक दूसरे के और भी निकट आगये हैं। और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से हिन्दू और मुसलमान सभी में राष्ट्रीयता की भावना कुछ न कुछ उत्पन्न हुई है और बृटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने में दोनों का एक ही उद्देश्य है इस प्रकार ब्रिटिश-शासन काल में भारतीय एकता और भी बढ़ गई है। अंग्रेज़ी भाषा समस्त देश के लिये पारस्परिक व्यवहार और कार्य के लिए एक

माध्यम का काम कर रही है। ऐसे समय में भारत के खंड खंड करने की बात नितान्त असंगत और अव्यवहारिक प्रतीत होती है।

(३) राष्ट्रीय दृष्टि से।

जैसाकि पीछे कहा जाचुका है, इस समय राष्ट्रीय दृष्टि से भारत की एकता और अखंडता की और भी अधिक आवश्कता है। भारत के निवासियों में धर्मों की दृष्टि से हिन्दू और मुसलमान अधिक संख्या में हैं और उन दोनों का तथा अन्य अल्प-संख्यक जातियों का भी मुख्य ध्येय स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। भला ऐसा कौन भारतीय होगा जिसके हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की अभिलाषा न हो? कौन अपने जन्म सिद्ध राजनैतिक अधिकारों को छोड़ना चाहता है? राजनैतिक जागृति को इस युग में भी कौन ऐसा अभागा है जो अपने अधिकारों को नहीं समझता? लेकिन ये अधिकार लेने किससे हैं? न तो हिन्दुओं से मुसलमानों को मिलने हैं और न मुसलमानों से हिंदुओं को। इनके पास रक्खा ही क्या है? ये तो दोनों गुलाम हैं। किसके? ब्रिटिश सरकार के जिसके हाथ में सत्ता है और जिससे हिंदू-मुसलमान सभी को अधिकार प्राप्त होने हैं। क्या वे अधिकार हिन्दू और मुसलमान अलग अलग रहकर प्राप्त कर सकते हैं? क्या भारत के खण्ड-खण्ड करके भी उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं? नहीं कदापि नहीं। कहने को तो काँग्रेस, हिन्दू महासभा और मुस्लिम-लीग सभी का ध्येय स्वतंत्रता है और संसार जानता है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति का एकमात्र साधन एकता है No (liberty without Unity) एकता के बिना भला स्वतंत्रता कहाँ? जब यह बात है तो फिर समझ में नहीं आता

कि मुस्लिम-लीग अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग क्यों पका रही है ? क्यों वह भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग में रोड़े अटका रही है ? क्यों पाकिस्तान का प्रस्ताव रखकर भारत की अखण्डता और शक्ति को क्षीण करना चाहती है ? जब यह निश्चित है कि राष्ट्र हित के लिये पाकिस्तान विघातक है तो उसे बनाने की योजना क्यों की जारही है ? राष्ट्रीयता की दृष्टि से पाकिस्तान का बनना भारत के लिये कितना अधिक हानि-कारक है, इसका विशेष वर्णन एक आगामी अध्याय में दिये गये नेताओं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के विचारों से प्रकट हो जायगा।

(४) अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से

भारत के नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने गत मास में लाहौर में भाषण देते हुए कहा था कि और किसी समय में भारत को खण्ड २ करने का और पाकिस्तान बनाने का यदि कोई प्रश्न उठता तो शायद देश के लिए वह इतना हानिकर न होता जितना कि वह अब है जबकि संसार में सब जगह यह अनुभव किया जा रहा है कि छोटे २ राष्ट्रों को मिलाकर मित्र-राष्ट्र-संघ बनाये जायें। ठीक भी है, गत द्वितीय महा-युद्ध ने सिद्ध कर दिया है कि दुनियाँ में छोटे राष्ट्रों का कहीं कोई ठिकाना नहीं। यदि वे एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं तो कभी भी कोई बड़ा राष्ट्र आक्रमण करके उनकी स्वतंत्रता का अपहरण कर सकता है क्योंकि अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य किसी छोटे राष्ट्र में नहीं हो सकती, न उसमें इतनी साधन-संपन्नता हो सकती है कि वह किसी बड़े राष्ट्र का सामना कर सके और विशेष कर विज्ञान के इस नवीन युग में जबकि नित नये शस्त्रास्त्रों

का आविष्कार किया जारहा है। गत महायुद्ध में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल चुके हैं कि यूरोप के छोटे राष्ट्र कितनी जल्दी पराजित होगये। जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने किस प्रकार आस्ट्रिया, चैकोस्लोवैकिया, पोलैंड, हालैंड, बैलजियम, डेनमार्क, नॉर्वे आदि देशों की स्वतंत्रता को न कुछ दिनों में समाप्त कर दिया और फिर मित्र-राष्ट्र-संघ भी उसको तब तक नहीं हरा सके जब तक कि उन्होंने, अमरीका ब्रिटेन और रूस आदि ने मिलकर जर्मनी पर आक्रमण नहीं किया। ऐसे समयमें जबकिं सारे राष्ट्र-संघरूप में मिलकर एक होजाना चाहते हैं, तब भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने में कौनसी बुद्धिमत्ता है ?

और फिर जबकि भारत का विभाजन हो जावेगा, तो संसार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उसका प्रतिनिधित्व कितना निर्बल हो जावेगा ? उसकी आवाज कितनी बँटी हुई और कमज़ोर होगी ? इस समय संसार के प्रत्येक क्षेत्र और व्यवसाय में अन्तर्राष्ट्रीय संघ या समितियाँ बन रही हैं उनमें भारत को एक विशेष स्थान मिलना है। विश्व-राष्ट्र-संघ, विश्व ट्रेड यूनियन, साम्राज्य विरोधी विश्व-संघ, पी० एन० (कवि निबन्धकार और उपन्यासकार) की विश्व संस्था; अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ, विश्व शांति सम्मेलन आदि अनेक विश्व संस्थाओं में विभाजित भारत की क्या स्थिति होगी ? मई सन् १९३५ में बार्सिलोनाद् नगर में पी० ई० एन० की तेरहवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत की ओर से श्रीमती सोफिया-वाडिया प्रतिनिधिरूप में सम्मिलित हुईं। सन् १९२७ में ब्रूसैल्स में अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्य विरोधी-संघ में भारत की ओर से पं० जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित हुये थे। इसी प्रकार अन्य विश्व सम्मेलनों में, लीग आफ

नेशन्स में सैनफ्रासिंसको कान्फ्रेंस, अन्तर्राष्ट्रीय जन-गणना कान्फ्रेंस आदि में भारत का प्रतिनिधित्व प्रबल रहा यहां तक का सितम्बर सन् १९३८ ई० में राष्ट्र-संघ (League of Nations.) की असेम्बली का सभापति भारतीय मुसलमानों के प्रमुख सर आगाखां को बनाया गया था। इसीलिये ऑक्सफोर्ड विश्व विद्यालय के राजनीति के प्रोफेसर अलफ्रेड जीमर्न ने " India Analysed " के पृष्ठ १५ पर लिखा है:--आने वाले युग में भारत विश्व की राजनीति का प्रकाश-स्तम्भ बनेगा- । ....यदि भारत और किसी अन्य उपनिवेश के बीच समानता के आधार पर संबंध स्थापित करने का प्रयत्न विफल रहा तो उसका परिणाम समग्र मानव समाज पर पड़ेगा। प्रोफेसर जीमर्न के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में भारत का स्थान अद्वितीय है। इसीलिये शायद भारत के वायसराय महोदय ने अपने कलकत्ते के भाषण में (जिसका उद्धरण पहले दिया जाचुका है) कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में यदि भारत की दो आवाजें (हिन्दुस्तान की और पाकिस्तान की) अलग २ हुई तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। समस्त भारत की सम्मिलित एक आवाज़ बड़ा मूल्य रखती है।

अंतर्राष्ट्रीय समाज में भारत के महत्व के अतिरिक्त और कितनी ऐसी समस्यायें हैं जो अन्य देशों से संबंध रखती हैं और वे तभी हल हो सकती हैं जबकि भारत सम्मिलित रूप से उनके लिए प्रयत्न करे। प्रवासी भारतीयों का प्रश्न ही कितना महत्व पूर्ण है ? जनवरी सन् १९३७ की "सरस्वती" में लिखते हुए प्रवासी समस्या के विशेषज्ञ श्री स्वामी भवानीदयालजी सन्यासी ने लिखा था " कि प्रवासी भारतीयों की संख्या विदेशों में लग-

भग २५ लाख है। जहाँ २ वे बसे हुये हैं वहाँ २ उनको अपने देश की पराधीनता के कारण अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। ''

इसी प्रकार रंगभेद-प्रतिबन्ध (Colour-Bar.), भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का स्थान तथा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में अन्य देशों से सहयोग आदि ऐसे प्रश्न हैं जो सम्मिलित और अखण्ड भारत के ही द्वारा सुगमता से सुलझाये जा सकते हैं। यदि पाकिस्तान पृथक् बना दिया गया तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों की स्थिति और शक्ति कमज़ोर हो जायगी। फिर उन दोनों को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कौन पूँछेगा ? उनका क्या सम्मान होगा ?

(५) आर्थिक दृष्टि से।

आजकल के संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार किसी देश की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित होता है। यदि वह देश आर्थिक दृष्टि से ठीक स्थिति से में है। तो उसकी उन्नति होगी, नहीं तो वह अवनति की ओर जायगा। भारत में पाकिस्तान बनाने वालों के दिमाग़ में शायद यह बात अभी तक नहीं आई कि आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान कितना दीन और धनहीन रहेगा और उसमें बसने वाले मुसलमान भाइयों को कैसी २ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि हमारे मुसलमान भाई इस बात को पूर्णतया जान लें कि हिन्दुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान कितना गरीब रहेगा तो वे शायद् कभी भी पाकिस्तान का समर्थन न करें।

अर्थ शास्त्र के विशेषज्ञ श्री प्रोफेसर सी० एच० बेहरे ने "Indian Mineral Wealth and Political Future" (अक्टू-

बर १९४३) में इस विषय पर विशेषरूप से विचार किया है। वह लिखते हैं कि "संसार में भारत का क्या स्थान होगा, इसका निर्णय भारत की खनिज सम्पत्ति पर आश्रित है। वर्तमान लोह-युग में कोयला और लोहा सारे उद्योगी-करण के आधार-स्तम्भ है। मिट्टी का तेल भी आवश्यक है लेकिन वह कोयले से भी बनाया जा सकता है जैसाकि जर्मनी ने किया था। भारत की ९४ फी सदी कोयले की उपज पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलती है और लोहे के भंडार भी इन्हीं प्रान्तों में हैं। जो प्रान्त पाकिस्तान में शामिल होंगे उनमें लोहे की एक भी खान नहीं। लोहे की खानों वाले सारे ज़िले हिन्दुस्तान में रहेंगे, पाकि तान में नहीं। इसलिये यदि भारत का विभाजन हिन्दू और मुसलमान बहुसंख्या के आधार पर किया गया तो हिन्दू राज्य बहुत धनी होगा और मुस्लिम प्रदेश पाकिस्तान अत्यन्त दीन। साधारण तौर से यह कहा जा सकता है कि भारत का ९४ फी सदी कोयला और ९२ फी सदी लोहा हिन्दुस्तान के हिस्से में पड़ेगा। इनके अतिरिक्त सोना ताँबा मैनगानीज़ आदि आदि और भी धातुएँ हिन्दुस्तान के हिस्से में ही अधिक आयेंगी सन् १९३० से लेकर १९४० तक के भारत सरकार की अंक-गणना श्री रिपोर्टों से पता चलता है कि सन् १९३८ में निकलने वाले बृटिश भारतीय खनिज पदार्थों का मूल्य लगभग १२ करोड़ ३८ लाख रुपया था जबकि पाकिस्तान के खनिज पदार्थों का मूल्य केवल ६७ लाख रुपया था। उपज के विचार से भारत की खनिज सम्पत्ति का केवल ५ फी सदी भाग पाकिस्तान में उत्पन्न होता है।"

कला-कौशल की दृष्टि से भी पाकिस्तान कभी उन्नति नहीं कर सकेगा। पाकिस्तानी बङ्गाल प्रांत लोहे और कोयले केलिये

तरसता रहेगा जबकि हिन्दुस्तानी बङ्गाल का बर्दवान डिवीज़न और बिहार उड़ीसा में लोहे और कोयले की अधिकता के कारण अनेकों कल-कारखाने चलते होंगे। यही हाल पाकिस्तानी आसाम प्रांत का होगा, उसमें भी थोड़े तेल के अतिरिक्त और कोई विशेष खनिज पदार्थ नहीं मिलते। अन्य पाकिस्तानी प्रांत पंजाब, काश्मीर, सिन्ध, सीमा-प्रान्त और बिलोचिस्तान में भी खनिज पदार्थों का अभाव ही सा है। उनमें खेती और चरागाही ही होती रहेगी, कला-कौशल का विकास कभी नहीं होसकता इसलिये यदि ये प्रांत भारत के अन्य प्रांतों से मिलकर रहें, तभी उनका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं।

सन् १६३० से १६४० तक के सरकारी अङ्कों (Statistical Abstract for British India.) से पता चलता है कि पाकिस्तानी प्रांतों में उद्योग-धन्धों में लगे हुये लोगों की संख्या भारत के उद्योग धन्धों में लगे हुए लोगों की संख्या की केवल ६ फी सदी है जबकि पाकिस्तान की आबादी बृटिश भारत की आबादी की लगभग १२ फी सदी है। इससे सिद्ध होता है कि पाकिस्तानी प्रांतों में कला-कौशल की कितनी कमी रहेगी।

यही दशा खेती की उपज की भी है। पाकिस्तान में खेती करने योग्य भूमि प्रति मनुष्य के हिस्से में केवल पौन एकड़ पड़ेगी, जबकि शेष हिन्दुस्तान में प्रति मनुष्य के हिसाब में एक एकड़ से भी अधिक भूमि रहेगी। पाकिस्तान में तिलहन की उपज बहुत कम होगी और शक्कर, कपास और खाद्य-सामग्री भी हिन्दुस्तान में अधिक होगी, पाकिस्तान में कम। इस प्रकार कला-कौशल और कृषि दोनों की दृष्टि से पाकिस्तान एक दीन-धन-हीन प्रदेश रहेगा जिसमें खनिज-पदार्थों का सर्वथा अभाव

सा ही रहेगा। इसीलिये प्रोफेसर ब्रेहरे ने लिखा है कि यदि भारत को उन्नत बनना है तो कला-कौशल की उन्नति आवश्यक है और यदि कला कौशल की उन्नति करनी है तो वह अखण्ड भारत में ही हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं। और यदि कला कौशल की उन्नति में अन्य देशों की सहायता की कुछ आवश्कता पड़े तो वह भी अखंड भारत को ही मिल सकती है, विभाजित भारत को नहीं। भला खंड खंड हुए भारत के छोटे २ भागों पर कौन विश्वास करेगा और कौन उन्हें धन आदि की सहायता देगा ?

अपनी कोयले और लोहे की खानों, अपार जन-शक्ति और अतुल कृषि-उपज से अखंड भारत एक दिन समस्त एशिया के औद्योगिक विकास का नेता बन सकता है, विभाजित भारत नहीं। पड़ोसी बर्मा और चीन से अखंड भारत ही आगे बढ़ सकता है और अब तो एशिया के प्रमुख औद्योगिक देश जापान के पतन से भारत के औद्योगिक विकास और एशिया का नेतृत्व करने का और भी सुन्दर अवसर प्राप्त हो गया है। ऐसी दशा में भारत को अखंड रहकर आगे बढ़ना आवश्यक है, न कि टुकड़ों में बटजाना।

पाकिस्तान के कुछ पक्षपाती यह कहते हैं कि भारत में हिन्दू और मुसलमानों के आर्थिक हित अलग २ हैं, हिन्दू पूंजीपति हैं और मुसलमान अधिकतर नौकर और मज़दूर पेशावाले हैं, हिंदू उद्योग-धंधों और व्यापार में अधिक लगे हैं , मुसलमान खेती में। लेकिन यह कथन सरासर असत्य है क्योंकि हिंदू-मुसलमान दोनों ही खेती करने वाले भी हैं और नौकरी पेशेवाले भी, दोनों में थोड़े से लोग पूंजीपति धनी और ज़मीदार हैं।

हाँ ! हिन्दू कुछ अधिक हैं । लेकिन इससे क्या ? दोनों ही के हित एक से हैं । जहां शोषण का प्रश्न आयेगा, वहां दोनों ही पूंजीपति आगे आजायेंगे । यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के सभापति यदि हिंदू पूंजीपति बिड़ला जी हैं तो उसी बैंक के उपसभापति मुस्लिम पूंजीपति इस्पहानी जी हैं। अपने लाभ और धन संग्रह में हिंदू-मुसलमान दोनों पूंजीपतियों के हित समान हैं । इसी प्रकार मिलों के मजदूरों में हिन्दू-मुसलमान दोनों केलिये हानि लाभ एकसा होता है, दोनों के हित समान हैं । अतः यह कहना कि भारत में हिन्दुओं के हित मुस्लिम-हितों से पृथक् हैं नितांत भ्रमपूर्ण है और इस आधार पर पाकिस्तान का समर्थन करना एक मूर्खता-पूर्ण काम है ।

भारत सरकार को विभिन्न प्रांतों से जो आय होती है और व्यय किया जाता है, उसको दृष्टि में रखते हुए भी पाकिस्तानी प्रांत बहुत पिछड़े हुये हैं । सिंध, सीमा-प्रांत और बिलोचिस्तान तो घाटे के प्रांत हैं ही, पंजाब और बङ्गाल में भी कुछ विशेष बचत नहीं होती । स्वर्गीय खानबहादुर अल्लाबक्स के शब्दों में पूर्वी प्रांत तो " An Isolation Quarautine. " (एक छूत रोग से पीड़ित अलग कलन्तीना) है । जो पाकिस्तानी प्रांत घाटे के हैं, उनका घाटा अभी तो भारत की केन्द्रीय सरकार पूरा करती है, पाकिस्तान बन जाने पर यह सारा भार पंजाब पर आ पड़ेगा । इस समय केन्द्रीय सरकार से प्रतिवर्ष सिन्ध को १ करोड़ ५ लाख रुपया, सीमा-प्रांत को १ करोड़ रुपया, और बिलोचिस्तात को वहां का सारा व्यय दिया जाता है और हिसाब लगाकर देखा गया है कि सिन्ध अपना व्यय चलाने में सन् १९८४ तक भी समर्थ नहीं हो सकेगा । क्या अकेला पंजाब इन सबके घाटे

को पूरा कर सकेगा ? यदि नहीं तो जरा पाकिस्तान के समर्थक विचार तो करें कि इन प्रांतों का क्या बनेगा ?

केन्द्रीय सरकार को इस समय पाकिस्तानी प्रान्तों से ७ करोड़ १३ लाख ७९ हजार रुपये के लगभग वार्षिक मिलता है जबकि शेष हिन्दुस्तान से लगभग ५२ करोड़ रुपये की आय होती है। भला ७ करोड़ रुपये से सारे पाकिस्तान का व्यय साल भर तक कैसे चलेगा ? यदि उस व्यय को चलाने के लिये पाकिस्तान में नये टैक्स लगाये गये तो और भी मुसीबत होगी। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार अपनी कुल आय लगभग १२१ करोड़ रुपये में से लगभग ५२ करोड़ रुपया भारतीय सेना पर व्यय करती है और इस सेना में लगभग दो-तिहाई सिपाही पाकिस्तानी प्रांतों के होते हैं, ५८ फीसदी तो सिर्फ पंजाब के ही होते हैं। इस का अर्थ हुआ कि लगभग ३५ करोड़ रुपय तो सालाना पाकिस्तानी प्रांतों के सिपाहियों की जेबों में जाता है। क्या इन सिपाहियों के वेतन का रुपया पाकिस्तान की आमदनी में से दिया जा सकेगा ? इसकी विवेचना श्री अशोक महता और अच्युत पटवर्धन ने अपनी पुस्तक " The Communal Triangle in India " (१९४२ ई०) में अच्छे प्रकार से की है।

डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी ने पार्लियामेंट के शिष्ट-मंडल के लिये ता० ६ फरवरी १९४६ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में लेख लिखते हुये ठीक ही लिखा था कि पाकिस्तान बन जाने पर मुसलमान ही अधिक घाटे में रहेंगे। उन्हीं पर (जैसा कि हम पहले कह आये हैं) सेना का और पिछड़े हुये प्रान्तों का व्यय बढ़ जाने से और अधिक टैक्स लगाये जायेंगे क्योंकि पाकिस्तानी प्रान्तों का खर्च चलाने के लिये लगभग ६ करोड़ रुपये का और घाटा रहेगा। उधर बंगाल में घनी आबादी होने

के कारण प्रत्येक व्यक्ति को अगर प्रति दिन १४ छटाँक चावल राशन का औसत लगाया जाय तो बंगाल की समस्त उपज के अतिरिक्त १६ करोड़ मन चावल की सालाना और आवश्कता पड़ेगी। इस प्रकार पाकिस्तानी बङ्गाल प्रांत भी आत्म निर्भर नहीं रहेगा। पाकिस्तान के बजाय वहाँ "फ़ाकिस्तान" बन जायेगा।

इसी प्रकार कुल भारत पर इस समय जो लगभग २० अरब रुपया सार्वजनिक ऋण है, उसमें से कम से कम ५ अरब रुपये का ऋण पाकिस्तान पर रहेगा जिसका ब्याज ३ फीसदी सालना के हिसाब से भी १५ करोड़ रुपया सालाना होगा जो पाकिस्तान के सिर पड़ेगा। इस प्रकार सैनिक व्यय ३५ करोड़ रुपया, पिछड़े हुए प्रांतों पर व्यय लगभग ३ करोड़ रुपया, अपनी घटती का लगभग ६ करोड़ रुपया और सार्वजनिक ऋण का ब्याज १५ करोड़ रुपया सालाना सब पाकिस्तान के मत्थे मढ़ा जाएगा और इन सब का बोझ पाकिस्तान में रहने वालों पर ही पड़ेगा। फिर भला हमारे मुसलमान भाई सोचें तो सही कि पाकिस्तान अलग बनाने से उन्हें क्या लाभ है? कोरे सब्ज़ बाग दिखा कर अपना दिल खुश करने से क्या फायदा?

" हमको मालूम है जन्नत की हक़ीकत लेकिन,
दिल के बहलाने को ग़ालिब यह ख़्याल अच्छा है।"

यही नहीं, किन्तु यदि पाकिस्तानी प्रांतों में जंहा हिन्दू अधिक रहते हैं, उन भागों को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया (और वह तो किया भी जायगा) तो पाकिस्तान की आर्थिक दशा और भी खराब हो जायगी। डा० अम्बेदकर के लेखानुसार पाकिस्तानी प्रांतों की ६० करोड़ आय में से २४ करोड़ आय कम हो जायगी अर्थात् पाकिस्तान की कुल वार्षिक आय लगभग

३६ करोड़ ही रह जायगी। उधर हिन्दुस्तान की आय ६६ करोड़+२४ करोड़ अर्थात् १२० करोड़ हो जायगी।

उद्योग धन्धों की दृष्टि से पाकिस्तानी बंगाल में और भी मुसीबत आयेगी। अभी कुल बंगाल में बृटिश भारत की आबादी का लगभग २० फी सदी भाग रहता है और वहाँ कला-कौशल लगभग ३३ फीसदी है, लेकिन अब कलकत्ता नगर जहाँ लगभग १६ लाख आबादी हिन्दुओं की है और केवल ४॥। लाख मुसलमानों की, तथा पश्चिमी बंगाल जहाँ हिन्दुओं की अधिक संख्या है, पाकिस्तानी बंगाल से अलग हो जायगे तो पाकिस्तानी बंगाल में केवल २॥ फी सदी कला-कौशल रह जायगा। आसाम में पहले से ही कोई औद्योगिक विकास नहीं है। फिर भला कला-कौशल और औद्योगिक दृष्टि से इन पूर्वी पाकिस्तानी प्रांतों की क्या दीन अवस्था रहेगी, इसका अनुमान सहज ही में किया जा सकता है।

लेकिन इन पाकिस्तानी प्रांतों की आर्थिक दीन दशा से मुस्लिम लीग को क्या? उसके प्रधान मिस्टर जिन्ना ने २१ सितम्बर १६४५ के "New York-Times" के अंक में प्रकाशित मि० हरबर्ट मेथ्यूस से मुलाक़ात के समय कहा था, "अफगानिस्तान एक गरीब देश है, फिर भी वह अपना गुज़ारा करता है, ईराक़ का भी यही हाल है। यदि इसी प्रकार हम पाकिस्तान में गरीबी से रहेंगे तो हिन्दुओं को क्या? ठीक! हिन्दुओं की कोई हानि नहीं यदि मुसलमान एक अच्छी हालत को छोड़कर दीन दशा में रहना चाहते हैं तो रहें। हमारा क्या बिगड़ता है? लेकिन मि० जिन्ना ने क्या उन समस्त मुसलमानों से भी पूछ लिया है जिनके प्रतिनिधित्व का वह दावा करते हैं और जिनको

वह सर्वदा के लिये दीनता और गरीबी के गड्ढे में डाल देना चाहते हैं ?

तारीख ८ नवम्बर १९४५ को अमेरिका के असोशियेटेड प्रेस को वक्तव्य देते हुए मिस्टर जिन्ना ने पाकिस्तान की रूप रेखा बतलाते हुये उसकी आर्थिक स्थिति का बड़ा मन-मोहक चित्र खींचते हुये कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ठोस होगी, पाकिस्तान दो टुकड़ों में बँटा होने पर भी अपने प्राकृतिक साधनों द्वारा एक महान् शक्ति के रूप में खड़ा हो जायगा। उसका भविष्य महान् हैं क्योंकि उसके लोहे, कोयले, तेल, गन्धक तथा अन्य खनिज साधनों को तो अभी तक छुआ भी नहीं गया है।

यह है मि० जिन्ना की सम्मति, लेकिन आर्थिक दशा के सम्बन्ध में मि० जिन्ना का क्या ज्ञान हो सकता है, यह सभी पाठकों को विदित है।

"हिन्दुस्तान टाइम्स" के संपादक महोदय ने तारीख ११ नवम्बर १९४५ के अग्रलेख में ठीक ही लिखा था कि भारतीय समस्याओं से अनभिज्ञ एक विदेशी प्रेस प्रतिनिधि को बहकाने में मि० जिन्ना को क्या लगता है !

प्रो० कूपलैण्ड ने लिखा है कि "हिन्दू बहुल कलकत्ता को निकालकर बंगाल केवल एक खेतिहर प्रदेश रह जायगा जिसका चटगाँव एक छोटा सा बन्दरगाह होगा।" इसीलिये पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का विशेष अध्ययन करने वाले सर होमी मोदी तथा डा० जौन मथाई ने लिखा है कि "यदि राजनैतिक कारणों से भारत के टुकड़े किये गये तो भारत की उन्नति अवरुद्ध हो जायगी

और उसकी आर्थिक दुर्दशा होगी जोकि तब तक नहीं रुक सकती जब तक कि उसके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाय। तारीख १५ अक्टूबर १९४५ के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखते हुए प्रोफेसर एम० एल० दाँतवाला ने ठीक लिखा था कि "आर्थिक दृष्टि से भारत में पाकिस्तान का बनाया जाना किसी प्रकार भी तर्क संगत नहीं, न तो उसमें जीविका के साधन अच्छे मिल सकेंगे और न वह बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकेगा। सर होमी मोदी और डा० मथाई ने पाकिस्तान की रक्षा की समस्या पर अधिक विचार नहीं किया"। डा० अम्बेदकर ने इस प्रश्न पर अधिक विचार करके लिखा है कि क्षेत्र फल, आबादी और सरकारी आय के विचार से पाकिस्तान शेष हिन्दुस्तान की अपेक्षा बहुत दीन दशा में रहेगा। इसी प्रकार " Why Pakistan And Why Not ?" में लेखक ने कितने सुन्दर शब्दों में कहा है कि भारत की आर्थिक दशा, जन-शक्ति, सम्पत्ति, साधन, भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि भारत में पाकिस्तान बनाना नितान्त हानिकर और बुद्धि-हीनता का कार्य होगा।" इसीलिये प्रो० कूपलैण्ड ने जोरदार शब्दों में लिखा है कि यह बात निर्विवाद और स्पष्ट है कि जो रक्षात्मक और आर्थिक लाभ पाकिस्तान को हिन्दुस्तान के साथ मिलकर रहने में होता है वह हिन्दुस्तान से अलग होकर उसे कभी प्राप्त नहीं होगा।

अर्थ-शास्त्र के महान् विद्वान् लोगों की जो सम्मतियाँ ऊपर लिखी गई हैं उनसे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि हिन्दुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान की कैसी आर्थिक दुर्दशा होगी। उसके आर्थिक साधन कितने कम होंगे और उसके रहने वालों को जो अधिकतर मुसलमान होंगे, किन २ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना

पड़ेगा ! क्या हमारे मुसलमान भाई व्यर्थ ही ये सारी मुसीबतें झेलने के लिये तैयार हैं ?

(६ सैनिक दृष्टि से

पाकिस्तान के आर्थिक पहलू पर विशेषरूप से विचार करने वाले सर होमी मोदी और डा० मथाई ने यद्यपि पाकिस्तान की रक्षा के प्रश्न पर अधिक विचार नहीं किया, तो भी उन्होंने मोटे तौर से यह तो लिखा ही है कि पाकिस्तान की रक्षा सैनिक दृष्टि से तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वह हिन्दुस्तान से सहयोग न करे। जब यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो फिर उसको हिन्दुस्तान से अलग किया ही क्यों जाय ? यद्यपि यह ठीक है कि वर्तमान भारतीय सेना में आधे से अधिक सिपाही पाकिस्तानी-प्रान्तों के हैं लेकिन केवल सिपाही किसी देश की रक्षा नहीं किया करते। राष्ट्र की रक्षा के लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन पर भी तो कुछ ध्यान देना चाहिये:-

(१) सर्व प्रथम राष्ट्र की रक्षा केलिये प्राकृतिक सीमायें चाहिये। वे पाकिस्तान में कहां हैं ? कहा जाता है कि पूर्व में जमुना या सतलज नदी और दक्षिण में थार का रेगिस्तान प्राकृतिक सीमायें हैं लेकिन इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि नदियां और रेगिस्तान देश की रक्षा में कभी समर्थ नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान और शेष हिन्दुस्तान के बीच में न तो पश्चिमी प्रांतों में और न पूर्वी प्रांतों में कोई प्राकृतिक सीमा है। ऐसी दशा में इन दोनों में नित्य नये झगड़े होने की सम्भावना है।

(२) रक्षा केलिये जो सेना रक्खी जाती है उस पर लगभग सब ही देशों में अन्य सब राजकीय विभागों से अधिक व्यय

किया जाता है और उस व्यय को पूरा करने के लए प्रजा पर टैक्स लगाये जाते हैं। जब जैसाकि पहले लिखा जा चुका है, पाकिस्तान के निवासियों को अपने खाने के ही लाले पड़ेंगे तो फिर वे नये करों को कैसे दे सकेंगे और फिर पाकिस्तानी सेना का व्यय कैसे चलेगा ?

(३) सेना केलिये अस्त्र-शस्त्रों की अधिक आवश्यकता होती है और आजकल बिना लोहे, कोयले और तेल के कोई शस्त्र न बनाये जा सकते हैं और न चलाये जा सकते हैं और पाकिस्तान में इन पदार्थों का अभाव ही है। फिर डा० अम्बेद्कर के शब्दों में हिन्दुस्तान की अपेक्षा पकिस्तान कैसे सबल हो सकेगा ? इसलिये प्रो० कूपलैंड ने लिखा है कि राष्ट्रीय रक्षा और सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

(४) समुद्री सेना और जहाज़ी बेड़ा रखने केलिये पाकिस्तान के पास करांँची और चटगाँव के अतिरिक्त कोई बन्दरगाह नहीं होगा और करांँची पर भी रूस की निगाह है। जैसाकि बम्बई के भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री के० एम० मुन्शी ने तारीख २१ अक्टूबर १९४५ को अजमेर में व्याख्यान देते हुये कहा था कि भारत के कम्यूनिस्ट लोग पाकिस्तान का समर्थन इसलिये कर रहे हैं कि मुस्लिम-लीग साम्यवादी रूस को करांँची का बन्दरगाह दे दे। इसी घटना का उल्लेख तारीख २७ अक्टूबर १९४५ के बम्बई के पत्र "Blitz" के थम पृष्ठ पर किया गया है जिसमें लिखा गया है कि भारतीय कम्यूनिस्टों की सहायता से मुस्लिमलीग से मिलकर रूसी सरकार मास्को से ईरान और पेशावर में होकर करांँची तक एक रेलवे लाइन बनाना चाहती है

यदि यह सच है, तब तो मुस्लिम-लीग का पाकिस्तान अपनी रक्षा करने के बजाय रूस का गुलाम होने जा रहा है और करांँची तक रूस के पैर फैलाने में सहायक होगा। पाकिस्तान के पास वैसे भी करांँची का एक ही अच्छा बन्दरगाह होगा और वह भी रूस के प्रभुत्व में चला जायगा, तो फिर पाकिस्तान का समुद्री बेड़ा कहाँ रह सकेगा? फिर समुद्र की ओर से पाकिस्तान की रक्षा का क्या उपाय होगा?

(५) जैसाकि पहले लिखा जा चुका है पंजबी सिपाहियों का वेतन चुकाने केलिये आज कल भी हिन्दुस्तानी आय कोष से सहायता ली जाती है तो फिर पाकिस्तान उनका वेतन कहाँ से दे सकेगा और बिना वेतन पाये सिपाही तो लड़ने से रहे। अब इस प्रकार सैनिक और रक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान असफल और निर्बल रहेगा, तो उसके बनाने से क्या लाभ?

(७) धार्मिक दृष्टि से

मुस्लिम-लीग ने पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा आधार धर्म को माना है। और वह धर्म अथवा मज़हब के नाम पर भारत के टुकड़े करने पर तुली हुई है। संसार का इतिहास बतलाता है कि आज तक किसी देश का विभाजन मज़हब के नाम पर नहीं हुआ लेकिन भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा जो न किया जाय सो थोड़ा है। उसे यह पता नहीं कि अब इस नवीन युग में धर्म को वह स्थान कहीं पर भी प्राप्त नहीं है जो कि पहले था। मध्य-पूर्व के मुस्लिम देशों में ही मज़हब की और इस्लाम की वह क़द्र नहीं रही जो पहले थी। अब से पच्चीस वर्ष पूर्व मुस्लिम जगत् के गुरु ख़लीफ़ा की गद्दी को टर्की के राष्ट्र-पिता कमालपाशा ने उखाड़ फेंका था।

खिलाफ़त का नामोनिशान मिटा दिया था। इसी प्रकार ईरान के बादशाह रज़ाशाह पहलवी, अफगानिस्तान के शाह अमान-उल्लाह, अरब के इब्नसऊद और मिश्र के शाह फ़रुख आदि ने भी अपने देशों में नवीन सुधार करके मज़हब की महत्ता को कम कर दिया है। फिर भी हमारे भारतीय मुसलमान भाई अब भी मज़हब को आगे रख कर राष्ट्रीयता को परे फेंक रहे हैं। शायद वे अपनी उस हिज़रत को भूल गये हैं जो उन्होंने खिलाफ़त आन्दोलन के समय की थी और जिसमें वे अफ़गानों द्वारा अप-मानित होकर विपत्ति में पड़े थे। अब तो अतातुर्क कमालपाशा के शब्दों में (Islam is not only a Religion but also a Father-land) "इस्लाम केवल मज़हब ही नहीं है, किन्तु पितृ-भूमि भी है।" अब सब जगह मज़हब के स्थान पर राष्ट्रीयता को प्रधानता दी जा रही है। प्रोफ़ेसर कूपलैंड ने अपनी पुस्तक "The Future of India" (१९४४) में ठीक ही लिखा है कि:—

"एक और भी बात है जिससे पाकिस्तान की योजना असंगत प्रतीत होती है। उसकी राष्ट्रीयता मज़हब पर आधारित है लेकिन प्रथम महायुद्ध के पश्चात् सबसे बड़ा परिवर्तन संसार की मुस्लिम विचार-धारा में हुआ और मज़हब का स्थान राष्ट्रीयता ने लेलिया टर्की के प्रेस मिशन ने जो सन् १९४३ में भारत में आया था, भारतीय मुस्लिम-लीग के मज़हबी विचारों से कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की"। इससे स्पष्ट है कि मुस्लिम-संसार पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है और भारत में भी मुस्लिम-लीग के अतिरिक्त अन्य करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिये पाकिस्तान को हानिकर समझते हैं और मज़हब के आधार पर हिन्दुस्तान के टुकड़े करने के पक्ष में नहीं हैं। वे हिन्दुओं

के साथ सैकड़ों वर्षों से रहते आये हैं और अब भी हिन्दुस्तान में रहना चाहते हैं। डाक्टर इक़बाल के शब्दों में वे कहते हैं:—

"मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा ॥"

फिर पाकिस्तान के पक्षपाती कहते हैं कि पाकिस्तान बन जाने से भारत की साम्प्रदायिक समस्या का हल हो जायगा; लेकिन यह कैसे? यह कोई भी नहीं बतलाता। पाकिस्तान बन जाने पर भी उसमें भी हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान सब ही रहेंगे। फिर वही साम्प्रदायिक समस्या उठ खड़ी होगी। मि० एडवर्ड थौम्सन ने अपनी पुस्तक "Enlist India For Freedom" के पृष्ठ ५२ पर लिखा है कि "वार्त्तालाप के समय मि० जिन्ना ने उन्हें जवाब दिया कि पाकिस्तान बन जाने पर भी प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राम में दो जातियाँ आमने-सामने मुकाबले के लिये रहेंगी। इस समस्या का और कोई हल नहीं।" आयरलैंड के विभाजन का उदाहरण भी हमारे सामने है। दक्षिणी आयरलैंड का उत्तरी-आयरलैंड से अलग हो जाने पर भी वहाँ की साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं हुई। जैसाकि प्रोफेसर कूपलैंड ने लिखा है। दक्षिणी आयरलैंड में ६ फी सदी प्रोटैस्टैंट हैं और उत्तरी आयरलैंड में ३३ फी सदी कैथोलिक लोग हैं उनमें अब भी झगड़े होते ही रहते हैं।

पाकिस्तान बन जाने पर भारत की भी वही दशा होगी जो आयरलैंड की हुई। जो साम्प्रदायिक समस्या इस समय समस्त भारत में है, वही कुछ छोटे रूप में पाकिस्तान में भी मौजूद रहेगी। मि० पंजाबी ने अपनी पुस्तक "Confederacy of India" में लिखा है कि कुल आबादी पाकिस्तान में लगभग

९ करोड़ होगी जिसमें से लगभग ३ करोड़ मुसलमान होंगे। इसी प्रकार अन्य योजनाओं में भी हिन्दू और मुसलमानों का विभिन्न अनुपात है। फिर सिक्खों की समस्या भी कठिन है। लगभग ६० लाख सिक्ख तो अकेले पंजाब में ही हैं और वे सब ज़िलों में फैले हुए हैं जो किसी प्रकार भी बांटे नहीं जा सकते। जिस प्रकार मुसलमान भारत में अल्प-संख्यक बन कर नहीं रहना चाहते, उसी प्रकार सिक्ख और अल्प-संख्यक हिन्दू भी पाकिस्तान के मुस्लिम-राज्य में क्यों रहना चाहेंगे? यदि पाकिस्तान के रहने वालों (जो भारत की आबादी के कुल ४।। फी सदी और बंगाल को मिलाकर ११।। फी सदी है) की बात मान कर भारत से पाकिस्तान को अलग किया जाता है तो उसी तर्क के आधार पर सिक्खों की बात मान कर "सिक्खिस्तान" को पाकिस्तान से क्यों नहीं अलग किया जायगा? सिक्खों की मांग पाकिस्तान के मुसलमानों से वही होगी जो लीगी मुसलमानों की भारत के हिन्दुओं से है। इसलिए सन् १९४२ में सर्व दल सिक्ख कमेटी ने क्रिप्स-प्रस्तावों का ज़ोरदार विरोध किया था और अपने प्रस्तावों में कहा था:—

> "We shall resist by all possible means separation of the Punjab from all India Union."

अर्थात्—(हम सिक्ख लोग) अखिल भारतीय संघ से पंजाब को अलग किये जाने का सब संभव उपायों से विरोध करेंगे।

इसी प्रकार बंगाल में मुसलमानों की आबादी ५४ फी सदी है और आसाम में केवल ३३ फी सदी। पश्चिमी बंगाल में तो मुसलमान केवल १३ फी सदी ही हैं और हिन्दू ८६ फी सदी।

फिर पाकिस्तान के इन पूर्वी प्रान्तों में साम्प्रदायिक समस्या कैसे हल होगी ? प्रोफेसर कूपलैंड के शब्दों में वह तो और अधिक उलझ जायगी।

इस प्रकार भारत की साम्प्रदायिक समस्या का हल पाकिस्तान बनाने से किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार यूरोप और अमेरिका में प्रोटैस्टेंट और कैथोलिक तथा रूसमें कई मज़हबों के लोग एक राष्ट्रीय झंडे के तले प्रेम से मिल कर रहते हैं वैसे ही हिन्दू-मुसलमानों को भारत में भी रहना चाहिए। मज़हब के आधार पर पाकिस्तान बनाना एक भूल होगी।

(८) जातीय दृष्टि से

बहुत से पाकिस्तान के समर्थक इस बात का अधिक बल देते हैं कि भारत में जातीय भेद (Racial differences) अधिक हैं और वे कभी मिल नहीं सकते, इसलिये भारत एक देश नहीं रह सकता, उसके टुकड़े होने ही चाहिए। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस बृटेन आदि अनेक राष्ट्र (Nations) हैं लेकिन उनके निवासी एक ही जाति (Race) आर्यों की इंडो-यूरोपियन शाखा के हैं, लेकिन भारत में तीन विभिन्न बड़ी जातियों (Races) हैं। उत्तर भारत के पंजाबी, दक्षिण के मद्रासी और पूर्व के आसामी क्रमशः आर्यन, ड्राविडियन और मङ्गोलियन जाति के हैं। मि० एल० हमजा ने अपनी पुस्तक "Pakistan--A Nation" में इस बात पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि उपरोक्त तीन जातियों से बसा हुआ भारत कभी एक नहीं हो सकता।

मि० हमजा के दिमाग़ में एक ऐसी अजीब सूझ आई है जो भारत के बड़े से बड़े शत्रु के मस्तिष्क में भी नहीं आई थी। यह

अजीब सिद्धांत शायद जर्मन विद्वान् अल्फ्रेड रोजनवर्ग के सिद्धांत पर आश्रित है जिसने कहा था कि जर्मन लोग सब से श्रेष्ठ जाति के हैं और जातियों (Races) के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन होना चाहिये। इसी आधार पर शायद पाकिस्तान के समर्थक भारत को एक राष्ट्र नहीं रहने देना चाहते लेकिन उनके मतानुसार भी पाकिस्तान कैसे बन जायेगा ? उनके पश्चिमी पाकिस्तान में आर्य जाति (Aryan Race) और पूर्वी पाकिस्तान में मङ्गोल जाति के लोग होंगे। अगर जातियों के आधार पर ही राष्ट्र बनाने हैं तो दो जातियों का एक राष्ट्र पाकिस्तान कैसे बन सकेगा? और फिर शेष हिन्दुस्तान में भी तो आर्य जाति के करोड़ों हिन्दू-मुसलमान छूट जायेंगे। अगर एक जाति का एक राष्ट्र बनाना है तो हिन्दुस्तान से पाकिस्तान को अलग कैसे किया जा सकेगा ? शायद मि० हमज़ा यह भूल गये कि मुस्लिम-लीग तो मज़हब के आधार पर पाकिस्तान बना रही है, नकि जाति (Race) के आधार पर।

भारतीय इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि भारत में कई जातियों का संमिश्रण हुआ है और वे अब एक दूसरे में इतनी घुलमिल गई हैं कि वे अलग नहीं की जा सकतीं। यहां तक कि न्यूयार्क में पीटरसन में व्याख्यान देते हुए लार्ड हैलीफैक्स ने 'भारत की जातियों का विभाजन नहीं किया जो मिस्टर हमज़ा कर रहें हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भारत निवासियों का उद्भव कई जातियों से हुआ है कुछ लोग लम्बे और गोरे हैं, कुछ छोटे और काले, कुछ युद्ध प्रिय हैं और कुछ कला-कौशल प्रिय, कुछ नवीन विचारों के हैं, कुछ पुराने विचारों के हैं।" इसका तात्पर्य यही है कि भारत में विभिन्न प्रकार और आदत के लोग हैं लेकिन उसका मतलब

यह नहीं है कि इस आधार पर भारत के टुकड़े किये जा सकते हैं। इस प्रकार के भेद तो ब्रिटेन, रूस, अमेरिका आदि अनेक राष्ट्रोंमें पाये जाते हैं। रूस में गोरे, काले, पीतवर्ण, छोटे और लम्बे कद वाले और भिन्न स्वभाव और रीति-रस्म वाले लोग होते हैं, फिर भी रूस एक ही राष्ट्र है। बृटेन में अंग्रेज व्यवहारिक कार्यों में कुशल, स्कॉटलैण्ड के निवासी सख़्त मिज़ाज और मितव्ययी तथा वेल्स के निवासी जल्दबाज़, उदास चित्त और कल्पना में विचरने वाले होते हैं, तो क्या ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं है? क्या इन तुच्छ आधारों पर ब्रिटेन के लोग अपने राष्ट्र के टुकड़े करने का प्रस्ताव कर सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसा मूर्खता-पूर्ण प्रस्ताव तो केवल मुस्लिम-लीगीयों के दिमाग़ में ही आ सकता है जो भारत से कुछ भी प्रेम नहीं रखते। नहीं तो मि० पंजाबी के शब्दों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही भारत भूमि के समान पुत्र हैं और दोनों ही एक ही आर्य जाति (Aryan-Race) की संतान हैं। फिर भारत का विभाजन कैसा?

(९) सांस्कृतिक दृष्टि से

पाकिस्तान के समर्थकों का कहना है कि भारत में हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति (Culture) अलग २ है, इसलिये वह कभी मिल नहीं सकती और न हिन्दू और मुसलमान एक साथ मिलकर रह सकते हैं, जैसाकि सन् १९४० में ऑल इंडिया मुस्लिम-लीग के वार्षिक अधिवेशन में मिस्टर जिन्ना ने कहा था कि इस्लाम और हिन्दू धर्म केवल धर्म नहीं है, वे तो पृथक् २ समाज के संगठन हैं और यह सोचना कि वे दोनों मिलकर एक राष्ट्र बना सकते हैं, केवल एक स्वप्न मात्र है।

लेकिन मि० जिन्ना को क्या यह पता नहीं है कि भारत में हिन्दू और मुसलमान लगभग १२०० वर्ष से साथ २ रह रहे

हैं। एक ही नगर, ग्राम, और मोहल्ले में हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहते हैं और कभी २ तो कहीं २ एक ही घर में हिन्दू और मुसलमान ऊपर और नीचे की मंजिल में प्रेम-पूर्वक रहते हैं उनके रीति-रस्मपर कोई आपत्ति नहीं आती। वे एक दूसरे को कोई भाई, चाचा, भतीजे और काका कह कर पुकारते हैं। एक दूसरे के त्यौहारों पर हर्ष मनाते हैं, गले मिलते और भेंट देते हैं। जैसाकि डा० अन्सारी ने अपनी पुस्तक "पाकिस्तान" के पृष्ठ २४ पर लिखा है It is influence of Aryan culture that has made the Indian Mnslim what he is." अर्थात् आर्य संस्कृति के प्रभाव से ही जैसा कुछ भारतीय मुसलमान है, वह बना है। मुसलमानों के सामाजिक जीवन में अनेक बातें हिन्दू रीति-रिवाजों की आगई हैं जैसे—

(१) पंजाब के कुछ लोगों के नाम हिन्दुओं जैसे ही होते हैं और वे अपनी वंशावली ब्राह्मणों के ढंग से ही रखते हैं यद्यपि उनका मज़हब इस्लाम है।

(२) हिन्दू और मुसलमान दोनों के अनेक उपनाम अब भी एक से होते हैं जैसे चौधरी, सरदार, मलिक इत्यादि।

(३) विवाह शादी के कामों में भी बहुत से मुसलमान हिन्दू पंडितों को भी बुलाते हैं, हिन्दू रीति-रस्म बरतते हैं और उनके यहाँ दायभाग और सम्पति विभाजन आदि में हिन्दू नियमों का पालन किया जाता है।

(४) बहुत से मुसलमान पीर फ़क़ीरों के चेले हिन्दू होते हैं और बहुत से हिन्दू योगियों के शिष्य मुसलमान होते हैं।

(५) अनेक स्थानों में हिन्दू और मुसलमानों के स्थान पास २ होते हैं जैसे पंजाब में जमाली सुलतान की कब्र और दयालु भवन गिरोत में पास २ हैं और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही उनका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार से अजमेर में मुईनुद्दीन चिस्ती, दिल्ली में ख्वाज़ा निजामुद्दीन इत्यादि की दरगाह की पूजा बहुत से हिन्दू भी करते हैं। हिन्दू सनातन-धर्मियों का वेदांतवाद मुसलमानों के सूफ़ीवाद से बिलकुल मिलता जुलता है।

(६) हिन्दू-धर्म का भक्तिवाद अधिकांश में मुस्लिम-भक्ति-वाद से मिलता है, इसीलिये हिन्दू-भक्ति आन्दोलन के प्रचारक चैतन्य महा-प्रभु, दादू स्वामी, भक्त कबीर और गुरु नानक आदि अनेक ऐसे महा पुरुष हुए जिन्होंने हिन्दू मुसलमानों को मिलाने का प्रयत्न किया और दोनों ही मतों के लोग उनके भक्त हो गये हैं।

(७) भारतीय संगीत-शास्त्र, वास्तु विद्या, कला-कौशल तथा हिन्दी, उर्दू और प्रांतीय भाषाओं के विकास में भी हिन्दू और मुसलमान दोनों का ही हाथ रहा है। दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से ही कला, साहित्य, और संगीत का विकास हुआ है। कितने साज, बाजे, स्वर, ताल, राग रागिनियाँ हिन्दू-मुसलमान दोनों के मेल का साक्षात् उदाहरण हैं।

इस प्रकार भारत की संस्कृति ने, कला-कौशल रीति-नीति, रस्म, रिवाज़, साहित्य, संगीत आदि सब बातों में हिन्दू और मुसलमान ऐसे घुलमिल गये हैं कि उनको संस्कृतियों को अलग २ नहीं किया जा सकता और संस्कृति के आधार पर पाकिस्तान बनाकर भारत के टुकड़े नहीं किये जा सकते। इसीलिये

श्री० के. एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक "अखंड हिन्दुस्तान" में लिखा है:—

"भारत के हिन्दू और मुसलमानों की नसों में एक ही रक्त दौड़ रहा है। वे आर्य, द्राविड़ और सीदियन वंशों के एक मिश्रण हैं हमने एक सर्व साधारण की भाषा का विकास किया है। हमने भिन्नता में एकता उत्पन्न की है जिसके चमकते हुये उदाहरण अकबर और कबीर हो चुके हैं। हिन्दू और मुस्लिम विचारों ने एक दूसरे पर प्रभाव डाला है। हिन्दुओं में से मत परिवर्त्तन करके गये हुए लोग मुसलमानों में संतबने हैं। बंगाल के राजा के मंत्री जैसे मुललमान रूपा और सनातन बन चुके हैं जो चैतन्य सम्प्रदाय के वैष्णव बड़े गोसाई थे। गुरु नानक और कबीर की शिक्षायें और खोजा लोगों का मत जिनकी पवित्र पुस्तक "दशावतारी" में विष्णु का अवतार स्वीकार किया गया है, हिन्दू-मुस्लिम सम्मिश्रण के ही उपज हैं। हमारे उद्योग-धन्धे, हमारे आमोद-प्रमोद, हमारी कला-कौशल, तथा हमारे संगीत और साहित्य सब हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क की ही उपज हैं। ग्रामों में जहाँ भूत काल की छटा अब भी दिखाई देती है, हिन्दू और मुसलमान एक ही भूमि से उत्पन्न होने के कारण और एक ही सभ्यता में पले होने के कारण परस्पर नाते-रिश्ते रखते हैं।

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि संस्कृति और सभ्यता के आधार पर पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हिन्दू और मुस्लिम ऐसी अलग २ दो सभ्यतायें है ही नहीं। समस्त भारत में केवल एक आर्य अथवा भारतीय संस्कृति है। दो नहीं ।

(१०) भाषा को दृष्टि से

पाकिस्तान के समर्थक मिस्टर हमजा ने जातीय (Racial) भेद से भी अधिक बल भारत की भाषाओं की भिन्नता पर दिया है। वह अपनी पुस्तक "Pakistan A Nation" में लिखते हैं, "भारत में भाषाओं की भिन्नता संसार में समान क्षेत्रफल वाले सब प्रदेशों से अधिक है। भारत के निवासी ६ विभिन्न भाषा कुलों से निकली हुई २२५ भाषाएं बोलते हैं जब कि यूरोप महाद्वीप में कुल ६० भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से भी ४५ एक कुल की हैं।" लार्ड हेलीफैक्स ने भी अमेरिका में भारतीय समस्या पर व्याख्यान देते हुए कुछ इसी प्रकार कहा था, "भारत में २०० से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत सरकार अपने सरकारी कामों केलिये १५ भाषाओं का प्रयोग करती है। यद्यपि उत्तरी भारत में उर्दू भाषा का अधिक प्रचार है, फिर भी जिस भाषा को भारत के सब पढ़े-लिखे लोग समझते हैं, वह अंग्रेजी है।" लार्ड हेलीफैक्स के इस कथन से सिद्ध है कि केवल १५ भाषाएं सरकार द्वारा मानित हैं और अंग्रेजी सारे भारत की माध्यम भाषा है। चलो ठीक हुआ भाषाओं की दृष्टि से भारत की समस्या इतनी भयंकर तो नहीं रही जितनी कि मिस्टर हमजा ने लिखी थी।

लेकिन यदि कोई भाषा विशारद विद्वान् ध्यानपूर्वक भारतीय भाषाओं का अध्ययन करे तो पता चलेगा कि भारत की लगभग समस्त भाषाएं आर्य-कुल की हैं जिनकी जननी संस्कृत है। जो कुछ भाषाएं ड्राविडियन उद्भव की हैं उनमें भी अनेक संस्कृत शब्द प्रवेश कर गये हैं। डाक्टर एस० के० चटर्जी द्वारा लिखित और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बंबई से

प्रकाशित पुस्तक से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि भारत में एक माध्यम भाषा जो संस्कृत की उद्‌भव हो, बन सकती है। १७ अक्टूबर १९४५ को अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उदयपुर के सभापति-पद से भाषण देते हुए श्री के० एम० मुंशी ने कहा था " (१) भारतीय जन-गणना के अनुसार ९९ प्रतिशत मनुष्य भारतीय भाषाएं बोलते हैं।

(२) ३५ प्रतिशत की भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी है।

(३) ३५ प्रतिशत की भाषा हिन्दी के साथ सम्बन्ध रखती है।

(४) १३ प्रतिशत संस्कृत प्रधान भाषाऐं बोलते हैं।

(५) ६ तिशत प्रचुर भाषाऐं बोलते हैं।

(६) ३३ प्रतिशत की भाषा देव नागरी लिपि में लिखी जाती है।

(७) २६ प्रतिशत की भाषा देव नागरी के किसी स्वरूप में लिखी जाती है।

(८) २० प्रतिशत की भाषा द्राविड़ि लिपि में लिखी जाती है।

इन आंकड़ों को देखते हुए जो भाषा संस्कृत प्रधान हो वही भारत की राष्ट्र भाषा हो सकती है। हिन्दी की शब्दावली भारत के ८८ प्रतिशत बोलने वालों के लिए बहुत कुछ परिचित है। इसके बोलने वाले तथा सरलता से समझने वाले ६९ प्रतिशत हैं। फलतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो राष्ट्रभाषा ही है"

उपरोक्त उद्धरण से सिद्ध है कि भाषाओं के विचार से समस्त भारत एक है। भाषाओं की विभिन्नता केवल बाहरी है, आन्तरिक उन सबमें एकता है। और फिर लार्ड हेलीफैक्स ने यह खूब दूर की हाँकी कि उत्तरी भारत में सबसे अधिक

प्रचार उर्दू भाषा का है। उन्हें शायद यह पता नहीं की भारतीय जन-गणना के अनुसार भारत में केवल लगभग पौने चार मनुष्य प्रतिशत उर्दू पढ़े लिखे हैं और उर्दू बोलने वालों की संख्या तो आधी फीसदी ही है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि तारीख ११ सितम्बर १९४५ के साप्ताहिक "हिन्दू" देहली के अंक में श्री नाथूलालजी ने अपने लेख में लिखा है, "सन् १९३१ की जन-गणना की पुस्तक नं० १ भाग २ पृष्ठ ५१० से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष में ५७ भाषाएं बोली जाती हैं परन्तु उनमें उर्दू के लिए कोई स्थान नहीं है यदि और गहराई से देखा जाय तो उर्दू किसी प्रान्त में भी नहीं बोली जाती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि मुस्लिम-लीग जो उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न कर रही है उसके पत्र भी प्रान्तीय भाषाओं में ही प्रकाशित होते हैं। उदाहरणार्थ कलकत्ता का "आजाद" बंगला में, अहमदाबाद का "खिलाफत" गुजराती में करांची का "अल्वाहिद" सिन्धी में, मद्रास का "दारुल इस्लाम" तामिल में और बंबई का "इस्माइल" गुजराती में प्रकाशित होता है। .... "फरहंगे आस्फ़िया", जो उर्दू का सबसे बड़ा कोष है, के लेखक ने उर्दू शब्दों का विभाजन करते हुए लिखा है कि उर्दू भाषा में ३९०,०० शब्द हिन्दी के हैं और ५०० संस्कृत के हैं"

उपरोक्त उद्धरण से सिद्ध होजाता है कि उर्दू भी हिन्दी की ही एक शैली है, कोई अलग भाषा नहीं। पाठक इस उद्धरण से यह भी समझ गये होंगे कि लार्ड हैलीफैक्स का उर्दू प्रचार संबंधी वक्तव्य कितना भ्रमपूर्ण है और अब यह भी स्पष्ट होगया कि भारत में भाषाओं की विभिन्नता का जो भयंकर भूत मिस्टर हमज़ा ने खड़ा किया था वह कल्पित और निराधार है।

'Pakistan' के लेखक डाक्टर शौकतुल्ला अन्सारी ने ठीक ही लिखा है कि भाषाओं की विभिन्नता के आधार पर भारत के टुकड़े करना मूर्खता पूर्ण होगा। इस आधार पर पाकिस्तान नहीं बन सकता। देश के ० फी सदी मनुष्य तो अशिक्षित हैं, वे तो अपने बाप दादा की प्रान्तीय भाषा बोलते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। पंजाब के हिंदू और मुससमान दोनों ही पंजाबी बोलते हैं, बंगाल के बंगाली, मद्रास के तामिल या तिलगू विहार के बिहारी, सिन्ध के सिन्धी, इत्यादि। भाषा की दृष्टि से एक पंजाबी मुस्लिम मद्रासी मुस्लिम से उतना ही दूर है जितना कि वह रूसी मुस्लिम से। और वह पंजाबी हिन्दू से उतना ही निकट है जितना कि अपने परिवार के मुसलमानों से। और फिर बहुत से मुसलमान हिन्दी के लेखक और कवि हुए हैं और हैं बहुत से हिन्दू उर्दू के प्रसिद्ध लेखक और कवि हुए हैं। इसलिए भाषाओं के आधार पर हिन्दू मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया सकता और न भाषाओं की भिन्नता के कारण किसी देश के टुकड़े ही किये जाते हैं। कनाड़ा में अंग्रेजी और फ्रांसिसी दो भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक राष्ट्र है। स्विटजरलेंड में जर्मन इटालियन और फ्रांसीसी ये दो भाषाएं बोली जाती हैं फिर भी वह एक राष्ट्र है और रूस में तो १५७ भाषाएं बोली जाती हैं फिर भी वह एक राष्ट्र है।

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट सिद्ध है कि भाषाओं की भिन्नता के आधार पर पाकिस्तान बनाने की दलील कितनी लचर है और जो लोग हिन्दी, उर्दू को दो अलग २ भाषाएं मान कर उनके आधार पर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और हिन्दू मुसलमानों को अलग २ करना चाहते हैं वे कितने बड़े भ्रम में हैं।

(११) जन-संख्या की दृष्टि से

जैसाकि हम गत पञ्चम अध्याय में दिखला चुके हैं, भारत में पाकिस्तान बनाये जाने में व्यवहारिक दृष्टि से कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो किसी भी प्रकार से हल नहीं की जा सकतीं। श्री राजगोपालाचार्य जी ने अपना प्रस्ताव महात्मा गाँधी की सम्मति से मि० जिन्ना के पास भेजा था और उसमें इस बात की चेष्टा की गई थी कि किसी प्रकार से हिन्दू-मुस्लिम समस्या का हल हो जाय। यद्यपि भारत की समस्त हिन्दू जनता इस प्रस्ताव के विरुद्ध थी क्योंकि उसमें मुस्लिम बहुल प्रान्तों को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया गया था लेकिन इस शर्त के साथ कि उन प्रान्तों के समस्त निवासियों की सम्मति से उन प्रान्तों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार होगा, परन्तु मि० जिन्ना ने इस को मानने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह चाहते थे कि मुस्लिम बहुल प्रान्तों को वहाँ के निवासियों की सम्मति लिये बिना ही हिन्दुस्तान से अलग करके पाकिस्तान बना दिया जाय। मि० जिन्ना ने कभी यह नहीं सोचा कि जिन लोगों की तक़दीर का फैसला करने वह जारहे हैं उनकी सम्मति लेना भी आवश्यक है। और फिर यह नहीं समझ में आता कि मि० जिन्ना पजाब, बंगाल और आसाम के उन भागों को पाकिस्तान में कैसे शामिल कर सकते हैं जिनमें कि हिन्दुओं की आबादी अधिक है? उदाहरण के लिये पंजाब के केवल उत्तरी पश्चिमी १७ ज़िले, और बंगाल के पूर्वी १६ ज़िले तथा आसाम का केवल एक सिलहट का ज़िला ऐसा है जिसमें मुसलमानों की आबादी अधिक है, शेष पंजाब के १३ ज़िलों में और बंगाल के १२ ज़िलों में तथा आसाम के शेष १३ ज़िलों में हिन्दुओं की जन-संख्या मुसलमानों से कहीं अधिक है। तो यदि संख्या की अधिकता से ही ज़िले

भारत के मुस्लिम बहुमत वाले भाग (जो काली बिन्दुओं द्वारा दिखाये गये हैं)।

बाँटे जाँय तो उपरोक्त तीनों प्रान्तों के ३८ ज़िले किसी प्रकार से भी पाकिस्तान में शामिल नहीं किये जा सकते। यदि संख्या के आधार पर ही पाकिस्तान बनाना है तो बंगाल, आसाम और पंजाब के कुल ७२ ज़िलों में से ३४ ज़िलों में ही जहाँ कि मुसलमानों की आबादी अधिक है। पाकिस्तान बनाया जा सकता है, शेष ३८ ज़िलों में नहीं, क्योंकि उनमें हिन्दुओं की संख्या अधिक है। इस प्रकार उन तीन प्रान्तों में आधे से अधिक ज़िले हिन्दुओं के हिन्दुस्तान में रहेंगे।

और फिर पाकिस्तान में शामिल किये जाने वाले उन ३४ ज़िलों में भी हिन्दू और सिक्खों की आबादी निम्न प्रकार से रहेगी:—

पंजाब के १७ ज़िलों में २८ लाख हिन्दू और १७ लाख सिक्ख होंगे, बंगाल के १६ ज़िलों में एक करोड़ १४ लाख हिन्दू होंगे और आसाम के सिलहट ज़िले में १२ लाख, फिर बताइये कि इन ज़िलों में इन हिन्दू और सिक्खों का क्या बनेगा? इसी प्रकार यदि सिंध, सीमा-प्रान्त और बिलोचिस्तान को भी इन मुस्लिम बहुल ३४ ज़िलों के साथ जोड़ दिया जाय तो उनमें कुल हिंदू और सिक्खों की संख्या सन् १६४१ की जन-गणना के अनुसार १ करोड़ ६० लाख तक पहुँचती है। ये लोग पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य में रहना क्यों पसंद करेंगे? और फिर यह संख्या तो हमने तब बताई है जबकि हिंदू बहुल ३८ ज़िले पंजाब, बंगाल और आसाम से अलग कर लिये जाँय, जैसाकि पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन मि० जिन्ना इस बात पर कहाँ राजी होते हैं? वह तो पूरा पंजाब और दिल्ली प्रांत, पूरा बंगाल और पूरा आसाम पाकिस्तान में शामिल करना

चाहते हैं और सो भी वहाँ के लोगों की सम्मति लिये बिना, यह कैसा न्याय है ? यदि ऐसा किया भी जाय तो १ करोड़ ६० लाख तो हिंदुओं की आबादी केवल उपरोक्त ज़िलों में ही है, कुल पाकिस्तानी प्रांतों में हिंदू और सिक्खों की संख्या लगभग ४ करोड़ ८० लाख है। सन् १९४१ की जन-गणना के अनुसार सीमाप्रांत, बिलोचिस्तान, सिन्ध, पंजाब, बङ्गाल और आसाम की कुल आबादी मिलकर ११ करोड़ से कुछ अधिक है। इनमें से मोटे तौर से ५ करोड़ ६० लाख मुसलमान हैं और ४ करोड़ ८० लाख हिन्दू। इन आँकड़ों से स्पष्ट होजाता है कि यदि उपरोक्त सब प्रांतों को पाकिस्तान में रख दिया जाय तो ४ करोड़ ८० लाख हिन्दुओं का क्या होगा ? मि० जिन्ना उनको अभी से वोट देने का अधिकार नहीं समझते। वह उनकी सम्मति लिये बिना ही उनको पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं तो भला पाकिस्तान बन जाने पर उनकी क्या दुर्दशा होगी यह सरलता से समझा जा सकता है।

फिर सिन्ध की आबादी में लगभग २७ फी सदी हिन्दू हैं लेकिन सिंध के २८ नगरों में से २० नगरों में हिन्दुओं की ही आबादी अधिक है इसलिए उन्हीं के हाथों में सिंध का अधिकतर वाणिज्य व्यापार और कला-कौशल है। यही दशा सीमाप्रांत में भी है। वहां हिन्दुओं की आबादी तो लगभग १० फी सदी ही है लेकिन वहाँ के २६ नगरों में से ११ नगरों में हिंदुओं की जन-संख्या अधिक है। पंजाब में भी हिन्दुओं की संख्या ४४ फी सदी है और उनकी अधिकतर आबादी नगरों में ही है। यही दशा बङ्गाल में है। पश्चिमी बङ्गाल में तो हिन्दुओं की आबादी लगभग ८७ फी सदी है और मुसलमान सिर्फ १३ फी सदी हैं। उसमें भी कलकत्ता नगर की समस्या सबसे कठिन

है। उसकी आबादी में लगभग १५॥ लाख हिन्दू और ८० हजार अन्य लोग हैं तथा ४ लाख ७ हजार मुसलमान हैं। वह २४ परगना जिले में स्थित है जिसकी कुल आबादी में भी कलकत्ता नगर को छोड़ कर लगभग २४ लाख हिन्दू हैं, ८० लाख अन्य लोग हैं और केवल ११ लाख मुसलमान हैं। इस प्रकार कलकत्ता नगर तथा उसके आसपास के जिले में हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों की संख्या से तिगुनी और दुगनी से भी अधिक है।

इस प्रकार जन-संख्या की इन कठिनाइयों को देखते हुए पाकिस्तान के पक्षपाती कहते हैं कि जन-संख्या की समस्या को सुलझाने के लिए प्रांतों का दुबारा बटवारा कर दिया जायेगा। अम्बाला डिवीजन को पंजाब से अलग कर दिया जायेगा जिसमें ३१ लाख हिन्दू, २ लाख ४० हजार सिक्ख और ११ लाख मुसलमान रहते हैं, तो शेष पश्चिमी प्रांत में मुसलमानों की आबादी ५७ फी सदी से बढ़कर ६२ फी सदी के लगभग हो जायेगी इसी प्रकार पश्चिमी बङ्गाल का बर्दवान डिवीज़न बङ्गाल से अलग कर दिया जायेगा जिसमें ८१ लाख १५ हजार हिन्दू और १४ लाख १६ हजार मुसलमान रहते हैं। इसके अलग होजाने से शेष बङ्गाल में मुसलमानों की आबादी ५४ फी सदी से बढ़कर ६५ फी सदी हो जायगी। लेकिन मुस्लिम-लीग के इस प्रांतों के पुर्नविभाजन के प्रस्ताव से क्या विशेष लाभ होगा? यदि शेष पंजाब और बङ्गाल में मुसलमानों की आबादी कुछ फी सदी बढ़ भी गई तो क्या? साथ ही इस प्रस्ताव से यह भी सिद्ध होता है कि मुस्लिम-लीग के लोग हिन्दू बहुल जिलों को आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं देना चाहते। उधर मुस्लिम-लीगी कहते हैं कि वे बचे हुये पाकिस्तानी प्रांतों में हिंदू

और सिक्ख अल्प-संख्यकों को उचित संरक्षण देंगे लेकिन इन संरक्षणों पर अभी से विश्वास कैसे किया जासकता है । जब सिंध की मुस्लिम-लीगी सरकार अपने शासन काल में आर्यों की धर्म पुस्तक " सत्यार्थप्रकाश " को जो लगभग ७० वर्ष से देश-विदेश में प्रचिलित है, जब्त कर सकती है और भारत के समस्त हिंदुओं, कांग्रेसी नेताओं और समझदार मुसलमानों के उस प्रतिबंध के विरोध में दिये गये वक्तव्यों पर कुछ भी ध्यान नहीं देती तो, कैसे आशा की जा सकती है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्प-संख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा हो सकेगी? जैसाकि सरदार बल्लभभाई पटेल ने तारीख १७ नवम्बर १९४५ को वक्तव्य देते हुए कहा था कि अगर मुस्लिम-लीग पाकिस्तान में रहने वाले अल्प-संख्यकों को संरक्षणों का विश्वास दिलाती है तो वह स्वयं हिन्दुस्तान में अल्प-संख्यक मुसलमानों के लिए काँग्रेस द्वारा दिये जानेवाले संरक्षणों पर विश्वास क्यों नहीं करती ! जो बात वह दूसरों के लिए हितकर समझती है, वह अपने लिए हितकर क्यों नहीं समझती । इस अविश्वास की नीति से तो मुस्लिम-लीग न मुसलमानों का भला कर सकती है और न पाकिस्तान बना सकती है ।

अब इस प्रश्न का दूसरा पहलू लीजिये । कुल बृटिश भारत की लगभग ३० करोड़ आबादी में से लगभग १०॥ करोड़ आबादी पाकिस्तानी प्रान्तों की है । उसको निकाल कर शेष हिन्दुस्तान में लगभग १९॥ करोड़ आबादी रहेगी जिसमें से २ करोड़ ४ लाख से अधिक मुसलमान हैं । यह संख्या तो बृटिश भारत की है । देशी रियासतों में भी लगभग १० लाख मुसलमान हैं इस प्रकार शेष हिन्दुस्तान में लगभग २ करोड़

२० लाख मुसलमान रहेंगे जो पाकिस्तान से बाहर होंगे उनके लिए मुस्लिम-लीग क्या करना चाहती है ? क्या उनके संरक्षणों का प्रश्न फिर नहीं उठ खड़ा होगा ? सन् १६४० के मुस्लिम लीग के लाहौर वाले प्रस्ताव के अनुसार प्रादेशिक पुनर्विभाजन (Territorial Readjustment) करने पर भी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में केवल ७३ फी सदी मुस्लिम आबादी को रख सकेगी, शेष २६ फी सदी अर्थात् लगभग २॥ करोड़ मुसलमान फिर भी हिन्दुस्तान में रहेंगे। जिस साम्प्रदायिक और अल्प-संख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिये पाकिस्तान की योजना प्रस्तुत की गई है वह अभी तो केवल एक राष्ट्र भारत में ही है, पाकिस्तान बन जाने पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों में उठ खड़ी होगी। पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिक्खों के संरक्षण का प्रश्न होगा और हिन्दुस्तान में मुसलमानों के संरक्षणों का। एक जन-संख्या विशेषज्ञ की गणना के अनुसार तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की आबादी में निम्न प्रकार से और भी अधिक परिवर्त्तन हो जायगा। सीमा प्रान्त, सिन्ध और पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल का कुल क्षेत्रफल ३ लाख ६७ हजार वर्ग मील होगा और आबादी ५ करोड़ ८६ लाख ह गी इस आबादी में ३ करोड़ १४ लाख मुसलमान, ३० लाख हिन्दू और १४ लाख सिक्ख होंगे। शेष हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल ११ लाख ५१ हज़ार वर्ग मील होगा जिसमें लगभग २६ करोड़ आबादी होगी जिसमें से २२ करोड़ ६३ लाख हिन्दू, ३ करोड़ ७४ लाख मुसलमान और १२ लाख सिक्ख होंगे। इस प्रकार प्रति ७७ मुसलमानों में से ३६ को पाकिस्तान में और ३८ को हिन्दुस्तान में रहना पड़ेगा। इस प्रकार अल्प-मत और बहु मत की समस्या वैसी की वैसी ही उलझी रह जायगी (नवयुग १८-११-४५)

फिर इस समस्या को हल करने का दूसरा उपाय डाक्टर अब्दुल लतीफ़ ने यह बताया है कि पाकिस्तान के सब हिन्दू और सिक्ख अपना घरबार छोड़ कर हिन्दुस्तान में जा बसें और हिन्दुस्तान के सब मुसलमान पाकिस्तान में जा बसें। इसका अर्थ यह होगा कि पाकिस्तानी प्रान्तों के लगभग ५ करोड़ हिन्दू अपनी जायदाद, भूमि, बाग, बगीचे, मठ-मंदिर, घर-बैठक तीर्थ और गुरुद्वारे छोड़ कर हिन्दुस्तान में जाँय और इसी प्रकार हिन्दुस्तान के लगभग २॥ करोड़ मुसलमान अपना सब माल सामान, जमीन, जायदाद, घर, मकान छोड़कर पाकिस्तान में जाँय, भला यह कैसे संभव हो सकता है और यह कार्य लोगों के लिए कितना व्यय-साध्य और कितना कष्टसाध्य होगा, इसका अनुमान शायद डाक्टर लतीफ़ ने नहीं किया। मुहम्मद तुग़लक़ ने केवल एक नगर दिल्ली की आबादी का ही स्थान परिवर्त्तन दौलताबाद के लिए किया था उसमें ही प्रजा को किन किन कठिनाइयों का सामान करना पड़ा, इतिहास इसका साक्षी है, जिसके लिये मुहम्मद तुग़लक़ को पागल बादशाह की उपाधि दी गई है तो भला उन सब ७॥ करोड़ की आबादी को स्थान परिवर्त्तन कराने की सलाह देने वाले को क्या उपाधि मिलेगी, यह तो भविष्य के इतिहासकार ही लिखेंगे। लेकिन यह बात निश्चित और निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि जन-संख्या की अधिकता के आधार पर कभी पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता और यदि ऐसा कभी किया गया तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों में नवीन समस्याएँ उठ खड़ी होंगी। इसीलिए पं० जवाहरलाल नहरू ने अपने १३ नवम्बर १९४५ के बंबईवाले वक्तव्य में कहा था, "मिस्टर जिन्ना ने पाकिस्तान का जो रूप निर्धारित किया है वह अव्यवहारिक प्रस्ताव है और कभी पूरा नहीं हो सकता।

पाकिस्तान की कल्पना केवल उन्हीं क्षेत्रों के रूप में हो सकती है जहाँ कि मुसलमानों का भारी बहुमत है। निश्चय ही इसका यह मतलब है कि उस सारे क्षेत्र की जनता की सम्मति ही निर्णायक होगी न कि केवल मुसलमानों की। अतएव यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का फैसला मुस्लिम-लीग या कांग्रेस द्वारा न होगा। इसका अंतिम निर्णय तो सारे भारत की जनता ही करेगी कांग्रेस यह अनुभव करती है कि पाकिस्तान से कोई समस्या हल नहीं होगी किन्तु अनेक नई समस्याऐं उत्पन्न हो आयेंगी।"
(हिन्दुस्तान १५-११-४५)

अध्याय ८

दो राष्ट्रों का सिद्धान्त

जैसाकि हम पहले लिख आये हैं भारत के और विशेषकर उत्तरी भारत के निवासी, चाहें वे हिन्दू हों या मुसलमान, शुद्ध आर्य जाति के हैं। एक जाति (Race) के लोग किसी मत के भी मानने वाले क्यों न हों, उनकी राष्ट्रीयता नहीं बदल सकतीं, राष्ट्रीयता धर्म या मज़हब के आधार पर नहीं बनती। राष्ट्रीयता तो चीज़ ही अलग है। जैसाकि श्री रामनारायणजी ने "भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन" नामक पुस्तक के पृष्ठ ६८ पर लिखा है "राष्ट्र एक ऐसा जन-समुदाय है जो विशिष्ट सम्बन्धों से बँधा हुआ है और यह सम्बन्ध ऐसे शक्तिशाली होते हैं कि जिनसे प्रत्येक व्यक्ति उस राष्ट्र के अन्य व्यक्तियों के साथ एकता का अनुभव करता है और वह जिस देश में रहता है उसे अपनी मातृ-भूमि मानता है......वे सम्बन्ध जिनके कारण एक जन-समूह राष्ट्र कहलाता है, कई प्रकार के हैं—भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और जातीय। इनमें सबसे प्रमुख भौगोलिक सम्बन्ध है। एक देश में रहने के कारण व्यक्तियों में देश-भक्ति की भावना पैदा हो जाती हैं और वे उसे अपनी मातृ-भूमि समझते हैं। एक ही संस्कृति एवं ऐतिहासिक परम्परा भी व्यक्ति समूह के पारस्परिक बन्धनों को मज़बूत बनाती है। धर्म की एकता, आर्थिक हितों की समानता तथा जातीय एकता (रक्त-सम्बन्ध) भी राष्ट्र का एक बन्धन है परन्तु उन पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है..........प्रोफेसर

रैमजे म्यूयर का मत है कि वीरों के महान् कृत्य और वीरता के साथ किया हुआ बलिदान ऐसा श्रेष्ठ और पौष्टिक भोजन है जिससे राष्ट्र की आत्मा को शक्ति और उत्साह मिलता है। इसी से अमर और पवित्र परम्परा और इतिहास का निर्माण होता है फलतः राष्ट्र-निर्माण का मार्ग भी साफ होजाता है।" राष्ट्र की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि भारत में भौगोलिक दृष्टि तथा ऐतिहासिक परम्परा की दृष्टि से केवल एक ही राष्ट्र हो सकता है, दो राष्ट्र नहीं। फिर भी मुस्लिम-लीग और मि० जिन्ना का दो राष्ट्र का सिद्धान्त विचारणीय है।

पाकिस्तान योजना तथा भारत के विभाजन का मुख्य आधार यही दो राष्ट्रों का सिद्धान्त है जिसके अनुसार मि० जिन्ना का यह दावा है कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं इसलिये भारत का विभाजन आवश्यक है। जैसाकि हम पहले लिख आये हैं अक्टूबर सन् १६३८ तक मि० जिन्ना और उनकी मुस्लिम-लीग मुसलमानों को भारत की एक अल्प-संख्यक जाति (Minority) और एक सम्प्रदाय (Community) कहते थे, लेकिन सबसे पहले अक्टूबर सन् १६३८ में सिन्ध प्रान्तीय मुस्लिम-लीग के प्रधान पद से मि० जिन्ना ने हिंदू और मुसलमान दो प्रथक राष्ट्रों की चर्चा की और भारत के शासन-विधान में हिन्दू-संघ और मुस्लिम-संघ की कल्पना की। सितम्बर १६३६ में मुस्लिम-लीग की वर्किंग कमेटी ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त की व्याख्या की और फिर मार्च १६४० में मुस्लिम-लीग ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव ही पास कर दिया लेकिन उस प्रस्ताव में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त की चर्चा नहीं की गई, जैसाकि महात्मा गाँधी और मि० जिन्ना के मध्य में सन् १६४४ में जो वार्त्तालाप हुआ उसके मध्य में तारीख १५ सितम्बर को महात्मा गाँधी ने

मि० जिन्ना को लिखा था कि "आपको यह स्वीकार करना चाहिये कि लाहौर वाले प्रस्ताव में कहीं दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का वर्णन नहीं हैं लेकिन आप उस पर ज़ोर दे रहे हैं।" अपने १५ सितम्बर १९४४ के पत्र में महात्मा गाँधी जी ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त और पाकिस्तान योजना के सम्बन्ध में जो १५ प्रश्न किये थे, वे इतने युक्तिपूर्वक और हमारे विषय के लिये इतने उपयुक्त हैं कि इनको यहाँ पर उद्धृत करना अत्यन्त आवश्यक है। महात्मा गाँधी ने लिखा था:—

"जैसे ही हमारी बातचीत आगे बढ़ती है, मुझे आपका (पाकिस्तान) चित्र अधिक भयकर प्रतीत होता है............ इतिहास में मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब कि किसी जाति के थोड़े से धर्म परिवर्त्तन करने वाले लोगों और उनकी सन्तानों ने एक अलग राष्ट्र होने का दावा किया हो। यदि इस्लाम के भारत में आगमन से पहिले भारत एक राष्ट्र था तो भारतमाता के बहुत से पुत्रों के मत परिवर्त्तन करने के बाद भी भारत एक ही राष्ट्र रहेगा। आप विजेता होने के नाते पृथक् राष्ट्र का दावा नहीं करते किन्तु इस्लाम के स्वीकार करने के नाते यह दावा करते हैं तो क्या सारा भारत इस्लाम को स्वीकार करलेनेपर दोनों राष्ट्र मिलकर एक बन जायेगा! क्या बङ्गाली, उड़िया, आंध्र, तामिल, महाराष्ट्री आदि यदि मुसलमान हो जायें तो अपनी सारी विशेषताओं को छोड़ देंगे?... ....आप शायद राष्ट्र की एक नई परिभाषा उपस्थित कर रहे हैं। यदि मैं उसको मान लेता हूँ तो मेरे सामने कई और दावे किये जायेंगे और मुझे एक कभी न हल होने वाली समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारे एक राष्ट्र की असली परिभाषा तो इस कारण से ठीक है कि हम सब एक ही राजनैतिक दासता में जकड़े हुये हैं। इस भूमिका

के साथ मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में मुझे जो आपत्तियां हैं, उनको आपके सामने रखता हूँ:—

(१) आपके (लाहौर वाले) प्रस्ताव में पाकिस्तान नहीं है। क्या वह पंजाब, सिन्ध आदि प्रांतों को मिलाकर बनने वाला प्रांत ही है? यदि नहीं, तो वह क्या है?

(२) क्या पाकिस्तान का उद्देश्य विश्व-मुस्लिम संघ है?

(३) मज़हब के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु है जो एक भारतीय मुसलमान को अन्य भारतीयों से पृथक् करती है? क्या वह एक तुर्क अथवा अरब निवासी से भिन्न है?

(४) प्रस्ताव में आये हुए शब्द "मुसलमानों" की क्या परिभाषा है? क्या उसका अभिप्राय भौगोलिक भारत के मुसलमानों से है अथवा पाकिस्तान के मुसलमानों से?

(५) क्या वह प्रस्ताव मुसलमानों का ज्ञान बढ़ाने के लिए अथवा भारतीयों से अपील करने के लिये अथवा विदेशी शासक को अल्टीमेटम देने के लिये है?

(६) क्या पाकिस्तान के दोनों मण्डलों के राज्य स्वतंत्र होंगे?

(७) क्या बृटिश राज्य की संरक्षता में विभाजन किया जायेगा?

(८) यदि हां, तो पहिले बृटेन से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। भारत पर पहिले उसे क्यों लादा जाय?

(९) क्या आप संतुष्ट होगये हैं कि पाकिस्तान की स्वतन्त्र रियासतें आर्थिक दृष्टि से लाभ में रहेंगी?

(१०) कृपया मुझे सन्तुष्ट कीजिए कि ये पाकिस्तानी रियासतें दीन हीन होकर शेष भारत के लिए भार रूप नहीं होंगी

(११) कृपया मुझे आँकड़े देकर बताइये कि आप के प्रस्ताव को स्वीकार करने से भारत को स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त हो जायगी ?

(१२) देशी राज्यों के मुसलमानों का इस योजना से सम्बन्धित क्या बनेगा ?

(१३) अल्प-संख्यकों की परिभाषा आपके अनुसार क्या है ?

(१४) अल्प-संख्यकों के लिए संरक्षणों की परिभाषा क्या है ?

(१५) लाहौर प्रस्ताव केवल एक उद्देश्य बतलाता है लेकिन उसको कार्य रूप में परिणत करने का क्या उपाय है !

अब मैं यह पत्र लिख रहा हूँ और आपके प्रस्ताव को कार्य रूप में लाये जाने की कल्पना कर रहा हूँ तो मुझे समस्त भारत के लिए विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखलाई पड़ता।"

महात्मा गांधी के उपरोक्त पत्र से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पाकिस्तान की योजना भारत के लिये कितनी ख़तरनाक है और दो राष्ट्रों का सिद्धांत भारतीय इतिहास परम्परा के कितने विरुद्ध है। महात्मा गांधी के उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर शायद इसीलिये मि० जिन्ना ने ठीक २ न देकर टालमटूल करने की चेष्टा की थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनका दो राष्ट्रों का सिद्धांत कितना निराधार और देश के लिये कितना हानिकर है जिसे हिन्दू तो हिन्दू, कोई स्वतन्त्रतावादी मुसलमान भी स्वीकार नहीं करेगा।

लेकिन फिर भी मि० जिन्ना अपने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को छोड़ने के लिये तय्यार नहीं है जैसाकि उन्होंने सन् १९४०.के मुस्लिम-लीग के अधिवेशन में कहा था, वह तो इस्लाम और हिन्दू धर्म को केवल धर्म ही नहीं मानते किंतु उनको पृथक सामाजिक सङ्गठन मानते हैं, वह यह भूल जाते है कि, जैसाकि पूर्व अध्याय में सिद्ध किया जा चुका है, भारत के हिन्दू और मुसलमान दोनों एक ही आर्य वंश के हैं और सर सैयद अहमदखां के शब्दों में एक भारत देश में रहने के कारण वे दोनों एक ही राष्ट्र के अङ्ग हैं। वह कहते हैं:—

" Those who live in any country constitute Nation – Hindu and Muslim are religous terms Hindu Muslim and Christians who live in this Country constitute one Nation The time has passed when inhabitants of a country professing different religions were considered separate Nations "

(Collcted Speeches of Sir Syed Ahmad Khan p. 767).

अर्थात हिन्दू, मुसलमान और ईसाई जो भी इस देश में रहते हैं, मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। हिन्दू और मुसलमान कोई अलग राष्ट्र नहीं, वे तो धर्म वाचक शब्द हैं। अब वह समय व्यतीत होगया जब कि किसी देश के विभिन्नमतों के लोग पृथक राष्ट्रों में गिने जाते थे।

कितना सुन्दर और सामयिक उपदेश है। क्या ही अच्छा होता कि मि० जिन्ना और उनके अनुयायी उस पर ध्यान देते और भारत को एक राष्ट्र मानकर कॉंग्रेस के साथ मिलकर उसकी स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

यह देश का दुर्भाग्य है। भारत में दो राष्ट्रों का सिद्धान्त खड़ा करके मुस्लिम लीग ने सदा के लिये हिन्दू मुसलमानों में फूट का बीज बो दिया और भारत के लिये बहुत सी समस्याये खड़ी करदी है, जैसा कि गत १३ नवम्बर सन् १९४५ को प्रेस कान्फ्रेंस में एक वक्तव्य देते हुये श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, Pakistan would create now problems instead of solving the existing ones. अर्थात वर्तमान समस्याओं को हल करने के स्थान में पाकिस्तान नई समस्यायें खड़ी कर देगा।

दो राष्ट्रों का सिद्धान्त अभी बहुत पुराना नहीं है, केवल ६, ७ वर्ष से मि० जिन्ना के दिमाग में इस सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई है और इसकी सबसे अधिक पुष्टि मि० एफ० के० खाँ दुर्रानी ने अपनी पुस्तक, "The Meaning of Pakistan" में की है जहाँ उन्होंने लिखा है कि भाषा, साहित्य, विचार, रीति-रिवाज आदि में हिन्दू और मुसलमान अलग अलग हैं वे कभी एक नहीं हो सकते। ये सब साधारण बातें हैं। इसका उत्तर श्री० के० एम० मुंशी ने अपनी पुस्तक अखंड हिन्दुस्तान में बहुत सुन्दर दिया है लेकिन आज तक कोई भी मुस्लिम लीगी इस सिद्धान्त का कोई दृढ़ आधार नहीं बता सका। केवल मज़हब के आधार पर यह सिद्धान्त खड़ा नहीं रह सकता। इस युक्ति के अनुसार यदि कोई अंग्रेज इस्लाम को स्वीकार कर लेता है तो क्या उसकी अंग्रेजी जाति की राष्ट्रीयता बदल जायगी? यदि जर्मनी में एक करोड़ आदमी मुसलमान बन जाँय तो क्या वे जर्मन नहीं रहेंगे? क्या वहाँ दो राष्ट्र हो जाँयगे? इसी प्रकार यूरोप के अनेक देशों में मुसलमान; ईसाई और यहूदी रहते हैं, बहुतों में कैथोलिक और प्रोटैस्टैंट लोग रहते हैं तो क्या वहाँ

एक एक देश में कई २ राष्ट्र हैं ? यदि नहीं तो बेचारे भारत ने ही क्या बिगाड़ा है जो यहाँ मज़हब के नाम पर दो राष्ट्र बनें ? और यदि मज़हबों के आधार पर ही राष्ट्र बनाये जाँय तो फिर केवल पाकिस्तान ही क्यों, उसमें भी शियास्तान, सुन्नीस्तान, अहमदियास्तान तथा भारत में सिक्खस्तान, जैनस्तान, पारसीस्तान, शैवस्तान, वैष्णवस्तान, कबीरस्तान, दादूस्तान और न मालूम कितने स्तान बनाने पड़ेंगे जिनकी गणना नहीं हो सकती।

इसी प्रकार भाषा के आधार को लेकर मि० जिन्ना भारत में दो राष्ट्र बनाना चाहते हैं यह भी बिल्कुल असंभव है। क्या मि० जिन्ना यह भूल जाते हैं कि भारत के सारे मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं है ? क्या वह नहीं जानते कि बहुत से सीमा प्रांत के मुसलमान पश्तो बोलते हैं, पंजाब के पंजाबी ? सिन्ध के मुसलमान सिन्धी भाषा में लिखते-पढ़ते हैं, गुजरात के गुजराती में, दक्षिण के तिलगू, तामिल आदि में और बङ्गाल के बङ्गाली में। फिर भला जब सारे मुसलमानों की एक भाषा ही नहीं तो उर्दू और हिन्दी का आधार लेकर पाकिस्तान कैसे बनाया जा सकता है ? संसार में कहीं किसी देश में कई भाषायें बोली जाने के कारण एक देश में क्या अनेक राष्ट्र बने हैं ? क्या कनाड़ा में अंग्रेजी और फ्राँसीसी दो भाषायें होने से वहाँ दो राष्ट्र बने हैं ? स्विटज़रलैण्ड में जर्मन, फ्रैन्च और इटैलियन ये तीन, भाषायें बोली जाती हैं, फिर भी स्विटज़रलैंड एक राष्ट्र है तीन राष्ट्र नहीं। रूस में दो सौ से अधिक भाषायें बोली जाती हैं फिर भी रूस एक राष्ट्र है और महान् राष्ट्र है।

इस उदाहरणों से स्पष्ट सिद्ध है कि राष्ट्र का आधार भाषा नहीं। और यदि भाषाओं के आधार पर ही राष्ट्र बनते हों तो फिर भारतवर्ष में सैकड़ों राष्ट्र बन जायेंगे फिर दो ही राष्ट्रों का

सिद्धान्त क्यों, अनेक राष्ट्र सिद्धान्त माना जाना चाहिये।

जाति (Race) के आधार पर दो राष्ट्र बनाने का प्रश्न वैसे नहीं उठ सकता क्योंकि भारत के हिन्दू और मुसलमान एक ही आर्य जाति के हैं, भारत हिन्दुओं की तरह मुसलमानों की भी पितृ-भूमि है जैसा कि मुस्लिम-लीग विदेश सम्बन्ध समिति के प्रधान सर अबदुल्ला हारून ने ता० ४ अप्रेल १६४० को कहा था. "६० फी सदी भारतीय मुसलमान इस भूमि की संतान हैं और उन्होंने या उनके बाप-दादाओं ने अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया है। मि० जिन्ना एक भाटिया परिवार से हैं. सर सिकन्दर हयातखाँ एक राजपूत परिवार से और मैं एक लोहाना हिन्दू परिवार से। केवल १० फी सदी या इससे भी कम मुसलमान ऐसे हैं जो अरब मुग़ल या फारसी परिवारों की औलाद हैं। इसलिए भारत जितनी हिन्दुओं की पितृ-भूमि है उतनी ही मुसलमानों की भी है। अरबों, मुग़लों और ईरानियों की संतान १० फी सदी मुसलमानों ने अब भारत को अपना देश बना लिया है।" (हिन्दुस्तान ५-४-४०)।

डा० अन्सारी ने अपनी पुस्तक "Pakistan' में लिखा है: – "प्रत्येक दशा में इस्लाम एक सार्वभौम धर्म है। उसमें जातीय भेद (Racial differences) बाधक नहीं हो सकते। इस प्रकार जातीय भेदों के आधार पर, प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है, कभी भी भारत में पृथक राष्ट्र नहीं बनाये जा सकते। जहाँ तक भारत में जातीय भेद वर्तमान हैं, जाति की दृष्टि से एक प्रांत के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के अधिक सन्निकट हैं, दो प्रान्तों के मुसलमान आपस में उतने सन्निकट नहीं हैं। उदाहरण के लिये पंजाब के हिंदू और मुसलमान शरीरिक बनावट में एक दूसरे के उतने अधिक समान हैं जितने कि बंगाल या मद्रास के मुसलमान

और सीमाप्रान्त के ही मुसलमान पंजाबी मुसलमानों के समान नहीं।"

इसी प्रकार और छोटे २ भेद, रीति रिवाज, खान पान, विवाह आदि के आधार पर भी किसी देश में दो या अधिक राष्ट्र नहीं बना करते। खान पान और शादी विवाह तो बहुत से हिन्दुओं में परस्पर प्रचलित नहीं हैं और सब मुसलमानों के विवाह भी सब मुसलमानों में नहीं होते, तो क्या उनमें भी अनेक राष्ट्र बनाने पड़ेंगे? नहीं। डा० के० एम० अशरफ़ ने अपनी पुस्तक "पाकिस्तान" के पृष्ठ ६१ पर कितना सुन्दर लिखा है। वह लिखते हैं:--

"मि० जिन्ना का कहना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक भारत राष्ट्र में नहीं रह सकते क्योंकि उनके न तो परस्पर शादी विवाह होते हैं और न वे एक दूसरे के साथ खा पी सकते हैं तथा उनकी धार्मिक फ़िलास्फ़ी भी भिन्न २ है। लेकिन क्या हिन्दुओं में ही अनेक जातियाँ नहीं हैं जो न तो परस्पर विवाह सम्बन्ध करती हैं और न साथ २ खा पी सकती हैं। दलित जातियों तक में ऐसे कड़े बन्धन हैं और इतने भेद हैं कि वे आपस में खान पान और शादी विवाह कुछ नहीं कर सकते। जैनी, बौद्ध, लिंगायत, तामिल और तिलगू लोगों में भी धार्मिक मतभेद है, उनकी फ़िलास्फ़ी अलग है और वे भिन्न २ देवताओं की पूजा करते हैं। मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी लोगों में कट्टर धार्मिक मत भेद है जिससे कभी कभी उनमें परस्पर दंगे फ़िसाद और रक्तपात भी हो जाते हैं। तो क्या इन छोटे २ मत भेदों से ये सब अलग अलग राष्ट्र माने जाने चाहिये? और फिर यह भी तो नहीं भूलना चाहिये कि अधिकतर भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही तो थे जिन्होंने इस्लाम

धर्म स्वीकार कर लिया था। बम्बई प्रांन्त में वर्तमान खोजा और मेमन मुसलमानों के पूर्वज लोहार और भाटिया हिंदू थे जिन्होंने गत २०० और ४०० वर्षों के अंदर ही इस्लाम को स्वीकार किया था (और मि० जिन्ना के पूर्वज भी तो भाटिया हिंदू थे)। उनमें अब तक भी अपनी पुरानी जाति के रीति रस्म इतने अधिक प्रचलित हैं कि तीन वर्ष पहले तक, जब कि उनको पूरे तौर से मुस्लिम कानून के अंदर लाने के लिये कानून बनाया गया, खोजा लोगों और कच्छी मैमनों में जायदाद, सम्पत्ति, दाय भाग और उत्तराधिकार के सब नियम हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ही प्रचलित थे।"

इसी प्रकार प्रान्तीय मुस्लिम लीग पंजाब की महिला कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती बेगम बशीर अहमद को उत्तर देते हुए श्रीमती जुबेदा खानून ने ता० १८ नवम्बर १९४५ के 'अर्जुन साप्ताहिक" में लिखा था, 'मैं यहाँ यह भी कह देना चाहती हूँ कि यद्यपि हम हिंदू भाइयों को दोष दिया करते हैं कि उनमें जाति पाँति की निकृष्ट प्रथा विद्यमान है व्यवहार में हम में भी जाति पाँति का कम ख्याल नहीं है, जैसे हिन्दुओं में ब्राह्मण का आदर होता है इसी तरह मुसलमानों में एक सैयद का। पठान लोग अपने दायरे से बाहर विवाह सम्बन्ध नहीं करते। कसाई और जुलाहे आपस में विवाह सम्बन्ध नहीं करते और स्वयं मुस्लिम जाति इन दोनों को नीच समझती है। वह न्याय और विश्वभ्रातृत्व कहाँ गया जिसकी नींव हमारे पैगम्बरों ने डाली थी ?

जब स्विटज़रलैण्ड में जर्मन, फ्रैन्च और इटली इन तीन राष्ट्रों के निवासी होते हुए भी लोग एक स्विस राष्ट्र में रह

सकते हैं जब दक्षिण अफ्रीका में डच और अंग्रेज दोनों एक राष्ट्र में रह सकते हैं और जब रूस में मुसलमान ईसाई, यहूदी और अनेक मत वाले लोग एक राष्ट्र में रह सकते हैं तो फिर भारत में ही हिन्दू और मुसलमान एक राष्ट्र में क्यों नहीं रह सकते ? वास्तव में राष्ट्र की भावना एक बहुत विस्तृत भावना है जो जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति तथा प्रान्तीयता के पृथक् २ घेरे से बहुत ऊँची है। इसमें से कोई भी एक चीज़ राष्ट्रीयता का आधार नहीं बन सकती राष्ट्रीयता का स्वरूप तो लोगों के रीति रस्म, संस्था, विधान, इतिहास परम्परा आदि के संगठित मानव-जीवन में प्रकट होता है। इन सब चीज़ों का समूह मिलकर राष्ट्रीयता को जन्म देता है। इसमें से मज़हब या भाषा या और कोई एक चीज़ राष्ट्र का आधार नहीं बन सकती। इस विचार धारा के अनुसार भारत के निवासी हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्रों में नहीं बाँटे जा सकते। वे सदा एक राष्ट्र में रहे हैं और रहेंगे।

इसलिये मि० जिन्ना और उनके अनुयायी किसी भी तर्क और युक्ति से अथवा ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध नहीं कर सकते कि भारत में हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र (Two Nations) हैं। मज़हब, भाषा, जाति, सस्कृति, रीति रस्म आदि के साधारण मतभेदों से कभी पृथक् राष्ट्र नहीं बना करते। ऐसी धार्मिक, साँस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी भिन्नतायें तो अनेक देशों में पाई जाती हैं फिर भी उनकी राष्ट्रीयता एक है और एक ही रहेगी। संसार की कोई शक्ति इनको दो राष्ट्रों में नहीं बाँट सकती। मुसलमान यहीं पैदा होकर यहीं पर कब्रों में गढ़े हैं और गढ़ेंगे। हिन्दू भी यहीं उत्पन्न होकर यहीं पर चिताओं में जले हैं और जलेंगे। इन दोनों की कब्रों और चिताओं

के ज़र्रों को हवा ने उड़ाकर मिला दिया है। वे भला अलग कैसे होंगे ? मैंने तो एक बार लिखा था :—

"हिन्दू चितायें लाखों इस भूमि पर जली हैं।
कब्रों में मुसलिमों की यहाँ हड्डियाँ गली हैं॥
दोनों के ज़र्रे उड़कर आपस में मिल गये हैं।
हा किस तरह अलहदा वे खूब हिल गये हैं॥
वे ज़र्रे राख के अब मिल करके कह रहे हैं।
होंगे न हम अलहदा सदियों से रह रहे हैं॥
हिन्दू न हैं मुसलमाँ, हम ज़र्रे खाक के हैं।
हिन्दोस्ताँ हमारा, हम हिन्दपाक के हैं॥
है ताब किसकी हमको जो अलग कर सकेगा ?।
करके जिगर के टुकड़े क्या नमक भर सकेगा ?॥
भाई हैं, हमवतन हैं, हम साथ ही रहेंगे।
सुख-दुख जो आ पड़ेगा, सब साथ ही सहेंगे॥
इस मादरे वतन को, आज़ाद हम करेंगे।
इसके लिये जियेंगे, इसके लिये मरेंगे॥
—"सूर्य"

अध्याय ९

आत्म-निर्णय का सिद्धान्त

पाकिस्तान के पक्षपाती भारत के विभाजन और पाकिस्तान बनाने के पक्ष में एक और बड़ी तर्क उपस्थित करते हैं और इसका सबसे प्रबल समर्थन भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (साम्य-वादी दल) कर रही है जो पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम-लीग के साथ है। उसके एक प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री जी० अधि-कारी ने अपनी पुस्तक '*Pakistan & National Unity*.' (१९४४) के पृष्ठ १५ पर लिखा है कि इस समय भारत की राजनैतिक गुत्थी को सुलझाने के लिये और राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि कांग्रेस और मुस्लिम-लीग मिलकर सरकार से उसकी माँग करें। इसलिये मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाने के लिये कांग्रेस को चाहिये कि वह मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग को पहले स्वीकार करले क्योंकि यह मांग आत्मनिर्णय के सिद्धान्त *Principle of self-determination* पर आधारित है जो कि एक बहुत अच्छा सिद्धान्त है और जिसे रूस की सोवियट सरकार ने माना हुआ है। रूस की तरह भारत में भी प्रत्येक मनुष्य समुदाय को यह अधिकार होना चाहिए कि वह समान भाषा, संस्कृति, आर्थिक हित आदि के आधार पर भारत से पृथक हो सके।

कम्यूनिस्ट लोग इस विषय में रूस को अपना आधार मानकर चलते हैं इसलिये रूस के समान भारत निवासियों को भी आत्म-निर्णय का अधिकार मानते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी की उपरोक्त तर्क शैली बड़ी विचित्र है। कांग्रेस से कहा जाता है

कि वह पाकिस्तान को स्वीकार करले ताकि मुस्लिम-लीग उसके साथ सहयोग कर सके लेकिन कम्यूनिस्ट पार्टी यह भूल जाती है कि पाकिस्तान को स्वीकार करना कांग्रेस के हाथ में नहीं है। जैसा कि श्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने १६ नवम्बर १६४५ के बम्बई के वक्तव्य में कहा है, 'पाकिस्तान का स्वीकार करना भारत की समस्त जनता के हाथ में हैं क्योंकि जनता का ही उससे संबंध है और जनता ही उसका अन्तिम निर्णय कर सकती है।" फिर यह कहाँ का न्याय है कि पंजाब में बसने वाले ४४ फी सदी हिन्दू और सिक्खों की मांग को. जो पाकिस्तान नहीं चाहते ठुकरा दिया जाय और इससे भी बढ़कर कुल भारत की ७६ फी सदी जनता जो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है, उसकी मांग को ठुकरा दिया जाय और उसके मुकाबले में भारत भर के केवल २४ फी सदी मुसलमानों की मांग को स्वीकार कर लिया जाय और सो भी पाकिस्तान की मांग भारत के सारे मुसलमानों की मांग नहीं है केवल मुस्लिम-लीग की मांग है जोकि सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस बात को मि० जिन्ना ने भी अभी हाल में अपने बम्बई के वक्तव्य में कहा था जिस पर लाहौर के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता प्रोफेसर अब्दुलमजीद खाँ ने तारीख १५ नवम्बर १६४५ को अपना वक्तव्य इस प्रकार दिया "मि० जिन्ना के हाल में दिये गये वक्तव्य से दो राष्ट्रों का सिद्धान्त छिन्न-भिन्न होगया है तथा यह बात स्वीकृत होगई है कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं की संस्था नहीं है। मि० जिन्ना ने अब अपने पुराने राग में कुछ परिवर्त्तन कर दिया है कि लीग केवल अधिकाँश मुलसमानों का प्रतिनिधित्व करती है, सबका नहीं' और मि० जिन्ना की अधिकाँश मुसलमानों वाली बात भी ठीक नहीं है क्योंकि सन् १६३७ के चुनावों में मुसलमानों के ७३ लाख वोटों में से मुस्लिम-लीग को

केवल ३ लाख वोट ही मिल सके थे। इसके अतिरिक्त उन चुनावों में मत देने के अधिकार से बहुत लोग वंचित रखे गये थे अन्यथा यह निश्चय दीख पड़ता है कि राष्ट्रवादी मुसलमान ९० फी सदी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।" (हिन्दुस्तान, १९-११-४५)

प्रोफेसर साहब के उपरोक्त कथन से स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि मुस्लिम लीग केवल १० फी सदी अर्थात् कुल भारत में १ करोड़ से भी कम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार भारत की ४० करोड़ आबादी में से केवल १ करोड़ अर्थात् केवल कुल आबादी का २॥ फी सदी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्लिम-लीग है। फिर भला यह कहाँ का न्याय है कि २॥ फी सदी लोगों की पाकिस्तान की मांग को तो स्वीकार कर लिया जाय और भारत के शेष लगभग ३७॥ करोड़ लोंगों की मांग को ठुकरा दिया जाय? यह है कम्यूनिस्ट पार्टी का न्याय। इसीलिये पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाहौर के भाषण में कहा था कि "यह बिल्कुल बेहूदगी होगी कि एक जाति को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जावे और अन्यों को नहीं और उन्हें पाकिस्तान का एक अङ्ग बनाया जाय यद्यपि वे उसके विरोध में हैं और बहुमत में हैं।"

फिर कम्यूनिस्ट पार्टी आत्म-निर्णय के अधिकार के लिये रूस की दुहाई देती है, लेकिन वह भूल जाती है कि रूस और भारत की राजनैतिक और सामाजिक अवस्था भिन्न २ है और भारत में रूस का अनुकरण नहीं किया जा सकता। रूस में जो दशा है उसका दिग्दर्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री डा० राधाकुमुद मुकुर्जी ने अपने एक लेख में बड़े

सुन्दर ढंग से किया है। वह लिखते है, "सोवियट रूस में लगभग १७ करोड़ मनुष्य रहते हैं, १८० विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग हैं, १५१ भाषाएं बोली जाती हैं, ११ राष्ट्रीय प्रजातन्त्र हैं और २२ स्वाधीन प्रजातन्त्र हैं। आरम्भ में ११ प्रजातन्त्र-राष्ट्रों ने मिलकर संगठन किया था। वे आन्तरिक कार्यों में सब स्वतन्त्र हैं उनमें से प्रत्येक को संघ से अलग होने का अधिकार है लेकिन यह अधिकार और प्रजातन्त्रों को नहीं दिया गया है और उन ११ राज्यों में भी उसको केवल नाम के लिये सुरक्षित रख छोड़ा है वह आज तक कभी काम में नहीं लाया गया। शेष बाईस प्रजातन्त्रों को, या किसी भी प्रान्त, प्रदेश, ज़िला और संस्था को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। उसके विषय में भी ता० १४ नवम्बर १ ३६ को श्री स्टैलिन ने अपने स्मरणीय भाषण में कहा था कि सोवियट संघ में कोई भी ऐसा प्रजातन्त्र नहीं जो संघ से पृथक् होना चाहता है और न ही कोई ऐसा प्रजातन्त्र है जो संघ से पृथक् होने की कभी आवाज़ भी उठाये। प्रथम महायुद्ध के रूस पर होने वाले परिणामों के विषय में श्री स्टैलिन ने लिखा था कि तीन ऐसे बड़े कारण हैं कि जिनसे सब प्रजातन्त्रों को सोवियट संघ में रहना आवश्यक है:—

१ पहला कारण आर्थिक है। कोई भी छोटा प्रजातन्त्र संघ से अलग होकर आत्म-निर्भर नहीं हो सकता।

२ दूसरा कारण सैनिक है। कोई भी प्रजातन्त्र संघ से पृथक् होकर सैनिक शक्ति से अपनी रक्षा नहीं कर सकता।

३ कारण अन्तर्राष्ट्रीय है। आवागमन के साधन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य राष्ट्रों से सम्बद्ध कोई छोटा प्रजातंत्र अलग नहीं रह सकता।"

उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि आत्म-निर्णय का सिद्धांत जिसकी दुहाई हमारे कम्युनिस्ट दे रहे हैं रूस में कहां तक व्यवहार में लाया जाता है। जैसा कि श्री बेव ने लिखा है, रूस की केन्द्रीय सत्ता अतीव बलवती है जिसके सामने किसी प्रजातंत्र को संघ से पृथक् होने का साहस ही नहीं हो सकता फिर यदि रूस में आत्म-निर्णय का सिद्धांत माना भी जाता है तो वह वहाँ के लिये ठीक हो सकता है क्योंकि वहाँ प्रजातन्त्र में कोई कटुता की भावना नहीं और न परस्पर झगड़े को आशंका है तथा वहां प्रत्येक प्रजातंत्र में साम्यवादी सिद्धांतों पर शासन होता है और सारा संघ भी साम्यवादी है लेकिन भारत में इनमें से एक भी बात विद्यमान नहीं। श्री स्टालिन ने सन् १९१७ में कहा था कि रूस के दलित वर्गों को जहाँ हम संघ से पृथक् होने का तथा राजनैतिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं वहां हम यह नहीं तय कर सकते कि कोई प्रजातंत्र किस समय रूसी संघ से पृथक् होगा। इससे स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि रूस के जिन ११ प्रजातंत्रों को पृथक् होने का अधिकार मिला हुआ है उनका भी केवल नाम मात्र का अधिकार है। कोई प्रजातन्त्र जब पृथक होने की मांग करेगा तब का समय निश्चित नहीं है और पहले तो कोई प्रजातत्र अलग होने की मांग करेगा ही नहीं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत की दशा रूस से बिल्कुल भिन्न है फिर जो लोग रूस के आत्म-निर्णय का सिद्धांत भारत में लागू करना चाहते हैं, मालूम पड़ता है कि वे भारत की दशा से आँख बन्द कर लेते हैं। भारत एक पराधीन देश है। उसकी सबसे बड़ी मॉग तो इस समय स्वतंत्रता है। और फिर स्वतंत्र हो जाने पर भी यदि आत्म-निर्णय का अधिकार दिया भी जायेगा तो केवल मुसलमानों को ही क्यों? सिक्खों

पारसियों, अछूतों, द्राविणों आदि को क्यों नहीं ? फिर मि० जिन्ना का सरासर अन्याय तो देखिये, भारत के मुसलमानों के लिये तो आत्म-निर्णय का अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन वही आत्म-निर्णय का अधिकार अपने पाकिस्तान में हिंदू और सिक्खों को नहीं देना चाहते। यहां तक कि पाकिस्तान बनाने के समय भी हिन्दू और सिक्खों की सम्मति लेना भी आवश्यक नहीं समझते यह कहां का अन्याय है ? और यदि आत्म निर्णय का सिद्धांत इस प्रकार प्रचलित हो जाए तो फिर भारत के प्रांत ही क्या, प्रत्येक ज़िला, उसकी प्रत्येक तहसील, उसका प्रत्येक परगना, परगने का प्रत्येक ग्राम और ग्राम का प्रत्येक मौहल्ला तक आत्म-निर्णय का अधिकार मांगेगा और इस प्रकार भारत के दो ही क्या, लाखों करोड़ों टुकड़े हो जायेंगे। एक पाकिस्तान ही क्या लाखों "स्तान" बन जायेंगे और तब विदेशी शासन सदा सर्वदा के लिये हमारे ऊपर अटल हो जायगा। क्या मि० जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भारत को जन्म जन्मान्तर तक दासता की बेड़ियों में ही जकड़े रखना चाहती हैं इसलिए वे पाकिस्तान की दुहाई दे रही हैं ?

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा तर्क यह भी है कि पाकिस्तान के आंदोलन से देश में राजनैतिक जागृति हो जायगी इसलिये भारत को स्वतंत्र कराने में उससे सहायता मिलेगी। लेकिन हमें आश्चर्य है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी मज़हब का बिल्कुल बायकाट करती है, वह मज़हब के आधार पर बनाई जाने वाली पाकिस्तानी योजना का समर्थन कैसे करती है ? और फिर वह यह बात क्यों भूल जाती है कि मज़हब के नाम पर जो जागृति मुसलमानों में होगी, वह कितनी भयंकर होगी ? जैसाकि डा० शोकतुल्ला अंसारी ने लिखा है कि

मुसलमानों में पाकिस्तान के आंदोलन से मज़हबी कट्टरत बढ़ेगी और उससे भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अवस्था और भी खराब हो जायेगी। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को धक्का लगेगा और आगे चल कर देश गृह-युद्ध (Civil war) का अखाड़ा बन जायेगा। इसलिये पाकिस्तान के नाम पर देश की साधारण जनता में राष्ट्रीय जागृति की आशा करना कम्यूनिस्टों का एक स्वप्नमात्र है। इससे देश स्वतंत्रता की ओर नहीं किंतु गृह-कलह की ओर जायेगा।

इस प्रकार आत्म निर्णय का सिद्धांत कभी भी पाकिस्तान का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्म निर्णय का सिद्धान्त बड़ा अच्छा है और इसीलिये काँग्रेस ने प्रादेशिक इकाइयों के लिये इस सिद्धांत को प्रस्ताव रूप में स्वीकार किया है और महात्मा गान्धी, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री अबुलक़लाम आज़ाद ने भी अपने वक्तव्यों में अनेक बार इसको दोहराया है और श्री राजगोपालाचार्य ने अपने प्रस्ताव में जो मि० जिन्ना को भेजा गया था, इस सिद्धांत को एक प्रकार से माना था लेकिन यह सिद्धान्त केवल प्रादेशिक इकाइयों के लिए है और वह भी उस प्रदेश की समस्त जनता की सम्मति होने पर काँग्रेस उस प्रदेश के आत्म-निर्णय के सिद्धांत को मानने को तय्यार है किसी सम्प्रदाय, मज़हब और भाषा आदि के आधार पर नहीं। हमारी सम्मति में तो कॉंग्रेस और उसके नेता अपने उस प्रस्ताव पर डटे रहते तो और भी अच्छा था, जो काँग्रेस ने सन् १९४२ में अपने प्रयाग के अधिवेशन में बिहार के श्री जगतनारायणलाल द्वारा प्रस्तुत होने पर पास किया था और जिनके अनुसार किसी भी दशा में कभी भी भारत का विभाजन नहीं किया जायगा। भारत की अखण्डता और स्वतंत्रता कांग्रेस का ध्येय रहा है और रहना चाहिये।

अध्याय १०

पाकिस्तान पर राजनीतिज्ञों के विचार

पाकिस्तान योजना के संबंध में इतना सब कुछ जान लेने के पश्चात् यह भी जानना आवश्यक है कि इस संबंध में अंग्रेज हिन्दू, सिक्ख, और स्वयं मुसलमान राजनीतिज्ञों और विद्वानों के विचार क्या हैं ? मुस्लिम लीगी नेताओं से राष्ट्रीय मुसलमानों के विचार भिन्न हैं, जैसे:—

(१) काश्मीर के प्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्लिम नेता श्री एस. एम अब्दुल्ला का विचार है, "पाकिस्तान की तो जंगल में चीख पुकार है। काश्मीर की मुस्लिम जनता पाकिस्तान योजना से कदापि सहमत नहीं। भारत के टुकड़े २ करने की योजना बहुत ही निन्दनीय है। थोड़े से लोगों ने गुट्ट बना लिया है जो पाकिस्तान को लक्ष्य बनाये हुए है।"

(२) लाहौर के प्रो० अब्दुल मजीदखां ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में भाषण देते हुए कहा, "धर्म या सम्प्रदाय बदल सकता है, कौमियत नहीं बदल सकती। मुसलमान ऐसे ही हिन्दुस्तानी हैं जैसे हिन्दू और सिक्ख। उनके पूर्वजों ने सिर्फ अपना मज़हब बदला था, कौमियत नहीं।........पाकिस्तान की योजना कभी संभव ही नहीं हो सकती............मैं तो स्वयं पंजाब में जिन्ना-राज्य की अपेक्षा सिक्खों का राज्य पसंद करूंगा क्योंकि वह गांधीवाद का राज्य होगा, वह निर्धन मजदूरों का राज्य होगा।" (*Hindustan Times* 16. 4. 40.)

(३) बंगाल के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता श्री हुमायूँ कबीर ने अपनी पुस्तक "*Muslim Politics* के पृष्ठ ४३ पर लिखा है, "पाकिस्तान जो कि आज कल मुस्लिम लीग का ध्येय बन गया है, मुस्लिम इतिहास की शिक्षाओं के विरुद्ध है। वह वास्तव में किसी भी देश के इतिहास की शिक्षा के विरुद्ध है...

लीग ने पाकिस्तान को अपना ध्येय बनाकर अपने आधार और प्रोग्राम को ही नष्ट कर दिया है। अब तक वह भारत के समस्त मुसलमानों की हित-रक्षा का दावा करती थी अब केवल पाकिस्तानी मुसलमानों के हितों की रक्षक रह गई है।"

(४) मि० मेहरअली ने लिखा था, "पाकिस्तान तो लीग का मुसलमानों को उभाड़ने के लिए केवल एक नारा है। लीग अपने स्वार्थ के लिए न कांग्रेस से और न अंग्रेज सरकार से समझौते के लिए तैयार है।"

(५) डाक्टर शौकतुल्ला अन्सारी अपनी पुस्तक '*Pakistan*' के पृष्ठ ११४ पर लिखते हैं "पाकिस्तान भारतीय समस्या का कोई हल उपस्थित नहीं करता। वह समस्या को सुलझाने के समस्त उपायों की असफलता का द्योतक है। वह हिन्दू मुसलमानों को हमेशा के लिये अलग कर देगा।"

६) जमीयतुल-उल्मा-ए-हिन्द के प्रधान मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने मुरादनगर में भाषण देते हुए कहा, "मि० जिन्ना पाकिस्तान मांगते हैं मगर उन्हें खुद यह पता नहीं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है? यह तो विदेशी सरकार की देन है! इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं। सच्चे मुसलमान के लिए तो आज़ादी असली चीज़ है, इसके लिए वह दूसरी कौमों

के साथ कदम मिला कर चलने को तैयार है। जमीयत के लोग सूरत और सीरत दोनों से मुसलमान हैं।' (हिन्दुस्तान १७-११-४५)

(७) महात्मा गांधी जी १५ सितम्बर १९४४ को मि० जिन्ना के लिये पत्र में लिखते हैं, "इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब कि कुछ मत परिवर्त्तन करने वालों और उनकी संतानों ने अपने असली पूर्वजों के मुकाबले में किसी नई जाति (*Nation*) का दावा किया है। यदि इस्लाम के भारत में आगमन से पूर्व भारत एक राष्ट्र था तो कुछ लोगों के मत परिवर्तन करने पर भी वह एक राष्ट्र ही रहेगा………। जब मैं (लीग के लाहौर वाले) प्रस्ताव के कार्यरूप में आने पर विचार करता हूँ तो मुझे उसमें समस्त भारत के नाश के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता।"

(८) श्री पं० जवाहरलाल नेहरू अपने १३ नवम्बर १९४५ के बम्बई के प्रेस वक्तव्य में कहते हैं, "हिन्दू तथा सिक्ख पाकिस्तान के विरोधी हैं। सब मुस्लिम जनता के बारे में चाहें यह बात नहीं मि० जिन्ना ने पाकिस्तान का जो रूप निर्धारित किया है वह अव्यवहारिक प्रस्ताव है और कभी पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान से कोई समस्या हल नहीं होगी किन्तु अनेक नई समस्यायें उपस्थित हो जायंगी। लीग ने पाकिस्तान का जो रूप उपस्थित किया है वह एक प्रादेशिक कल्पना नहीं है। बल्कि दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर आधारित है इस सिद्धान्त के अनुसार सारे भारतवर्ष में पाकिस्तान के टुकड़े मौजूद हैं और यदि भारत का विभाजन हुआ तो प्रत्येक विभक्त भाग में एक बड़ी अन्य विभाजीय आबादी होगी। इस आधार पर कोई राज्य स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता………। इसलिए दो राष्ट्रों

का सिद्धान्त भारत के लिये हानिकारक है।"

(९) युक्त प्रान्त के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री पं० गोविन्द वल्लभ पंत ने आगरा की एक लाख जनता की सभा में भाषण देते हुये कहा, "अगर एक बार जिन्ना साहब की असंभव पाकिस्तान की मांग को मान भी लिया जाय तो जिन्ना साहब को ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लोहा लेकर उसे पूरा कराना चाहिये क्योंकि हमारे पास तो अभी न तो पाकिस्तान है न हिन्दुस्तान है। 'इस्लाम खतरे में है' का नारा लगाकर पाकिस्तान की दुहाई देने वाले लीगी लोग खुद कितने इस्लाम परस्त हैं जरा इस पर भी गौर कीजिए। जब प्रारम्भ में हिन्दू-राज्य में मुट्ठी भर इस्लाम प्रचारकों का कुछ नहीं बिगड़ा तो आज लगभग १० करोड़ मुसलमानों को कौन दबा सकता है? इस्लाम पर ख़तरा कैसे आसकता है? मुसलमानों के लिये सारा हिन्दुस्तान ही पाकिस्तान (पवित्र स्थान) होना चाहिए और हिन्दुस्तान का ज़र्रा-ज़र्रा पाकिस्तान (पवित्र) है। कौनसी ऐसी जगह है जहाँ हिन्दुओं के पुर्खों की भस्मी नहीं पड़ी और मुसलमानों के पुर्खों की हड्डियां नहीं गढ़ीं? जहाँ हमारे पुर्खों ने जन्म लिया, पाले पोसे गए, बड़े हुये और अन्त में जिस मिट्टी में सदा के लिये सोगये, वह हम सबका पाकिस्तान (पवित्र स्थान) है लेकिन आज़ादी के बिना वह पाकिस्तान नर्कस्थान बना हुआ है। आज हम सबके लिये सबसे अधिक शर्म की बात यह गुलामी है।" (हिन्दुस्तान १७-११-४५)

(१०) सरदार वल्लभभाई पटेल ने पूना में व्याख्यान देते हुये ता० १६ नवम्बर को कहा था, "मैं पाकिस्तान से डरता नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मि० जिन्ना का पाकिस्तान कभी

अस्तित्व में नहीं आसकता। काँग्रेस पाकिस्तान दे नहीं सकती क्योंकि वह उसके हाथ में नहीं है। हिन्दू और मुसलमान एक राष्ट्र है। धर्म परिवर्त्तन से राष्ट्रीयता नहीं बदल सकती। मि० जिन्ना को पाकिस्तान की परिभाषा बताने में ५ वर्ष लग गये। हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान में हिन्दू और अन्य अल्प-संख्यकों के अधिकार सुरक्षितरहेंगे हमें इसका विश्वास करना चाहिए लेकिन मि० जिन्ना और मुस्लिम-लोग भारतीय संघ शासन का विश्वास क्यों नहीं करती? उसमें भी तो मुसलमानों के हित सुरक्षित रहेगें। फिर मि० जिन्ना हिंदू-बहुल-प्रांत आसाम को पाकिस्तान में क्यों शामिल करना चाहते हैं? यहां उनका आत्म निर्णय का सिद्धान्त 'जसकी वह सदा दुहाई देते हैं कहाँ चला जाता है? मि० जिन्ना को चाहिए कि वह कुल हिन्दुस्तान को ही लेने का दावा करें तो फिर पाकिस्तान का प्रश्न ही न उठेगा।"

(Hindustan Times 18-11-45)

(११) बिहार रत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद ने लहेरियासराय में ता० १६ नवम्बर को व्याख्यान देते हुये कहा "आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान का निर्माण कभी संभव नहीं क्योंकि उद्योग-धन्धों के विकास केलिये जिन खनिज-पदार्थों की आवश्यकता है, वे प्रायः सबकेसब उन स्थानों में ही हैं जहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है। इसी प्रकार पाकिस्तान का सरकारी खर्च चलाना भी बहुत कठिन होगा क्योंकि अभी तो बिलोचिस्तान, सीमा-प्रांत और सिंध को अपना शासन चलाने के लये केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है फिर वह क्यों मिलेगी।"

(Hindustan Times 18-11-45)

(१२) तारीख २ नवम्बर १९४५ के दैनिक वीर अर्जुन के

सम्पादकीय लेख में लिखा गया, 'डा० सैयद अब्दुल लतीफ़ उन चार चोटी के मुसलमानों में से हैं जिनको पाकिस्तान की योजना तैयार करने का यश प्राप्त है। इसलिए हमें यह समाचार पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि डा० लतीफ़ ने बेजवाड़ा में भाषण करते हुए दक्षिण भारत के मुसलमानों को सलाह दी कि वे मुस्लिम लीगियों की पाकिस्तानी आवाज़कशी से बहक न जाँय। उन्होंने बतलाया कि पाकिस्तान वस्तुतः है ही पंजाब, सीमा-प्रांत और बङ्गाल आदि मुस्लिम-बहुल-प्रांतों केलिये, मद्रास सरीखे अल्प मुस्लिम-प्रांतों केलिये तो पाकिस्तान हो या न हो, यह निर्णय करने की वस्तु ही नहीं है। इन प्रांतों के मुसलमानों की समस्या तो रोटी, कपड़े और रोज़गार की है।"

इसी प्रकार तारीख १० नवम्बर १९४५ के 'हिंदुस्तां टाइम्स' में प्रकाशित डा० लतीफ़ के मद्रास में दिये गये एक भाषण से स्पष्ट होता है कि "पाकिस्तान स्वतन्त्र राज्य नह होगा। मुस्लिम-लीग के नेताओं को ठहर कर सोचना चाहिये कि वे क्या करने जा रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीति स्पष्टतः भारत विभाजन के विरुद्ध है। वर्त्तमान वायसराय ही नहीं. उनके पहले लार्ड लिनलिथगो तथा श्री चर्चिल, एटली और मज़दूर दल के प्रधान प्रो० लास्की आदि सबने भारत विभाजन के विरोध में अपना मत स्पष्टतः प्रकट कर दिया है।"

(१३) अखिल भारतीय शिया सम्मेलन के अध्यक्ष सैय्यद अली ज़हीर ने लखनऊ में वक्तव्य देते हुए कहा, "पाकिस्तान केवल एक नारा है जिसका उपयोग मुस्लिम-लीग मुसलमानों को गुमराह रखकर अपना नेतृत्व रखने के लिए ही कर रही है। लीग सब मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है, वह

तो केवल कुछ नवाबों और ज़मींदारों का प्रतिनिधित्व करती है। मुसलमान अलग राष्ट्र नहीं है, इसलिए लीग राष्ट्रीय संस्था भी नहीं हो सकती। मि० जिन्ना तो किसी सम्प्रदाय के मुसलमान नहीं है, फिर वह मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक पारसी लड़की से सिविल मैरेज करते समय क़सम खाकर लिखा था कि वह किसी धर्म को नहीं मानते और तब से कभी उनके फिर इस्लाम में आने की घोषणा नहीं हुई है। फिर वे मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का दावा किस आधार पर करते हैं।" (हिंदी मिलाप-३०-९-४५)

(१४) तारीख २९ सितम्बर १९४५ को इलाहाबाद में मोमिन मुसलमानों के नेता अखिल भारतीय मोमिन परिषद् के अध्यक्ष प्रो० रियाजुद्दीन अहमद तथा संयुक्त मंत्री डा० रज़्ज़ाक अंसारी ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा. "भारत में पाकिस्तान का केवल एक अर्थ हो सकता है और वह है विदेशी शासन को शक्ति शाली बनाना। हम इसे सहन नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग ज़मींदारों और जागीरदारों की संस्था है जो देश में अपना हुकूमत चाहते हैं और ग़रीब मुसलमानों की उपेक्षा करते हैं।"

(१५) तारीख १४ अक्टूबर १९४५ के दैनिक 'हिन्दी मिलाप' लाहौर में लिखा था कि १२ अक्टूबर को एक दर्जन मौलवियों ने मि० जिन्ना से पूछा है कि जब उन्हों ने १९३१ में कहा था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की राजनैतिक संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं तो मुसलमानों के धार्मिक सुधारों को राजनैतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? मुस्लिम लीग का ढंग बता रहा है कि न केवल वह एक साम्प्रदायिक संस्था ही है, किन्तु

स्वतन्त्रता तथा उन्नति की राह में भी रोड़ा है। पाकिस्तान इस्लामी शरह के विरुद्ध है। पहले तो अंग्रेज भारत स्वतन्त्र करने को तैयार ही नहीं फिर भी यदि मानलें कि वे लीग की माँग पूरी कर देंगे तो देश में साम्प्रदायिकता फैल जायगी।"

(१६) झाँसी जिला मुस्लिम-लीग के भूतपूर्व प्रधान मि० मुहम्मदरफ़ी ने एक वक्तव्य में कहा, "अगर पाकिस्तान पिछले ८०० वर्ष में जब भारत में मुसलमान शासक थे, नहीं बन सका, तो अब कैसे बन जायगा जबकि मुसलमान राजनैतिक, आर्थिक और आत्मिक दृष्टि से अधःपतन की ओर जा रहे हैं? यदि मि० जिन्ना पाकिस्तान बनाने केलिये इतने उत्सुक हैं तो वह मुस्लिम रियासतों में अपना परीक्षण क्यों नहीं करते? उन रियासतों के शासक भी मुसलमान हैं। मि० जिन्ना को चाहिये कि वह उन रियासतों को पाकिस्तान का नमूना बनाएं।"

(१७) तारीख ११ नवम्बर १६४५ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक ने मि० जिन्ना के पाकिस्तान की आलोचना करते हुये लिखा है, " जिस आधार पर मि० जिन्ना ने अपने पाकिस्तान की इमारत खड़ी की है वह बिल्कुल बेहूदा और काल्पनिक है। एक ओर तो मि० जिन्ना फिलिस्तीन में यहूदियों के आगमन का इसलिये विरोध करते हैं कि वहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है और वे यहूदियों को वहाँ नहीं बसने देना चाहते इसलिये बहु-संख्यक अरबों की बात मानी जानी चाहिये, अल्प संख्यक यहूदियों की नहीं। लेकिन दूसरी ओर मि० जिन्ना आसाम को पाकिस्तान में शामिल करते हैं जहाँ कि मुसलमान केवल ३३ फी सदी हैं और हिन्दू ६७ फी सदी। यहाँ बहु संख्यक हिन्दुओं की बात मानने को मि० जिन्ना तैयार नहीं।

यह कैसा ऊट-पटॉग तर्क है! यही बात पश्चिमी बङ्गाल, कलकत्ता नगर और दक्षिण पंजाब की है वहाँ भी मि० जिन्ना बहु संख्यक हिन्दू और सिक्खों की सम्मति लेना भी पसंद नहीं करते। ...... वह एक ऐसे भ्रम के भूत को गले लगा रहे हैं कि जो शायद कभी फलीभूत न होगा। सरदार वल्लभभाई पटेल के अन्तर्राष्ट्रीय पञ्चायत के नियत किये जाने वाले प्रस्ताव को मि० जिन्ना क्यों नहीं मानते जोकि भारत विभाजन के सम्बंध में अपना निष्पक्ष निर्णय दे सके।"

(१८) अखिल भारतीय अकाली सिक्ख सम्मेलन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए सरदार मंगलसिंह एम० एल० ए० ने लाहौर में १ अक्टूबर १९४५ को कहा, "अपने गुरुओं की इस पुण्य-भूमि पर सिक्खों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे पाकिस्तान बनाने का मृत्यु पर्यन्त विरोध करेंगे। पाकिस्तान को निष्फल बनानेके लिये वे एड़ी से चोटी तक का ज़ोर लगा देंगे। मुस्लिम-लीग ब्रिटिश संगीनों की सहायता से पाकिस्तान बनाना चाहती है लेकिन मैं कहता हूं कि यदि पाकिस्तान हम पर ज़बरदस्ती लादा गया तो सिक्ख तलवारों से पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे।"

(१९) उसी अकाली सम्मेलन में बोलते हुए पंजाब के सिक्ख मन्त्री सरदार बलदेव सिंह ने कहा कि यदि मुस्लिम-लीग पंजाब में सिक्खों के लिये सोने का मंदिर बनवा देने का भी वचन दें तो भी सिक्ख पाकिस्तान कभी नहीं बनने देंगे।

(२०) जाट महासभा सोनीपथ के अधिवेशन में सन् १९४० में सरदार गंगा सिंह जी ने कहा, "मुस्लिम लीग की राष्ट्र विरोधी मनोवृत्ति देश का नाश करेगी। पंजाब के जाट उसका सख्त

मुकाबला करेंगे । भारत उनकी मातृभूमि है और पवित्र है वे उसके टुकड़े नहीं देख सकते । मि० जिन्ना भारत को बाँट देने की बात करते हैं यह एक भयानक खेल होगा । मि० जिन्ना का भारत को बांट देने का प्रस्ताव ऐसा ही है जैसे कि विमाता के कहने पर बच्चे को काट कर बाँट देना ।

(२१) पंजाब के स्वर्गीय मंत्री सर छोटूरामजी ने उसी जाट महा सभा के सभापति पद से भाषण देते हुए कहा, "भारत को दो भागों में बाँटने की योजना का इसलिए विरोध किया जाना चाहिए कि उससे भारत में हमेशा के लिये गृह-युद्ध (Civil War) की नींव पड़ जायेगी । भारत के बांटने की योजना शरारत से भरी हुई है ।"(Hindustan Times 2-4-40).

(२२) हिन्दू महासभा के प्रधान डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी और उप-प्रधान डा० मुञ्जे ने क्रिप्स प्रस्तावों का विरोध करते हुए कहा था कि भारत के हिन्दू कभी भी क्रिप्स प्रस्तावों को इसलिये स्वीकार नहीं कर सकते कि उनमें भारत विभाजन के सिद्धांत को मान लिया गया है । "

(२३) हिन्दू महा सभा के भूत पूर्व प्रधान और हिन्दू पत्र के प्रवर्त्तक श्री भाई परमानन्दजी ने तो प्रारंभ से ही पाकिस्तान योजना का सख्त विरोध किया है और वह सर्वदा अपने लेखों और व्याख्यानों द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध हिन्दुओं को सचेत करते रहे हैं ।

(२४) सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने ३० मार्च १९४० को भारत में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का घोर विरोध एक प्रस्ताव

द्वारा प्रकट किया था और कहा था कि इस योजना से निश्चय ही देश में अशान्ति फैलेगी और अंत में गृह युद्ध छिड़ जायेगा।"

(२५) हिन्दू-महासभा के भूतपूर्व प्रधान श्री वीर सावरकर जी ने बम्बई के आर्य राजनैतिक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था, "भारत का विभाजन राष्ट्रीय एकता का नाशक है इससे साम्प्रदायिक कलह और बढ़ेगी। यदि लीग पाकिस्तान पर ज़ोर देती है तो हमें भी देश में हिन्दू राज्य स्थापित करना होगा।"

(२६) सी० पी० असेम्बली के स्पीकर और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि "पाकिस्तान का आधार कोई न्याय नहीं। उससे साम्प्रदायिक समस्या कभी हल नहीं होगी।"

(२७) सर अल्फ्रेड वाट्स ने ४ सितम्बर १९४१ के लन्दन के Great Britain and East" पत्र में लिखा था—

"इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान की नई योजना बहुत भयानक है। वह भारत के सब वैधानिक विकासों को रोक देगी और देश में अराजकता फैला देगी उसका प्रवर्त्तक रहमतअली मज़हबी पागलपने की भाषा का प्रयोग करता है। उसके लिये भारत की एकता एक शरारत भरी कहानी है। उससे विवाद करना व्यर्थ है। उसके प्रस्तावों की बेहूदगी ही बताई जा सकती है। भारत के नक्शे पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जायगा कि इतने दूर फैले हुए प्रान्तों का पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना अव्यवहार्य है।" (Founder of Pakistan p p 12.)

(२८) जैसाकि पहले लिखा जा चुका है, लंदन की गोल

मेज़ कान्फ्रेन्स में मि० अब्दुल्ला यूसफअली ने कहा था, "जहाँ तक मुझे मालूम है यह एक विद्यार्थी की योजना है, कोई ज़िम्मेदार लोग उसे सामने नहीं लाये हैं।" इसी प्रकार उसी कान्फ्रेन्स में एक प्रश्न के उत्तर में मि० जफ़रुल्लाखाँ ने कहा था कि जहाँ तक हमने पाकिस्तान की योजना पर विचार किया है वह काल्पनिक और अव्यवहारिक है।

(२९) प्रो० कूपलैण्ड ने अपनी पुस्तक "The Future of India' में लिखा है कि एक और भी बात है जिससे पाकिस्तान की योजना समय के प्रतिकूल (Out of date) प्रतीत होती है। इस योजना का आधार मज़हब है न कि राष्ट्रीयता...... ।"

(३०) मोमिन मुसलमानों के प्रसिद्ध नेता मि० अब्दुल क़यूम अन्सारी ने लिखा था, "भारत में मोमिनों की संख्या ५ करोड़ से अधिक है, और वे मुस्लिम-लीग को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते। वे पाकिस्तान योजना का प्रारम्भ से विरोध कर रहे हैं क्योंकि वह उनकी मातृभूमि के लिये अत्यन्त घातक है।"

(Hindustan or Pakistan Page 42)

(३१) श्री एच० सी० मुकर्जी एम० ए०, पी० एच० डी०, प्रधान-मंत्री, अखिल भारतीय हिन्दुस्तानी ईसाई कौंसिल और 'कलकत्ता रिव्यू' के प्रधान सम्पादक ने एक लेख लिखते हुए लिखा है, "भारत में साम्प्रदायिक समस्या को व्यर्थ का महत्व दिया जा रहा है। भारत विभाजन और पाकिस्तान अनावश्यक है। हिन्दू मुसलमानों का भेद कोई ऐसा भेद नहीं जिससे भारत में दो राष्ट्र बनाने पड़ें।

(३२) वायसराय की कार्यकारिणी कौंसिल के सदस्य सर आरदेशर दलाल ने अमृत बाज़ार पत्रिका में एक लेख लिखते हुए कहा है, "भारत के मुसलमान उसी वंश के हैं जिसके हिन्दू। उनकी भाषा एकसी है, रंग एकसा है, फिर कोई कारण नहीं कि यहाँ के मुसलमान अपने को हिंदुओं से अलग एक राष्ट्र समझें। पाकिस्तान के विरोध में दलीलें इतनी साफ़ हैं कि उनको और अधिक विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। भारत के टुकड़े कर देने से जितनी हानि शेष हिंदुस्तान को होगी उसमें अधिक हानि राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान को होगी।

अध्याय ११

कांग्रेस में पाकिस्तान पर विचार

पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ सम्मतियाँ पूर्व अध्याय में दी गई हैं। इनके अतिरिक्त और सैकड़ों विद्वानों और नेताओं की सम्मतियाँ पाकिस्तान के विरोध में दी जा सकती हैं, लेकिन स्थानाभाव से हम उन्हें वहाँ नहीं दे सके। अब २ मई सन् १६४२ को प्रयाग में होने वाले काँग्रेस के अधिवेशन में श्री राजगोपालाचार्य द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। उस पर काँग्रेसी नेताओं में जो मजेदार वाद विवाद हुआ उसका सारांश हम इस अध्याय में देंगे। इससे पाठकों को विदित हो जायगा कि पाकिस्तान के पक्ष में राजाजी की दलीलें कितनी लचर थीं और काँग्रेस के अन्य सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए उन दलीलों का कैसा मुँहतोड़ उत्तर दिया है।

श्री राजगोपालाचार्य ने अपना प्रस्ताव इस प्रकार रखा—"हमारे पूर्व पुरुषों ने समुद्र मंथन की कथा लिखी है, उससे अमृत और लक्ष्मी दो वस्तुएँ प्राप्त हुईं। परन्तु पहले विष कालकूट निकला। अब महादेव तो नहीं हैं, परंतु यह विष अब कांग्रेस को पान करना होगा। पहले कांग्रेस ने अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराया, पूर्ण खिलाफ़त का आन्दोलन उठाया था, जनता ने विरोध किया। अब मुसलमानों ने बल पकड़ना शुरू किया है। हमें प्रसन्नता होनी चाहिये कि हमारा एक भाग जोरावर हो गया है। यदि हमारे प्रस्ताव से उनको बल मिल

जाय तो खेद न होना चाहिये। हमें एक दूसरे को बलवान करना चाहिये। मुसलमान जो माँगें दे देना चाहिये। बाद में वे स्वयं कहेंगे कि यह हमें नहीं चाहिये।"

प्रश्न—क्या सब मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं?

राजाजी—मुसलमानों की अधिक संख्या पर प्रभाव और नियन्त्रण होने से मुस्लिम लीग को हटाया नहीं जा सकता।

नेहरूजी—साम्प्रदायिक समस्या के लिये आप समझौता पेश करें, उनके आगे सिर झुकायें, गोड़ें टेकें, और लीग उत्साह से आगे बढ़ेगी।

राजाजी—मुसलमान चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, यह कहना व्यर्थ है कि पाकिस्तान उनके लिये अच्छा न होगा। मान लो आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। समय कम है, आपका बच्चा तांगे की अगली सीट पर बैठना चाहता है। आपका यह समझाना व्यर्थ है कि अगली सीट किसी मित्र के लिए है। वह आपकी कोई युक्ति नहीं मानेगा। यदि झगड़ेंगे तो गाड़ी छूट जावेगी। बुद्धिमत्ता इसीमें है कि बच्चे को आगे बैठने दो, गाड़ी पकड़ सकोगे। आप मुसलमानों को विश्वास दिलादें कि हम (कांग्रेसी) मुसलमानों को कष्ट नहीं देना चाहते। यदि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि मुसलमान आत्म-निर्णय कर सकते हैं, तब मुसलमान, मुस्लिम प्रधान देशों में अपनी स्वतन्त्र सरकार चाहते हैं, तो उन तक पहुँचने को एक आधार मिलता है, इसी आधार पर कांग्रेस लीग को बुलाकर समझौता कर सकती है। देहली का प्रस्ताव है कि—"हिन्दुस्तान की एकता में कमेटी किसी प्रान्त में लोगों को

दबाकर उनको इच्छा के विपरीत नहीं करा सकती । महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा था—"यदि मुसलमानों की अधिक संख्या अपने को पृथक् जाति या कौम या राष्ट्र समझे तो कोई शक्ति जगत् में उनको दूसरी बात नहीं सुचवा सकती ।"

पाकिस्तान का भूत

तुम्हें मारने नहीं आ रहा है । पंजाब के लोग जिनमें मुसलमानों की अधिक संख्या है, वे जीवित-जागृत भी हैं, मैं पाकिस्तान के भूत की दाढ़ी पकड़ कर उसकी सूरत देखना चाहता हूँ ।

(१) आत्म-निर्णय का सिद्धान्त मानकर कांग्रेस मुसलमानों को सोचने दे, उनको आत्म-निर्णय करने दे, उनका यह अधिकार भी है ।

मद्रास का प्रस्ताव पास करने के बाद भी मद्रास के मुसलमान सोचते हैं कि पाकिस्तान पंजाब या बंगाल के लिये अच्छा हो सकता है, परंतु उससे बम्बई व मद्रास की समस्या हल नहीं हो सकती । आप मुसलमानों को पाकिस्तान देदें, वे उसे मुर्दार-सागर का फल समझेंगे उनको कोई लाभ न मिलेगा। यदि आप देने से इन्कार करते हैं तो आप उनको मिलकर एकता करने से रोकते हैं ।"

(२) इस समय देश भारी खतरे में हैं, कांग्रेस और लीग के बीच में, किसी प्रकार भी कोई समझौता होना चाहिये । तो इसमें अंग्रेज भी भाग ले सकते हैं ।

(३) एकता प्राप्त करने के लिये जहां मुसलमानों का बल है वहां उनको स्वतः आत्म-निर्णय करने और अलग होजाने का भी अधिकार मान लेना चाहिये । राष्ट्रीय सरकार बनाने में भी

लीग का सहयोग मिल सकेगा । लीग को चाहिये कि वह १० वर्ष मिलकर काम करें फिर भी यदि वे जुदाई चाहें तो वे अलग हो जावें ।

(Hindustan Times 10 May 1942.)

राजगोपालाचार्य के मत की आलोचना

श्री० राजगोपालाचार्य के इस प्रस्ताव का प्रायः सभी सदस्यों ने विरोध किया । महात्मा गाँधी के विचार में भारत को दो भागों में बाँटना एक बड़ा असत्य (Patent Untruth) है । यदि मैंने मुसलमानों के भारत को दो भागों में बांटने के प्रस्ताव को रोक लिया और मुसलमान भी हठ पर अड़े रहे तो भी देश को दो भागों में बाँटना न चाहूंगा । मैं इसे सर्वविदित असत्य समझता हूं । समस्त मुसलमानों की सम्मति उस पर इसी प्रकार ली जासकती है कि इस बात को सर्व साधारण की सम्मति के लिये विचारार्थ रखा जावे तो मेरी सम्मति में वैधानिक सभा ही इस प्रश्न को सुविधा से हल कर सकती है । यदि समस्त मुस्लिम प्रतिनिधि भी बांटने के पक्ष में हों तो भी यही विदित होगा कि मुसलमान लोग बटवारा चाहते हैं । भविष्य की कोई कुछ नहीं कह सकता मुझे आशा है कि ऐसे नाशकारी मार्ग को कोई नहीं चुनेगा । भविष्य-निर्माण के लिये उनको अपनी एक स्थिर आवाज़ बनानी होगी, यह बात केवल सम्मति से पास नहीं हो सकती ।

(Hindustan Times. 16-4-40)

श्री० सत्यमूर्ति एम० एल० ए० (सेन्ट्रल)

"सर राजाजी ने मुस्लिम-लीग और मि० जिन्ना को प्रसन्न करने केलिये अपने प्रयत्न से कांग्रेस की आवाज़ को बेसुरा कर दिया है राजाजी के मत में केन्द्र में तो किसी प्रकार राष्ट्रीय सरकार चले, और प्रान्तों में सम्मलित सरकारें चलें मुस्लिम-लीग

और जिन्ना के लिये हमें इसलिये 'पाकिस्तान' को मान लेना चाहिये कि वे अभी बच्चे हैं उनको मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिये हम उनको उनकी मन चाही मांग दे सकते हैं, इस आशा से कि वे बाद में "पाकिस्तान" की बात को स्वयं छोड़ देंगे। श्री राजाजी का ऐसा मान लेना लीग और मि० जिन्ना दोनों का भारी अपमान है। मेरा विचार है कि मुस्लिम राजनीतिज्ञ हिन्दू राजनीतिज्ञ से अधिक चतुर होता है। इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल साफ़ है। पहले भी सोचा था. और अब भी सोचते हैं कि भारत का बंटजाना एक भारी विपत्ति है, हम उस पर सहमत नहीं हो सकते।

"राजा जी के प्रस्ताव का दूसरा परिणाम यह भी है कि कांग्रेसियों और राष्ट्रीय मुसलमानों की स्थिति बतलाना कठिन हो गया है। अब देश भर में शोर उठेगा कि सर राजगोपालाचार्य जैसा हिंदू 'पाकिस्तान' मानने को तैयार है तो दूसरे हिन्दू कांग्रेसी और राष्ट्रीय मुसलमान पाकिस्तान योजना को क्यों नहीं मानते। यह विचार राजा जी का अपना वैयक्तिक ही है न कांग्रेसियों का न जनता का।"

श्री० जी० वी० देशमुख

"मद्रास का प्रस्ताव मेरी सम्मति में आक्रमण के भय के कारण विचार शून्य बुद्धि का परिणाम है।"

'पाकिस्तान' को यातो लीग स्वयं लेले या सरकार दान दे. सरकार स्वयं भी भारत के विभाग करने को नहीं मान सकती। पाकिस्तान मान कर हम अपने आगे विघ्न बुलाते हैं। इस समय ठोस काम करने की ज़रूरत हैं। देशवासियों में जोश और त्याग

की भावना हो। वे एवज न चाहें और अधिकार गुण्डों के हाथों में न जावें ·······"

डा० राजेन्द्रप्रसाद

"राजाजी के कहने के अनुसार हम समुद्र मथने नहीं जारहे हैं। क्या पता किधर देव किधर दैत्य हैं ? अमृत निकलेगा या विष. हम भी कितनी देर तक विष पान करेंगे। क्या पच भी सकेगा ? इस दृष्टांत से काम नहीं चलेगा। राजाजी का सुभाव लीग को प्रसन्न करने के लिये है।

"मुस्लिम-लीग की मांग भी साफ नहीं है वह अभी धुंधला हवाई किला है। मि० जिन्ना से स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, मांगों की सूची मांगी, मि० जिन्ना ने एक लम्बा-चौड़ा उत्तर दिया। कोई बात स्पष्ट नहीं की न कोई पाकिस्तान बनाने की योजना या उपाय का रूप बतलाया। प्राचीन काल से भारत एक ही रहा है अब भी एक है और उसका विभाग नहीं हो सकता।

"हमने घोषित किया है कि हमें किसी के विरोध में कुछ नहीं कहना, खेद है कि हमारे आगे एक तीसरा दल (बृटिश सरकार) आ खड़ा है, जो सदा साम्प्रदायिक विरोध को खड़ा रखता है, और समय २ पर भड़काया करता है।

"पाकिस्तान" साम्प्रदायिक प्रश्न को हल नहीं कर सकता। और न वह मुसलमानों के हित में है न हिन्दुओं के। पाकिस्तान कोई खिलौना नहीं जो जिद्द करते रोते बच्चे के हाथ में थमा दिया जायेगा मि० जिन्ना भी ऐसा नहीं चाहेंगे। यह तो देश के जीवन-मरण का प्रश्न है।

श्री जगतनारायणलाल

"श्री राजगोपालाचार्य के मस्तिष्क से निकला यह प्रस्ताव बड़ा भयानक है। विस्मय है कि क्रिप्स-मिशन के बाद भी राजाजी जैसा राजनीतिज्ञ अभी राष्ट्रीय सरकार के स्वप्न ले रहा है। पंजाब के सिक्ख और हिंदू ही देश के बाँटने को स्वीकार नहीं करेंगे। यह बटवारा हिंदू-मुस्लिम दोनों को हानिकारक होगा। दो वर्ष पूर्व कोई यदि पाकिस्तान की बात कहता तो लोग उस पर हँसते! राष्ट्रवादी मुसलमान भी इस बटवारे को नहीं मानेंगे। इस बटवारे को केवल वे ही स्वीकार करेंगे जो मि० ऐमरी और मि० क्रिप्स के इशारों पर केवल साम्प्रदायिक विद्वेष-विरोध भड़काना चाहते हैं। हमें इसका विरोध करना चाहिये।"

मि० टी० प्रकाशम्

"पाकिस्तान का प्रस्ताव सहन नहीं किया जा सकता। हमें निश्चय है कि हिंदू मुसलमान और यहां के ईसाई विदेशी नहीं हैं हमें मालूम है कि ये सम्प्रदाय कैसे पनपे हैं। हम यत्न करेंगे तो मतभेद मिट जावेंगे। पाकिस्तान का विचार बदल डालेंगे।"

पं० जवाहरलाल नेहरू

"इस प्रस्ताव में समझौते की कोई बात नहीं है। जिसने भारत में जन्म लिया है वह और काम किया है वह पाकिस्तान का विचार उसे कंपा देगा। संदेह है कि कोई भी बुद्धिमान् समझदार पाकिस्तान का विचार भी ला सकता है अब तक कि वह भारत की स्वतंत्रता का विरोधी न हो।

"मैंने सुना है कि एक लीगी नेता ने क्रिप्स को खोलकर कहा है कि अभी राष्ट्रीय सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। और जबतक मुसलमानों की कोई माँग पूरी न हो उसको पूरे अधिकार न मिलने चाहिए यह स्थिति है जिसको कभी सहन नहीं किया जा सकता जो आदमी ऐसी बात कर सकता है— उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि वह पाकिस्तान के एवज़ में बृटिश सरकार की सहायता करना चाहता है तो उसको सदा के लिए लानत है। मुस्लिम-लीग वस्तुतः भारत के अधिकांश मुस्लिम-जनता की प्रतिनिधि ही नहीं है। वह तो कुछ गुटबंद मुसलमानों की प्रतिनिधि है। उसने उन पर जादू कर रखा है। पर उसको उन आदमियों से क्या लाभ है जो सदा अपनी छोटी २ तुच्छ मांगें ही पेश किया करते हैं।"

मौलाना नूरुद्दीनबिहारी (दिल्ली)

"मैं हिंदू मुस्लिम समझौते का विरोधी नहीं हूँ तो भी मानता हूँ कि पाकिस्तान दोनों के लिए हानिकारक है। आगे आने वाली संतानों के लिये पाकिस्तान एक पीछे का कदम है जो दोनों के लिये बुरा है।"

मि० यूसुफ़मेहरअली

"राजाजी ने यह प्रस्ताव बड़े बल से रखा है वे पाकिस्तान के साथ 'द्रविड़ स्तान' को भी चाहते हैं। मैं पाकिस्तान का विरोधी हूँ। मुसलमानों के दृष्टि-कोण से यह प्रस्ताव एक खुशामद है। सभ्यता की दृष्टि में उपहास योग्य है। मुस्लिम-लीग पाकिस्तान को केवल नारा ही बनाये रखना चाहती है। उसकी कोई इस विषय में स्पष्ट योजना नहीं है। यह बुद्धि का केवल दुखांत नाटक है।"

मौलाना अबुलकलाम आज़ाद

"राजाजी को विश्वास है कि लीग से काँग्रेस का विरोध देश के लिये हितकारी नहीं है अतः उसे समाप्त करदेना चाहिये। मैं भी यह मानता हूँ। परन्तु राजाजी ने स्वयं यहाँ यह प्रश्न रख कर अपना मामला बिगाड़ा है। हमने कितने यत्न किये, कि ये भेद मिट जायँ परन्तु जिनके हाथ में लीग की बागडोर है काँग्रेस के सामने अभेद्य दीवार खड़ी करदी है। मैं, पं० नेहरू, म० गांधी तीनों मि० जिन्ना से मिले हमें कहा जाता है प्रश्न हिन्दू-मुस्लिम का नहीं प्रश्न काँग्रेस और लीग का है। इधर हमें अपना ५० साल का काम देखना चाहिये, उधर लीग का दावा देखिये, क्या लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि भी है? काँग्रेस के भी बहुत से मुसलमान मेम्बर हैं। यदि एक भी हो तो भी जब तक उसका आश्रय राष्ट्रीय है, साम्प्रदायिक नहीं, हम गर्व करते हैं।

"यह प्रश्न देश भर का है। पाकिस्तान तो इस्लामी स्पिरिट के ही विपरीत है। यह नहीं कहा जासकता कि जिन प्रांतों में मुसलमान अधिक हैं। वह 'पाक' और दूसरे प्रान्त नापाक हैं।

Hindustan Times 3 May 1942

श्री० आचार्य कृपलानी

"सर राजगोपालाचार्य पाकिस्तान योजना के आधार पर भारत में राष्ट्रीय सरकार की अंग्रेजों द्वारा स्वीकृति चाहते हैं। उनको विश्वास है कि 'पाकिस्तान' निराधार फिजूल चीज़ है, जो भी मानली जावे और लीग-कांग्रेस मिल जावेंगी और बृटिश सरकार झुक आवेगी।

"क्या इसका ऐतिहासिक आधार है? क्या कभी लीग-कांग्रेस के मिलने पर भी सरकार झुकी है। कांग्रेस और लीग तो क्या समस्त भारत की मांग तक को सरकार ने नहीं माना। खिलाफ़त में दोनों एक थे परन्तु क्या हुआ? मिला जलयांवाला पंजाब का हत्या-कांण्ड! और कठोर दमन !!

"द्वितीय गोलमेज के अवसर पर वैधानिक क्षेत्र बृद्धि की मांग सम्मिलित की गई, तो भी १६३५ के इन्डिया एक्ट में एक भी मांग नहीं मानी। हर वर्ष बजट सम्मिलित प्रयत्न से नापास हुए तो क्या सरकार दब गई। क्या वायसराय अपने अधिकार प्रयोग में शिथिल हुए। यह तो पिछली बात है। हाल ही में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्या कहा? यदि सब दल मिलकर भी भारत की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेना मांगें तो भी सरकार अपनी जिम्मेवारी (भारत की रक्षा) का काम दूसरों को नहीं दे सकती।

'केवल लीग से समझौता कर लेने पर ही राष्ट्रीय-सरकार का निश्चय नहीं हो सकता। क्या लीग से समझौता होने पर देशी रजवाड़ों के साथ हुई सरकार की संधियां न निभाई जावेंगी। ये सन्धियां राजाओं को बांधे हुए हैं। वे सर्वोच्च सत्ता को नहीं बांधती। तब क्या पुनः समझौता करना होगा।

"यदि वे ही सन्धियां ज्यों की त्यों मानलें तो इस पर राजा लोग विचारार्थ समय चाहेंगे और अपना सैनिकराज अनियत समय तक चाहेंगे। राजाजी फिर रजवाड़ों के आगे भी झुकने की बात करेंगे। कांग्रेस का विरोध होने पर फिर राजाजी रजवाड़ों की तरफ़दारी करेंगे।"

(Hindustan Times 2 May 1942)

ओ० के० एम० मुन्शी

"जिस दिन मुस्लिम-लीग ने पाकिस्तान को अपना ध्येय बतलाया उसी दिन उसने भारतीय नीति के विरोध में युद्ध की घोषणा करदी है।

"अधिकांश यह ध्वनि सुनी जा रही है कि प्रजातन्त्र के नाम से भारत पर 'पाकिस्तान' लादा जावेगा। हैदराबाद की १५ प्रतिशत हिंदू जनता भारत से जुदा कर दी जावेगी। और उसको एक मुस्लिम राज के वंश का दास बना दिया जावेगा। प्रजातंत्र के नाम पर काशमीर जैसे प्रांत का शासन मुस्लिम राज्य के अधीन कर दिया जावेगा।

अभी हाल में अलीकुज़्ज़मान ने बम्बई में भाषण दिया कि हिंदू नीति और उसका नेतृत्व कुछ बड़ी वस्तु नहीं समझा जा सकता इसलिये अब मुसलमान ही भारत के शासक बनेंगे ।

"पाकिस्तान मुसलमानों की अन्तिम मांग नहीं है विश्वव्यापी इस्लाम-योजना (Pan Islamic) का यह पहला कदम हैं। हिंदुओं को लीग का पाकिस्तान मानना ही पड़ेगा। यदि मुसलमान एक होगए तो अफगानिस्तान, ईराक़, ईरान, फिलस्तीन, मिश्र और टर्की को भारतीय मुसलमानों का साथ देने को अपनी संयुक्त शक्ति का प्रयोग करेंगे तब मिश्र से चीन तक इस्लामी झण्डा फहरावेगा और इस्लाम एक बड़ी ताकत हो जावेगी जो समझते हैं कि शांतिमय उपायों से पाकिस्तान का प्रश्न हल होजायेगा वे मूर्खों के संसार में बसते हैं। पाकिस्तान के पीछे समस्त भारत को पाकिस्तान बनाने की महत्वाकांक्षा है"।

"पाकिस्तान के लिये हमारा एक उत्तर है जो अब्राहम लिंकन ने दक्षिणी रियासतों को दिया था कि "तुम्हें नहीं मिलेगा" यदि एमरी के निर्देश पर सरकार ने पाकिस्तान की मांग मान भी ली तो उसे भारतीय राष्ट्र का क्रोध सहने के लिये तैयार रहना चाहिये।"

जैसाकि सबको ज्ञात है कांग्रेस के उपरोक्त अधिवेशन में श्री राजाजी का पाकिस्तान पास नहीं हो सका था और उसके बाद राजाजी ने उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता से ही त्यागपत्र दे दिया था और फिर वह लगभग ३ वर्ष तक कांग्रेस के साधारण सदस्य भी नहीं रहे थे।

उधर कांग्रेस कमेटी ने अपनी उसी प्रयाग की बैठक में उसी दिन ता० २ मई १९४० को बिहार के श्री जगतनारायणलाल जी के प्रस्ताव पर यह निश्चय किया, " कांग्रेस कमेटी यह घोषणा करती है कि भारत की प्रादेशिक अथवा रियासत को भारतीय संघ से प्रथक होने के लिए कोई भी प्रस्ताव भारतीय जनता के लिए तथा उस रियासत या प्रान्त की जनता के लिए हानिप्रद होगा इसलिए कांग्रेस कभी भी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकती"

इतना वाद विवाद और ऐसा दृढ़ प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पास किये जाने पर भी तथा कांग्रेस कमेटी में अपने प्रस्ताव के गिर जाने पर भी श्री राजगोपालाचार्य को चैन नहीं पड़ा। इसलिए कांग्रेस से अलग रहते हुए भी वह हिन्दू-मुस्लिम समस्या को सुलझाने के लिए बड़े उत्सुक-नहीं-नहीं उतावले रहे और इसलिए उन्होंने अपना प्रसिद्ध फार्मूला मि० जिन्ना के पास भेजा जिसका भाव यह था:—

(१) मुस्लिम-लीग भारत की स्वतन्त्रता का समर्थन करे

और कांग्रेस के साथ मिल कर युद्ध काल के लिए केन्द्रीय सरकार बनाये।

(२) युद्ध के समाप्त होने के बादएक कमीशन नियत किया जाय जो भारत के उत्तर-पश्चिम और पूर्व के प्रांतों में यह जाँच करे कि किन२ ज़िलों में मुसलमानों की आबादी बहु-संख्यक है। फिर उन ज़िलों के सब निवासियों की सम्मति ली जाय कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं और यदि बहुमत से वे अलग होने का फैसला करें तो उन्हें अलग हो जाने दिया जाय।

(३) जनता का मत लेने से पहले प्रत्येक दल को प्रचार करने की स्वतन्त्रता हो।

(४) पृथक् होने वाले प्रदेश के साथ व्यापार आदि की संधि हिन्दुस्तान से कर ली जाय।

(५) आबादी का परिवर्त्तन आबादी की इच्छा पर ही छोड़ा जाय।

(६) ये शर्तें भारत सरकार द्वारा शासन के पूरे अधिकार और उत्तरदायित्व मिलने पर ही पूरी हो सकेंगी।

श्री राजाजी ने अपने इस फार्मूले में भारत के विभाजन के सिद्धान्त को मान ही लिया था और महात्मा गांधीजी का भी उनको समर्थन मिल चुका था फिर भी मि० जिन्ना ने राजाजी के इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि उसमें पाकिस्तान बनाने के लिए उन प्रांतों के जन-साधारण का मत लेना आवश्यक था। दूसरी ओर भारत की समस्त हिंदू

जनता और संस्थाओं की ओर से एवं अनेक कांग्रेसी क्षेत्रों से भी उसका घोर विरोध किया गया। अच्छा ही हुआ मि० जिन्ना ने उसे स्वीकार नहीं किया नहीं तो भारत में बड़ी गृह-कलह मच जाती। इस प्रकार श्री राजगोपालाचार्य पाकिस्तान के समर्थन में दो बार—एक बार कांग्रेस के अंदर ही और दूसरी बार कांग्रेस से बाहर प्रयत्न करके भी असफल रहे हर्ष की बात है कि कांग्रेस ने राजाजी के प्रस्ताव को उस समय ठुकरा दिया और उसके बाद अब तो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान का खुले खेत ज़ोरदार विरोध कर रहे हैं। सन् १९४५ के निर्वाचनों से पूर्व श्री पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, डा० राजेन्द्रप्रसाद, पं० गोविन्द बल्लभ पंत, श्री पुरुषोत्तदास-टंण्डन आदि नेताओं ने स्थान २ पर दौरा करके अपने भाषणों में पाकिस्तान की खूब ही धज्जियाँ उड़ाई हैं। ठीक भी है। भारत की अखंडता और स्वतन्त्रता ये दो तो कांग्रेस के ध्येय ही हैं।

अध्याय १२

उपसंहार

अब तक पाठकगण पाकिस्तान का स्वरूप, उसकी विभिन्न योजनाएं, इतिहास, विभिन्न दृष्टियों से उसकी अव्यवहारिकता और उससे भविष्य में होने वाली हानियों के विषय में पढ़ चुके हैं। साथ ही देश-विदेश के राजनीतिज्ञों और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, आर्यसमाजी, हिन्दू-सभावादी, काँग्रेसी नेताओं के विचारों से भी अवगत हो चुके हैं। इन सब बातों को पढ़ लेने के पश्चात् कोई भी भारतमाता का सपूत ऐसा नहीं हो सकता जिसके हृदय में भारतमाता को स्वतंत्रता की थोड़ी सी भी लगन हो फिर भी वह पाकिस्तान की योजना का समर्थन करे? हमारा तो विचार है कि भारत की स्वतन्त्रता से भी बढ़कर भारत की अखण्डता का प्रश्न है। यदि भारत भारत ही न रहे और खण्ड २ होकर पाकिस्तान, बंगेइस्लाम, उस्मानिस्तान और हैदरिस्तान आदि बन जाये तो फिर सम्पूर्ण भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर स्वतन्त्रता प्राप्त भी की जाय तो किसके लिये? इसलिए हम तो काँग्रेस तथा हिंदू-सभा को राष्ट्रीय संस्थाएं तभी कहते हैं और कहेंगे जब वे भारत की स्वतंत्रता से भी बढ़कर नहीं तो कम से कम उसके समान ही भारत की अखंडता स्थिर रखने में अपनी सारी शक्ति लगा देंगी। उधर मुस्लिम-लीग के भोले भाइयों से भी हमारा निवेदन है और साथ ही भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी से भी कि वे विदेशियों के हाथ खिलौना न बनकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन-मन-धन लगा दें। श्री पं० गोविंद वल्लभ पंत के शब्दों

में भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुसलमानों के पुरखों की हड्डियाँ न गड़ी हों और ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हिंदुओं के पुरखों की अस्थियाँ न पड़ी हों। फिर ऐसी कौनसी जगहें हैं जिनका बटवारा हिंदू और मुसलमान अलग २ कर सकते हैं? फिर पाकिस्तान के लिए अथवा भारत के विभाजन के लिए हिन्दू और मुसलमानों में यह लड़ाई कैसी? डा० इकबाल के शब्दों में—

"मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना।
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा॥"

भारत की जिस भूमि में हमारे पुरखे उत्पन्न हुए, पाले-पोसे गये, बड़े हुए और जिस मिट्टी में अन्त में वे मिल गये वही हमारी मातृ-भूमि, वही पितृ-भूमि और वही तीर्थ-भूमि है उसकी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना हमारा सबका कर्त्तव्य है। उसकी दासता हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म है इसलिए हम चाहें हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई अथवा पारसी कोई भी क्यों न हों भारतमाता के पुत्र होने के नाते हमारा यह प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसकी गुलामी की जंजीरों को काटें न कि उसकी छाती पर छुरा चला कर उसके खण्ड खण्ड कर डालें। भला ऐसा कौन पुत्र होगा जो अपनी माता की छाती पर छुरा चला कर उसके टुकड़े कर डालने पर कटिबद्ध हो? इसलिए मुस्लिम-लीगी भाइयों को भी सोचना चाहिए कि सर अब्दुल्ला हारून के शब्दों में भारत वर्ष उनकी भी पितृ-भूमि है। उन्हें भी भारत में ही रहना है, इसलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए वे भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला कर प्रयत्न करें और संसार के सम्मुख भारत राष्ट्र का नाम ऊँचा करें।

हमारे मुस्लिम-लीगी भाइयों को यह स्मरण रखना चाहिए कि वे पाकिस्तान बना कर भी हिन्दुस्तान से पृथक् नहीं हो सकते। उन्हें फिर भी हिन्दुस्तान का ही आश्रम लेना पड़ेगा और जैसाकि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है, पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान पर ही आश्रित रहेगा। पाकिस्तान हिन्दुओं के लिए जितना हानिकार नहीं होगा उससे अधिक हानिकार वह मुसलमानों के लिए होगा। जब हम जानते हैं कि हिन्दू और मुसलमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सभी दृष्टियों से एक दूसरे में इतने घुले-मिले हैं कि वे अलग रहने पर भी पूरी तौर से अलग नहीं हो सकेंगे तो हमें अब्राहम लिंकन के शब्दों में अपने मुस्लिम-लीगी भाइयों से कहना पड़ेगा। जब अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में युद्ध चल रहा था और वे एक दूसरे से अलग होना चाहते थे तो लिंकन महोदय ने कहा था, "प्राकृतिक तौर पर हम एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। हम अपने लोगों को एक दूसरे के राज्य से नहीं हटा सकते और न उनके बीच में कोई दीवार खड़ी कर सकते हैं। एक पति-पत्नी परस्पर तलाक दे सकते है और एक दूसरे को पहुँच से परे बाहर जा सकते हैं लेकिन हमारे देश के विभिन्न भाग ऐसा नहीं कर सकते। वे तो एक दूसरे के पास हैं और पास ही रहेंगें और उनमें परस्पर का आवागमन, चाहे मित्ररूप में हो चाहे शत्रु-रूप में, निरन्तर जारी रहेगा। फिर क्या यह संभव है कि यह परस्पर का संबंध और आवागमन अलग होने के बाद अधिक हितकर तथा पहले से अधिक संतोषजनक हो जायगा? क्या मित्रों की अपेक्षा शत्रु बन कर हम अधिक अच्छे पारस्परिक बर्त्ताव के और संधि के नियम बना सकेंगे? यदि नहीं तो फिर अलग होने की बात ही

विचार में क्यों लाई जाय ?" ठीक है, इसी प्रकार जब हिन्दू और मुसलमान दोनों को भारत में ही रहना है भारत में ही जीना है और भारत में ही मरना है तो फिर क्यों न हम सब साथ ही साथ जियें और साथ ही साथ मरें ? फ़ारसी की एक कहावत के अनुसार " मर्गे अम्बोह जशन दारद" साथ साथ मरने में भी मज़ा आता है और हर्ष होता है !

यदि इतने पर भी मुस्लिम-लीग के अनुयायी अपनी ज़िद पर ही अड़े रहते हैं और पाकिस्तान की योजना को नहीं छोड़ते तो उन्हें समझ लेना चाहिये कि उनके पाकिस्तान में उन्हें कौन-सा लड्डू मिलेगा, उसकी चर्चा डा० लतीफ़ ने ही जोकि पाकिस्तान योजना के प्रवर्त्तकों में से हैं अपने एक पत्र में जो मि० जिन्ना को लिखा गया था की है।

" I may repeat that the Pakistan scheme in its latest form will neither establish Muslim States properly so called, nor get rid of Hindu, Muslim, Sikh problem, nor afford any secaurity to the Muslim minorities in the proposed independance Hindu India, unless a wholesale exchange of poputalion is effected which no-one favours."

अर्थात्—"इस बात को मैं फिर दोहराता हूँ कि सबसे बाद में विकसित हुई पाकिस्तान की योजना न तो ऐसे राज्य स्थापित करेगी जिन्हें हम सभी अर्थों में मुस्लिम राज्य कह सकें, और न हिन्दू, मुस्लिम-सिक्ख समस्या को हल कर सकेगी और न प्रस्तावित स्वतन्त्र हिन्दू भारत में अल्प-संख्यक मुसलमानों के लिये कोई संरक्षण दे सकेगी। यह सब तब हो सकेगा जब सम्पूर्ण

आबादी का इधर से उधर परिवर्त्तन किया जावे जिसको कोई भी पंसद नहीं करता ।" ("The Pakistan Issue"—By-Nawab Wagir Yar Jung-1943; Page. 103।

इसलिये जैसाकि डा० लतीफ़ ने ६ नवम्बर १६४५ को मद्रास में भाषण देते हुये कहा था कि वर्तमान अवस्थाओं में पाकिस्तान कभी स्वतंत्र नहीं रह सकेगा उसे किसी न किसी संघ के साथ रहकर ही अपनी आन्तरिक स्वतंत्रता रखनी पड़ेगी। डा० लतीफ़ की पाकिस्तान-योजना में और उसी प्रकार सर सिकन्दर हयातखॉ, सर फ़ीरोजखॉं नून, एक "पंजाबी", लखनऊ के सैय्यद रिज़वानउल्ला आदि की योजनाओं में भी किसी न किसी संघ की चर्चा की गई है। तब फिर, जब यह निश्चित है कि हिन्दुस्तान से अलग रहकर पाकिस्तान राजनैतिक दृष्टि से गुलाम और आर्थिक दृष्टि से गरीब रहेगा वह हिन्दुस्तान से क्यों अलग हो ? तब तो सबसे अच्छा यही है कि जिन प्रान्तों में मुसलमानों की आबादी अधिक है उनमें आन्तरिक मामलों में स्वतंत्र रहें और अपनी संस्कृति, धर्म, रीति-रस्म आदि का स्वतंत्रता-पूर्वक विकास करें। भारत के ऐसे ही स्वतंत्ररूप से शासित प्रांतों या राज्यों का एक भारत-राष्ट्र-संघ रहे जिसमें सम्मिलित रहना प्रत्येक राज्य या प्रांत के लिये अनिवार्य हो। केन्द्रीय संघ द्वारा केवल उन विषयों का संचालन हो जो समस्त भारत से संबंध रखते हैं। भारत के प्रसिद्ध पारसी राजनीतिज्ञ और वायसराय की कौंसिल के सदस्य सर आर्देशर रुस्तमजी दलाल ने 'अमृत बाजारपत्रिका' में एक लेख लिखते हुए पाकिस्तान के स्थानापन्न विधान का वर्णन किया था जिसमें उन्होंनें लिखा था कि जो कम से कम विषय संघ-शासन के केन्द्रीय शासन के अधिकार में रहने चाहिये, वे यह हो सकते हैं:—

(१) *देश की रक्षा* (Defence)

(२) विदेशों से संबंध (Foreign Relations)

(३) सिक्कों का प्रचलन (Currency)

(४) चुंगी-कर (Customs)

(५) आय-कर (Income-Tax)

(६) विदेशों से आवागमन

(७) रेलें

(८) तार-घर और डाक-विभाग

(९) नहरें और नदियों आदि का व्यापार

(१०) कला कौशल और उद्योग-धन्धों का विकास।

शेष विषय प्रत्येक प्रांत अथवा राज्य में वहां की सरकार के अधीन रहने चाहिये। साथ ही कुछ ऐसे साधारण संरक्षण दिये जायें जो सब प्रांतों और राज्यों में समान रहें जैसेकि सब नागरिकों का समान अधिकार, विचार, वाणी-लेखन और धर्म की स्वतंत्रता, सब धर्मों की समानता और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार, अल्पसंख्यकों का संरक्षण इत्यादि।

इस प्रकार मुसलमान, जिन प्रांतों में उनकी अधिक आबादी है, उनमें स्वतंत्ररूप से उसी प्रकार रहेंगे जैसेकि पाकिस्तान में रहने का स्वप्न देख रहे हैं, वहां उनके ऊपर "हिन्दू राज्य" का प्रभुत्व नहीं रहेगा, जिससे कि मि० जिन्ना बहुत डरते हैं। धार्मिक और आंतरिक मामलों में मुसलमानों को अपनी मन चाही स्वतंत्रता रहेगी और दूसरी ओर भारत के भी टुकड़े नहीं होंगे, जिससे पाकिस्तान बनने से जो हानियां समस्त देश को, हिंदुओं को और स्वयं मुसलमानों को होने वाली हैं वे उनसे

बच जायेंगे। पाकिस्तान में जो गरीबी और तबाही और समस्त भारत के टुकड़े हो जाने से जो मुसीबत और बला आने वाली है वह टल जावेगी। दूसरी ओर यदि हिन्दू और मुसलमान एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के रूप में प्रयत्न करेंगे तो देश की स्वतन्त्रता और निकट आजायेगी और जो बृटिश सरकार अभी पाकिस्तान के प्रश्न पर अथवा ऐसे ही अन्य प्रश्नों पर हिंदू-मुसलमानों को लड़ता हुआ देख कर प्रसन्न होती है उसे अवसर नहीं मिलेगा। और यदि ऐसा न हुआ, मुस्लिम लीग अपनी जिद्द पर अड़ी ही रही तो पाकिस्तान भारत को हमेशा की गुलामी का आधार सिद्ध होगा।

इसलिये मि० जिन्ना को और मुस्लिम-लीग को अपनी जिद्द पर अड़े न रह कर पाकिस्तान के प्रश्न पर विचार विनिमय और समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिये न कि यह कहना चाहिए कि—

"My demand is for Pakistan and before I can discuss that or any other matter with any body that demand must be met. No discussion about that, no arbitaration either." (Pakistan by Dr. S. Ansari ; page 123)

अर्थात्—"मेरी मांग पाकिस्तान के लिए है और इससे पहले कि मैं उस पर या अन्य किसी विषय पर किसी से विचार विममर्श करूं मेरी वह मांग पूरी होनी चाहिए। उस विषय में कोई वाद-विवाद नहीं और न कोई पञ्च फैसला मानने को मैं तैयार हूँ।"

इस पर २४ जनवरी १९४४ को बङ्गलोर में भाषण देते हुए भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मि० श्रीनिवास शास्त्री ने ठीक ही कहा था कि: -

"All that I am asking for is that Mr. Jinnah should agree to argue it out with the Hindus, Sikhs, and ot er communities. This question is not beyond agreement. Why should discussion be barred about Pakistan, when even God comes within the pale of discussion ? This seems to me a very unfortunate positon taken up in our politics. I mention it now as a singnal instance of the evil spirit of Hitler and Musso ini, who would not come to discuss matter, but would settle every thing on the field or battle. This is very improper and this is the kind of feeling which we want to end."

अर्थात्—"मैं जो कुछ चाहता हूँ वह केवल इतना कि मि० जिन्ना हिन्दू, सिक्ख और अन्य दलों से पाकिस्तान पर वाद-विवाद करने को तय्यार हों। यह प्रश्न समझौते से परे नहीं है। जबकि विवाद के क्षेत्र से परे ईश्वर भी नहीं तो पाकिस्तान के सम्बंध में ही विवाद क्यों रोपा जाता है ? भारतीय राजनीति में मुझे यह स्थिति सब से अधिक दुखदाई प्रतीत होती है। मैं इसको हिटलर और मुसोलिनी की दुर्भावना का एक मुख्य उदाहरण समझता हूँ। जो कभी किसी विषय पर विवाद करने को तय्यार नहीं होते थे किंतु प्रत्येक विषय का फैसला लड़ाई

के ही मैदान में करना चाहते थे। यह अत्यन्त अनुचित है और यही वह मनोवृति है जिसका कि हम अन्त करना चाहते हैं।"

क्या ही अच्छा हो कि यदि जैसा श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है कि "मि० जिन्ना भारत के हित को ध्यान में रखते हुये पाकिस्तान की जिद्द पर न अड़े रहकर हिन्दू और सिक्खों के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्रता के लिये प्रयत्न करें। यदि मि० जिन्ना और मुस्लिम-लीग ऐसा नहीं करते तो भारत के अन्य समस्त निवासियों को जिनमें हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी और राष्ट्रीय मुसलमान भी शामिल हैं, मिल कर पाकिस्तान का विरोध और भारत की स्वतंत्रता का प्रयत्न अपने प्राण देकर भी करना चाहिये।

भारत अखण्ड, भारत स्वतन्त्र,
हो यही हमारा मूलमंत्र।
हम करें देश हित प्राण दान,
गावें सहर्ष "जय हिन्द" गान॥

—"सूर्य"

— —

अध्याय १३

बनेगा क्यों कर पाकिस्तान ?

(ले०—डा० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार, सिद्धान्त शास्त्री,
एम० ए०, एल टी०, डी० लिट्० अजमेर)

—: :—

बनेगा क्योंकर पाकिस्तान ?
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥टेक॥

सृष्टि का आदिम पुण्य प्रभास, महा मानवता का आधार ।
विश्व का विश्रुत प्रखर प्रकाश, आर्य वीरों का लीलागार ॥
विधाता का -जो प्रथम विधान । बनेगा० ॥१॥

प्रकृति ने जिसका किया विकास, सजा कर सुन्दर सुखमय साज ।
कोटिशत वर्षों का इतिहास, लिखा जिसके कण कण पर आज ॥
हुआ जहं जग का सुभग विहान । बनेगा० ॥२॥

रहा भौगोलिक रूप अखण्ड, हिमाचल अचल प्रततप्राचीर ।
उदधि उत्तुंग प्रकांड प्रचंड, सका है कौन उसे कब चीर ?
राष्ट है भारत एक महान । बनेगा० ॥३॥

वेद विद्या, बल का भंडार, जगद् गुरु रहा सहस्रों वर्ष ।

विश्व विजयी पद का उपहार, लिया जिसने बहु बार सहर्ष ॥
सभ्यता शिक्षा का संस्थान । बनेगा० ॥४॥

आर्य वीरों की जननी भूमि, धान्य धन धरती वसुधा रूप ।
रही समृद्धि सदा से भूमि, चक्रवर्ती साम्राज्य अनूप ॥
जहाँ से हुआ विश्व कल्यान । बनेगा० ॥५॥

हमारे ऋषियों ने जिस ठौर, शास्त्र की रचना की जग हेतु ।
रहा जो तत्व ज्ञान सिरमौर, बना भवसागर के हित सेतु ॥
फला-फूला जिसमें विज्ञान । बनेगा० ॥६॥

जन्म भू जननी से भी श्रेष्ट, स्वर्ग से भी बढ़ कर अवदात ।
विश्व में वरद वरेण्य वरेष्ठ, पूज्य प्राणों से प्यारी मात ॥
सभी हम हों उस पर बलिदान । बनेगा० ॥७॥

आर्य हिन्दू हैं तीस करोड़, मही माता के सत्य सपूत ।
न होने देंगे तोड़म-फोड़, करे यदि कोई "जिन्न" कपूत ॥
मातृ हित देंगे तन-धन-प्राण । बनेगा० ॥८॥

कौन सकता है भारत बाँट ? हुआ था क्या दो टुकड़े चाँद ?
कौन सकता है सागर पाट ? उठा किस के उर में उन्माद ?
हठी क्यों ठाने अपनी ठान ? बनेगा० ॥९॥

कौन कर सकता इसके खंड ? सहेगा कौन अधम अपकर्ष ?
रहेगा एक अजस्र अखंड, हमारा प्यारा भारतवर्ष ॥
सदा चमकेगा "सूर्य" समान । बनेगा० ॥१०॥

हमारे भारत का प्रत्येक प्रान्त किसी न किसी विशेष हिन्दू संस्कृति के चिन्ह से ओत प्रोत है वह भला 'पाकिस्तान' मे कैसे सम्मिलित हो सकेगा ? श्रीयुत रामदास वर्मा "निर्मोही" "हिन्दू राष्ट्र कवि" ने इस पर कुछ बड़े सुन्दर छन्द लिखे हैं जो यहां उद्धृत किये जाते हैं:—

नहीं बनेगा "पाकिस्तान"

एक अकेले जिन्ना ही क्या, चाहे रूठे सभी जहान ।
हिन्दुस्तान हिन्दुओ का घर, नहीं बनेगा पाकिस्तान ॥

(१)

फैल गया जिस पुण्य भूमि मे, दयानन्द का उजियाला ।
धधक चुकी जिसकी छाती पर, सती पद्मिनी की ज्वाला ॥
दुर्गादास समान वीर, जिसने गोदी मे था पाला ।
चमका था जिसकी रक्षा को, प्रताप का भीषण भाला ॥
बना हुआ है आज जहाँ पर, हल्दी घाटी का मैदान ।
ऐसा "राजस्थान" हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान ।

(२)

गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर के, असीम उपकारो से ।
त्याग मूर्ति जो भूमि बनी, गुरु अर्जुन के व्यवहारो से ॥
गुरु गोविन्दसिंह के बालक, चुने गये दीवारो मे ।
दिल्ली दिल मे दहलाई, बन्दा की बेडी मारो से ॥
जिसके कण कण में अंकित है, वीर हकीकत का बलिदान
ऐसा प्रिय "पंजाब" हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान ॥

(३)

लीची-मेव अनारो की, लगि रही पंक्ति न्यारी न्यारी ।
रमता है ऋतुराज जहां पर लख कर केसर की क्यारी ॥

देव तुल्य कर्पूर वर्ण के बसते सुन्दर नर नारी।
विदेशियों से भारत की करता है निशदिन रखवारी।
प्रबल वीर रणधीर बस रहे, जहां डोंगरा अति बलवान।
ऐसा प्रिय 'कश्मीर' हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान॥

(४)

राणा श्री रणजीतसिंह के, कर में लख कर कठिन कृपाण।
कम्पित हृदय सशंकित चित से करता था अरिदल सम्मान॥
हरीसिंह नलवा जैसे थे, सेनापती वीर बलवान।
केवल नाम मात्र से जिनके, डरते हैं अब भी अफ़गान॥
हुए पाणिनी जिस भूमि पर, सकल व्याकरणकार महान।
ऐसा "सीमाप्रान्त" हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान॥

(५)

आज जहाँ गंगा जमुना की, अनुपम छबि दिखलाती है।
तुलसी सूर कबीरदास की कला सुधा बरसाती है॥
स्वतंत्रता के गीत जहां पर, लक्ष्मीबाई गाती है।
योगिराज श्री कृष्णचन्द्र की जन्मभूमि कहलाती है॥
मर्यादा पुरुषोत्तम हो जहँ, खेले रामचन्द्र भगवान।
वह "संयुक्त-प्रदेश" हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान॥

(६)

जिस भूमि पर प्रकट हुआ था, चन्द्रगुप्त सत्ताधारी।
विजित बन गई जिसके सन्मुख ग्रीकों की सेना सारी॥
नीति निपुण चाणक्य विप्र ने, सकल नीति जब निर्धारी।
विश्व विजेता बना सिकन्दर, भारत का आज्ञाकारी॥
जिसका रग रग में छाया है, नृप अशोक का शौर्य महान।
ऐसा भव्य "बिहार" हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान॥

(७)

वन्दनीय गोरांग महाप्रभु, ने निज ज्योति जगाई है।
बंकिमचन्द चटर्जी की जो, जन्मभूमि कहलाई है॥

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने, निज विद्या फैलाई है।
कठिन तपस्वी की पदवी, अरविन्द घोष ने पाई है॥
करता है रवीन्द्र की कविताओं का जगती तल सम्मान।
ऐसा प्रिय "बंगाल" हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान॥

(८)

राममूर्ति से पराक्रमी जिस भमी ने प्रकटाये थे।
अपनी प्रबल शक्ति से जो, कलयुगी भीम कहलाये थे॥
घोर नास्तिकता के जब, भारत में बादल छाये थे।
वैदिक आंधी बन कर के, शंकराचार्य तब आये थे॥
प्रकटित हुये जहाँ रामानुज, लौर पूज्य राधाकृष्णान।
ऐसा प्रिय "मद्रास" हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान॥

(९)

चम्पतराय बुन्देले की जो, जन्मभूमि है सुखदाई।
दुर्गा माता जहाँ स्वयं, रानी दुर्गा बन कर आई॥
कठिन कृपानों से ऐसी, शोणित की सरिता सरसाई।
डूब गई सारी मुग़लानी लेकिन थाह नहीं पाई॥
छत्रशाल ने जिस भूमि पर, मारे थे औरँग के मान।
ऐसा "मध्य-प्रदेश" हमारा नहीं बनेगा पाकिस्तान॥

[१०)

रामदास से सफल गुरु जिस पुण्य भूमि ने जाये थे।
वीर शिवाजी से योधा, जिसने निज गोद खिलाये थे॥
बाजीराव पेशवा ने सब अनय गर्व गढ़ ढाये थे।
सोता भारत देश जगाने तिलक जहां पर आये थे॥
गरज रहा है जिस भूमि में, सावरकर सा वीर महान
ऐसा प्रिय "महाराष्ट्र" हमारा, नहीं बनेगा पाकिस्तान॥